# भ्रमोच्छेदन ॥

जो

राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के निवेदन के उत्तर में।

## श्रीमत्स्वामिदयानन्द सरस्वतीजी ने

सज्जन आर्य्यों के हितार्थ

निर्माण किया है ॥

श्रीहरिश्चन्द्र चिंतामणि प्रबन्धकर्ता के प्रबन्ध से

वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर में मुद्रित।



संवत् १९३६ पौषशुक्ला १.

ओ३म्

# भ्रमोच्छेदन *

## अविद्वानों का

मैंने राजा शिवप्रसाद सितारहहिन्द की बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा सुन के चित्त में चाहा कि कभी उन से समागम होकर आनन्द होवे जैसे पूर्व समय में बहुत ऋषि मुनि विद्वानों के बीच प्रज्ञासागर बृहस्पति महर्षि हुए थे क्या पुनरपि वेही महा अविद्यान्धकार के प्रचार से नाना प्रकार के अन्यान्य विरुद्ध मत मतान्तर के इस वर्त्तमान समय में शरीर धारण करके प्रकट तो नहीं हुए हैं ! ।

देखना चाहिये कि जैसा उनको मैं सुनता हूं वैसे ही वे हैं वा नहीं ऐसी इच्छा थी । यद्यपि मैंने संवत् १९२६ से लेके पांच वार काशी में जाकर निवास भी किया परन्तु कभी उनसे ऐसा समागम न हुआ † कि कुछ वार्तालाप होता, मैंने प्रस्तुत संवत् १६३६ कार्तिक सुदी १४ गुरुवार को काशी में आकर महाराजे विजय नगराधिपति के आनन्दबाग में निवास किया इतने में मार्गशीर्ष सुदी में अकस्मात् राजा शिवप्रसादजी प्रसिद्ध एस् एच् कर्नेल ऑलकाट् साहब और एच् पी मेडम ब्लेवेट्स्की को मिलने के लिये आनन्दबाग में आ उनने मुझ से मिलकर कहा कि मैं उक्त साहब और मेडम से मिला चाहता हूं । सुनकर मैंने एक मनुष्य को भेज राजासाहब की सूचना कराई और जबतक उक्त साहब के साथ राजाजी न उठगये तबतक जितनी मैं अपने पत्र में लिख चुका हूं उनसे बातें हुई परन्तु शोक है कि जैसा मेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर था वैसा उनको न पाया ‡ मनमें विचारा कि जितनी दूसरे के मुख से बात सुनी जाती है सो सब सच नहीं होती ॥

---

* जो राजा शिवप्रसादजी अपने लेख पर स्वामी विशुद्धानन्दजी का हस्ताक्षर न कराते तो मैं इस पर एक अक्षर भी न लिखता क्योंकि उनको तो संस्कृत विद्या में शब्दार्थ सम्बन्धों के समझने का सामर्थ्य ही नहीं है इसलिये जो कुछ इस पर लिखता हूं सो सब स्वामी विशुद्धानन्दजी की ओर ही समझा जावे ॥

† एक बार सय्यद अहमदखां सदरसदूरजी की कोठी पर दूर से देखा था पर वार्त्तालाप नहीं हुआ था ॥

‡ राजाजी की वाचालता बहुत बड़ी और समझ अति छोटी देखी ॥

राजाजी लिखते हैं कि स्वामीजी की बात सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया यहां बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि क्या मेरी बात का सुनना ही राजाजी को संदेह में पड़ने का निमित्त है और उनकी कम समझ और आलस्य कारण नहीं है* जब कि उनको सन्देह ही छुड़ाना था तो मेरे पास आके उत्तर सुन के यथाशक्ति सन्देह निवृत्त कर आनन्दित होना योग्य न था ? जैसा कोमल लेख उनके पत्र में है वैसा भीतर का अभिप्राय नहीं † किन्तु इस में प्रत्यक्ष छल ही विदित होता है। देखो मार्गशीर्ष से लेके वैशाख कृष्ण एकादशी बुधवार पर्यन्त सवाचार मास उनके मिलने के पश्चात् मैं और वे काशी में निवास करते रहे क्यों न मिलके सन्देह निवृत्त किये ? । जब मेरी यात्रा सुनी तभी पत्र भेज के प्रत्युत्तर क्यों चाहे ? मेरे चलते समय प्रश्न करना, मेरे बुलाये पर भी उत्तर सुनने न आना, सवाचार महीने पर्यन्त चुप होके बैठे रहना और मेरे काशी से चले आने पर अपनी व्यर्थ बड़ाई के लिये पुस्तक छपवाकर काशी में और जहां तहां भेजना कि काशी में कोई भी विद्वान् स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने में समर्थ न हुआ किन्तु एक राजा शिवप्रसादजी ने किया। ऐसी प्रसिद्धि होने पर सब लोग मुझको विद्वान् और बुद्धिमान् मानेंगे ऐसी इच्छा का विदित करना आदि हेतुओं से क्या उनकी अयोग्यता की बात नहीं है ? ‡ भला ऐसे मनुष्यों से किसी विद्वान् को उचित है कि बात और शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त होवे ? ऐसे कपट छल के व्यवहार न करने में मनुजी की भी साक्षी अनुकूल है॥

अधर्मेण तु यः प्राह यश्चाऽधर्मेण पृच्छति ।
तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥

अर्थ—( यः ) जो ( अधर्मेण ) अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह से वा जिस भाषा का आप विद्वान् न हो उसी भाषा के

---

* कोई कितना ही बड़ा विद्वान् हो परन्तु अविद्वान् मनुष्य को विद्या की बातें बिना पढ़ाये कभी नहीं समझा सकता न वह बिना पढ़े समझ सकता है ।

† हाथी के खाने के दांत भीतर और दिखाने के बाहर होते हैं ।

‡ जो राजाजी प्रश्नों के उत्तर चाहते तो ऐसी अयोग्य चेष्टा क्यों करते जब मैंने उनकी अन्यथा रीति जानी तभी उनसे पत्रव्यवहार आगे को न चलाया क्योंकि उनसे झगड़ा बढ़ाना व्यर्थ देखा ॥

विद्वान् के साथ शास्त्रार्थ किया चाहे और उस भाषा के सच झूठ की परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे और कोई प्रतिवादी सत्य कहे उसका निरादर करे इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल कपट से * ( पृच्छति ) पूछता है ( च ) और ( यः ) जो ( अधर्मेण ) पूर्वोक्त प्रकार से ( प्राह ) उत्तर देता है ऐसे व्यवहार में विद्वान् मनुष्य को योग्य है कि न उससे पूछे और न उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है ( वा ) अथवा ( विद्वेषम् ) अत्यन्त विरोध को ( अधि, गच्छति ) प्राप्त होकर दोनों दुःखित होते हैं ॥

जब इस वचनानुसार राजाजी को अयोग्य जानकर लिख के उत्तर नहीं दिये † तो फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शास्त्रार्थ करने को प्रवृत्त हो सकता हूं । हां मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोई धर्म से पूछे अथवा अधर्म से उन सबों के समाधान करने को एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूं, परन्तु उस समय जिसको अयोग्य समझ लेता हूं जबतक वह अपनी अयोग्यता को छोड़कर नहीं पूछता और न कहता है तबतक उससे सत्याऽसत्यनिर्णय के लिये कभी प्रवृत्त नहीं होता हूं । हां जो सब विद्वानों को योग्य है वह काम तो करता ही हूं, अर्थात् जब २ अयोग्यपुरुष मुझ से मिलता वा मैं उससे मिलता हूं तब २ प्रथम उसकी अयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूं, जब वह धर्मात्मता से योग्य होता है तब मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूं वह भी प्रेम से पूछके निस्सन्देह होकर आनन्दित होजाता है ‡ अब जो राजा शिवप्रसादजी ने स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति लिखा, ज्येष्ठ महीने में निवेदनपत्र छपवा के प्रसिद्ध किया है उसी के उत्तर में यह पुस्तक है ॥

इसमें जहां २ ( रा० ) चिन्ह आवे वहां २ राजा शिवप्रसादजी का और जहां २ ( स्वा० ) आवे वहां २ मेरा लेख जानना चाहिये ।

रा०—जितना महाराजजी के मुखारविन्द से सुना था बड़े सन्देह का कारण

---

* जिसके आत्मा में और; और जिसके बाहर और होवे वह छली कहाता है।

† जो जिस बात के समझने और जिस काम के करने में सामर्थ्य नहीं रखता वह उसका अधिकारी नहीं हो सकता ॥

‡ कोई भी वैद्य जबतक रोगी के आंखों की पीड़ा खोजा और मलीनता दूर नहीं कर देता तबतक उसको दिखला भी नहीं सकता परन्तु जिसके नेत्र ही फूटगये हैं उसको कुछ भी दिखलाने का उपाय नहीं है ।

* सब विद्वान् इस बात को निश्चित जानते हैं कि पदों का पद, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणों का प्रकरण और ग्रंथों का ग्रंथों ही के साथ सम्बन्ध होता है । जब ऐसा है तब राजाजी को अपनी बात की पुष्टि के लिये सब पद, सब वाक्य, सब प्रकरण और सब ग्रंथों का प्रमाणार्थ एकत्र लिखना उचित हुआ, क्योंकि यह उन्हीं की प्रतिज्ञा है † कि आधा छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य नहीं और जो राजाजी संपूर्ण का लिखना उचित समझते हैं, सो यह बात अत्यन्त तुच्छ और असम्भव है। ऐसी बात कोई बालबुद्धि मनुष्य भी नहीं कह सकता। देखिये फिर यही उनकी अविद्या उलटा उनको उन्हीं मिथ्यादोषों में पकड़कर गिराती रहती है अर्थात् जो मिथ्या दोष वे मेरे लेख पर देते हैं उन्हीं में आप डूबे हैं ॥

यहां जब कोई मनुष्य राजाजी से पूछेगा कि आप जो स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी की बनाई भूमिका में दोष देते हैं वही आप के ( अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ) इस लेख में भी आते हैं। इसकी वाक्यावली ‡ तो ऐसी है (अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ) फिर आपने इस वाक्यावली में से पूर्व के तीन भाग छोड़, चौथे भाग को क्यों लिखा ! तब राजासाहब घबड़ा कर मौन ही साध जावेंगे, क्योंकि वे वाक्यावली में से प्रकरणोपयोगी एक ही भाग का लिखना उचित नहीं समझते चाहे प्रकरणोपयोगी हो वा न हो, किन्तु पूरी वाक्यावली लिखना योग्य समझते हैं + जो ऐसा न समझते तो (एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्या-

---

* खेद करना चाहिये यह उलटी समझ राजाजी की है कि जो अनेक वाक्यों को एक वाक्य समझना ।

† ऐसा असंभव वचन किसी विद्वान् के मुख से नहीं निकल सकता है और न हाथ से लिखा जा सकता है ।

‡ जैसे कोई प्रमत्त अर्थात् उन्मत्त उलटा पलटा कर और कुछ लिखकर कहता है वैसा काम विद्वान् कभी नहीं कर सकता ।

+ मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि जहां जितना लिखना योग्य हो वहां उतना ही लिखना ।

ख्यानानि व्याख्यानान्यनिष्टं हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ) इस वाक्य समुदाय को स्वामीजी ने नहीं लिखा, यह मिथ्या दोष क्यों लगाते पर विचारे क्या करें उन्होंने न कभी किसी के वाक्य का लक्षण सुना और न पढ़कर जाना है, जो सुना वा जाना होता तो ( एवं वा० ) इससे ले के ( निःश्वसितानि ) इस अनेक वाक्य के समुदाय को एक वाक्य क्यों समझते * देखिये यह महाभाष्य में वाक्य का लक्षण लिखा है ( एकतिङ्वाक्यम् ) जिस के साथ एक तिङन्त के प्रयोग का सम्बन्ध हो वह वाक्य कहाता है जैसे ( एवंवा अरेऽस्य महतो भूतस्य विभोः परमेश्वरस्य साक्षाद्वा परम्परा सम्बन्धादेतत्सर्वं वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्यं निःश्वसितमस्तीति ) । एक और ( पूर्वोक्तस्य सकाशादग्वेदं निःश्वसितोऽस्तीति ) दूसरा वाक्य है इसी प्रकार इस कंडिका में २० वाक्य तो पठित और आकांक्षित वाक्य ( त्वं विद्धि ) इत्यादि ऊपर से और चकार से इन्हीं के अविरुद्ध अपठित उपयोगी अनेक अन्य वाक्य भी अन्वित होते हैं । क्या जिनको वाक्य का बोध न हो उनको पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध जिन को पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध न हो उन को प्रकरणार्थ और ग्रंथ के पूर्व पदार्थ का बोध होने की आशा कभी हो सकती है ? † इसीलिये जो राजाजी को दूसरे पत्र में मैंने लिखा है सो बहुत ठीक है कि इससे मुझ को निश्चित हुआ कि राजाजी ने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्यापुस्तकों में से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थ सम्बन्धों को जाना नहीं है ‡ इसलिये उन को मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक २ विदित न हुआ ॥

---

* जो राजाजी विद्या में वास कर अविद्या से पृथक् होते तो उन के मुख से ऐसी असंभव बात कभी न निकलती ।

† राजाजी ने समझा होगा कि मैं बड़ा बुद्धिमान् हूं । हां ( अन्धानां मध्ये काणो राजा ) यहां इस न्याय के तुल्य तो चाहे कोई समझ लेवे ।

‡ ईश्वरोक्त चार वेद स्वतः प्रमाण और ब्रह्मा से लेके जैमिनि पर्यन्त महर्षि मुनि और ऐतरेय ब्राह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त ग्रंथों की गणना से कोई भी आर्ष पुस्तक पढ़ना बाकी नहीं रहता कि जिस का परतःप्रमाण ग्रहण न होसके क्योंकि ग्रंथकारों में जैमिनि सब के पश्चात् हुए हैं और पुस्तकों में पूर्वमीमांसा सब से पीछे बनाया है इसलिये जो राजाजी ने नोट में ( स्वामीजी ने पूर्वमीमांसा पर्यंत पढ़ा होगा ) लिखा है सो भ्रम से ही है ॥

क्या अब जिसको थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह राजासाहब को शास्त्रों के तात्पर्यार्थ ज्ञानशून्य जानने में कुछ भी शङ्का रख सकता है, यहां चोर कोटपाल को दंडे यह कहानी चरितार्थ होती है कि जो ( अन्धेनैवनीयमाना यथाऽन्धाः ) के समान स्वयं राजाजी और उनके विचारानुकूल चलने वाले होकर भ्रम से इसके अर्थ को मेरी बनाई भूमिका और मेरे उपदेश को मानने हारे पर झोंक देते हैं। क्या यह उलट पलट नहीं है ! । इससे मैं सब आर्यसज्जनों को विदित करता हूं कि जो अपना कल्याण चाहें वे उनके व्यर्थ वाक्याडम्बर जाल में बद्ध हो अपने मनुष्यजन्म के धर्मार्थ काम मोक्ष फलों से रहित होकर दुःखदुर्गन्धसागररूप घोर नरक में गिरकर चिरकाल दारुण दुःख भोग न करें और सर्वानन्दप्रद वेद के सत्यार्थप्रकाश में स्थिर होकर सर्वानन्दों का भोग न छोड़ बैठें, अब जो स्वामी विशुद्धानन्दजी की पक्षपात रहित विद्वत्ता की परीक्षा बाकी है सो करनी चाहिये ॥

रा०—श्रीमत्पण्डितवर * बालशास्त्रीजी तो बाहर गये हैं परमपूजनीय जगद्गुरु † श्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंच जा पत्र और उत्तरों को देखकर बहुत हंसे ‡ और पिछले उत्तर पर जिस में इन दोनों महात्माओं का नाम है कुछ लिखवा भी दिया स्वामी विशुद्धानन्दजी का लिखवाया राजा साहब के प्रश्नों का उत्तर दयानन्द से नहीं बना इति ।

स्वा०—जिनका पक्षी पक्षपातान्धकार से विचारशून्य हो उनके साक्षी तत्सदृश क्यों न हों क्या यथा बुद्धि कुछ विद्वान् होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी को योग्य था कि ऐसे अशास्त्रवित् अव्युत्पन्न व्यर्थ वैतण्डिक मनुष्य के अत्यन्त अयुक्त लेख पर विना सोचे समझे सम्मति ठिरर देवें और इससे सजातीयप्रवाहपतन न्याय करके यह भी विदित हुआ कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भी राजाजी के तुल्यत्व की उपमा के योग्य हैं। मैं स्वामी

---

* काशी के पंडितों में तो बालशास्त्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं भूगोलस्थ पंडितों में नहीं ।

† जगत् में जो २ उनके शिष्यवर्ग में हैं उन २ के परमपूजनीय और गुरु होंगे सब के क्योंकर हो सकते हैं ।

‡ जो कुछ भी पत्रों के अभिप्राय को समझते तो हास करके अयोग्यपत्र पर सम्मति क्यों लिख बैठते ॥

विशुद्धानन्दजी को चिताता हूं कि आगे कभी ऐसा निर्बुद्धिता का काम न करें * भला मैंने तो राजाजी को संस्कृत विद्या में अयोग्य जानकर लिख दिया है कि आप ने जिसलिये वेदादि विद्या के पुस्तकों में से एक का भी अभ्यास नहीं किया है जो आप को उत्तर ग्रहण की इच्छा हो तो मेरे पास आके सुन समझ कर अपनी बुद्धि के योग्य ग्रहण करो, आप दूर से वेदादि विषयक प्रश्न करने और उत्तर समझने योग्य नहीं हो सकते। इसीलिये उनको लिख के यथोचित उत्तर न भेजे और न भेजूंगा यह बात भी मेरे दूसरे पत्र से प्रसिद्ध है कि जो वे वेदादिशास्त्रों में कुछ भी विद्वान होते तो मेरी बनाई भूमिका का कुछ तो अर्थ समझ लेते † न ऐसी किसी की योग्यता है कि अंधे को दिखला सके यह भी मैं ठीक जानता हूं कि स्वामी विशुद्धानंदजी भी वेदादि शास्त्रों में विद्वान् नहीं किन्तु नवीनटीकानुसार दश उपनिषद् शारीरक और पूर्वमीमांसा सूत्र और प्राचीन आर्षग्रन्थों से विरुद्ध कपोलकल्पित तर्कसंग्रहादि ग्रंथोंका अभ्यास तो किया है परन्तु वे भी नशा से ‡ विस्मृत होगए होंगे तथापि उनका संस्कारमात्र तो ज्ञान रहा ही होगा इसलिये वे संस्कृत पदवाक्य प्रकरणार्थों को यथाशक्ति जान सक्ते हैं परन्तु न जाने उन्होंने राजाजी के अयोग्य लेख पर क्योंकर साक्षी लिखी अस्तु। जो किया सो किया अब आगे को वे वा बालशास्त्रीजी जिसके उत्तर वा प्रश्नों पर हस्ताक्षर करके मेरे पास अपनी ओर से भेज दिया करें और यह भी समझ रक्खें कि जो प्रश्नोत्तर उनके हस्ताक्षरयुक्त आवेंगे वे उन्हीं की ओर से समझे जावेंगे जैसा कि यह निवेदनपत्र का लेख स्वामी विशुद्धानन्दजी की ओर से समझा गया है। इसीलिये वे तीनों स्वामी सेवक मिलकर प्रश्नों का विचार शुद्ध लिख कर मुंशी बख्तावरसिंहजी के पास भेज दिया करें मुंशीजी आप की ओर से यह लेख है वा नहीं इस निश्चय के लिये पत्रद्वारा आप से संमतिपत्र मंगवा के मेरे पास भेज

---

* जो कोई विना विचारे कर बैठता है उसको बुद्धिमान् प्राज्ञ नहीं कहते।

† यह तो सच है कि जो मनुष्य योग्य होकर समझना चाहता है वह समझ भी सकता है।

‡ सुना है कि स्वामी विशुद्धानन्दजी भांग और अफीम का सेवन करते हैं जो ऐसा है तो अवश्य उनको विद्या का स्मरण न रहा होगा जो मादक द्रव्य होते हैं वे सब बुद्धिनाशक होते हैं इससे सबको योग्य है कि उनका सेवन कभी न करें।

दिया करेंगे और मेरा लेख भी मेरे हस्ताक्षर सहित अपने हस्ताक्षर करके पत्र सहित उन के पास भेज दिया करेंगे वे लोग राजाजी आदि को समझाया करें और वे आप जैसे लेखाभिप्राय को समझ लिया करें जो इस पर भी आप लोग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे तो क्या सब सज्जन लोग आप लोगों को भी अयोग्य न समझ लेंगे क्योंकि जो स्वपक्ष के स्थापन और परपक्ष के खण्डन में प्रवृत्त न होकर केवल विरोध ही मानते रहें वे अयोग्य कहाते हैं। इसलिये मैं सब को सूचना करता हूं कि जो मेरे पक्ष से विरुद्ध अपना पक्ष जानते हों तो प्रसिद्ध होकर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते! और टट्टी की आड़ में स्थित होकर ईंट पत्थर फेंकने वाले के तुल्य कर्म करना क्यों नहीं छोड़ते! और जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अपने पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से इसी पक्ष का प्रचार करने में उद्यत क्यों नहीं होते! * जो ऐसा नहीं करके दूर ही दूर रह कर झूठे गाल बजाने और जैसे मेरे काशी से चले आये पर राजाजी के पत्र पर व्यर्थ हस्ताक्षर करने से उन ने अपनी अयोग्यता प्रसिद्ध कराई वैसे जो ये मुझ से शास्त्रार्थ करेंगे तो प्रशंसित भी हो सकते हैं। ऐसा किये बिना क्या ये लोग बुद्धिमान् धार्मिक विद्वानों के सामने असमाननीय और अप्रतिष्ठित न होंगे! ॥ जो इस में एक बात न्यून रही है कि बालशास्त्री जी भी इस पर अपनी सम्मति लिखते तो उनको भी राजा शिवप्रसाद और स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिलजाती। कहिये राजाजी आप अपनी रक्षा के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंच कर पत्र दिखा सम्मति लिखा पुस्तक छपाकर इधर उधर भेजने से भी न बच सके तो आप के जाट, खाट और कोल्हू: लौट कर आप ही के शिर पर चढ़े वा नहीं, अब इस बोझ के उतारने के लिये आप को योग्य है कि बालशास्त्रीजी के चरणों में भी गिर कर बचने का उपाय कीजिये और आप अपने विजय के लिये स्वामी-विशुद्धानन्दजी और बालशास्त्रीजी को प्राड्विवाक अर्थात् बारिस्टर करना भी मत छोड़िये, अथवा उत्तम तो यह है कि वे दोनों आप को ढाल बना कर न लड़ें किन्तु सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करें, इसी में उन की शोभा है। अन्यथा नहीं, परन्तु मैं आप और उन को निश्चित कहता हूं कि सब मिलकर कितना ही करो जब तक

---

* उन को अवश्य योग्य है कि सत्य के आचरण और असत्य के छोड़ने में अति हर्षोत्साह युक्त हो के निन्दा स्तुति हानि लाभ आदि की प्राप्ति में शोक और हर्ष कभी न करें।

कोई मनुष्य मूढ़ होय, सत्यमत का ग्रहण नहीं करता, तबतक अपना और दूसरे का विजय कभी नहीं कर सकता और न करा सकता है क्या दूसरे की वृथा प्रशंसा से हर्षित होकर स्वामी विशुद्धानन्दजी का बहुत हंसना बालकों का खेल नहीं है ! और जो कोई अपनी योग्यता के सदृश वर्त्तमान न करे वह संशय में मग्न होकर विनष्ट क्योंकर न होवे ॥

अब मैं सूचना करता हूं कि बुद्धिमान् आर्य लोग कभी राजाजी और स्वामी विशुद्धानन्दजी के हास्यास्पद लेख को देख उस पर विश्वास कर इस ( कारक निपतिताः ) महाभाष्योक्त वचनार्थ के सदृश होकर धर्मफल आनन्द से छूट कर दुर्गन्ध गढ़े और दुःखसागर में जा न गिरें ।

रा०—हम केवल वेद को संहितामात्र मानते हैं एक ईशावास्य उपनिषद् संहिता है और सब उपनिषद् ब्राह्मण हैं । ब्राह्मण हम कोई नहीं मानते सिवाय संहिता के हम और कुछ नहीं मानते हैं ॥

स्वा०—जैसा यह राजाजी का लेख है वैसा मैंने नहीं कहा था, किन्तु जैसे नीचे लिखा है वैसा कहा गया था । तद्यथा—

रा०—आपका मत क्या है ।

स्वा०—वैदिक ।

रा०—आप वेद किसको मानते हैं ।

स्वा०—संहिताओं को ।

रा०—क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ।

स्वा०—मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य उपनिषदों को नहीं मानता, किन्तु अन्य सब उपनिषद् ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं । वे ईश्वरोक्त नहीं हैं।

रा०—क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ।

स्वा०—नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है वही वेद होता है जीवोक्त को वेद नहीं कहते, जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे सब ऋषि मुनि प्रणीत और संहिता ईश्वरप्रणीत है। जैसा ईश्वर के सर्वज्ञ होने से तदुक्त निर्भ्रान्त सत्य और मत के साथ स्वीकार करने योग्य होता है वैसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं परन्तु जो २ वेदानुकूल ब्राह्मण ग्रन्थ हैं उनको मैं मानता और विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूं। वेद स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों का त्याग होता

से ब्राह्मण ग्रन्थों से विरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सर्वथा सबको माननीय ही हैं यह मेरे पत्र का लेख उन के भ्रमजाल निवारण का हेतु विद्यमान ही था परंतु मेरा लेख क्या कर सकता है जो राजाजी मेरे लेख को समझने की विद्याही नहीं रखते तो क्या इसमें राजाजी का दोष नहीं है ? ॥

रा०—वादी कहता है * जो संहिता ईश्वरप्रणीत है तो ब्राह्मण भी ईश्वरप्रणीत हैं ॥

स्वा०—देखिये राजाजी की मिथ्या आडम्बरयुक्त लड़कपन की बात को जैसे कोई कहे कि जो पृथिवी और सूर्य ईश्वर के बनाये हैं तो घड़ा और दीप भी ईश्वर ने रचे हैं ॥

रा०—और जो ब्राह्मण ग्रन्थ सब ऋषि मुनि प्रणीत हैं तो संहिता भी ऋषि मुनि प्रणीत हैं ॥

स्वा०—यह भी ऐसी बात है कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रणीत है तो ऋग्यजुः साम और अथर्व चारों वेद भी उन्हीं के प्रणीत हैं ॥

रा० वादी को आप अपना प्रतिध्वनि समझिये † ।

स्वा०—देखिये राजाजी की अविद्या के प्रकाश को, क्या प्रतिवादी का प्रतिध्वनि वादी कभी हो सकता है क्योंकि जैसा शब्द और उसमें जैसे पद अक्षर और मात्रा होती हैं वैसा ही प्रतिध्वनि सुनने में आता है विपरीत नहीं कोई बालबुद्धि भी नहीं कह सकता कि वादी अपने मुख से प्रतिवादी ही के शब्दों को निकाले विरुद्ध नहीं जबतक प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं करता तबतक वह उसका वादी कभी नहीं हो सकता जैसे कुआ में से प्रतिध्वनि सुना जाता है क्या वह वक्ता के शब्द से विरुद्ध होता है ? ।

---

* क्या विद्या और सुशिक्षारहित मनुष्य प्रश्न और उत्तर करना कभी जान सकता है । ...युक्त ही नहीं हैं तो वादी कदापि यथा...

...को अपना प्रतिध्वनि समझना क्योंकि ...े प्रतिवादी से अविरुद्ध

रा०—आप ने लिखा वेदसंहिता स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं यह कहना है कि जो ऐसा है तो ब्राह्मण ही स्वतःप्रमाण हैं आप का संहिता परतःप्रमाण होगा ॥

स्वा०—यह आप का कहना ठीक नहीं है ऐसे कोई कहे कि जो सूर्य और दीप स्वतः प्रकाशमान हैं तो घटपटादि भी स्वतः प्रकाशमान हैं।

रा०—आपने लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नव ९ पृष्ठ से ले ८८ अट्ठासी के पृष्ठ तक वेदोत्पत्ति वेदों का नित्यत्व और वेदसंज्ञा विचार विषयों को देख लीजिये निदान देखा तो महाराज निदान के पकड़े में तो और भी भ्रांति में पड़ गया मुझे तो इतना ही भान हुआ न हुआ कि आप ने संहिता को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्यों परित्याग किया और यदि तो संहिता जैसा ब्राह्मण को वेद मान जो आप ने वेद के अनुकूल लिखा उसे अनुकूल और जो ब्राह्मण के प्रतिकूल लिखा उसे संहिता के भी प्रतिकूल समझता है ॥

स्वा०—यह सच है कि जो अविद्वान् होकर विद्वत्ता का अभिमान करे वह अपनी अयोग्यता से सुख छोड़कर दुःख क्यों न पावे ॥ मैंने वेदों को स्वतःप्रमाण मानने और ब्राह्मणों को परतःप्रमाण मानने में कारण इस भ्रमोच्छेदन के इसी पृष्ठ में आगे लिखे हैं। क्या बांचते समय आप की बुद्धि और आंखें अन्धकारावृत होगये थे परन्तु जो २ वेदानुकूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं उन को मैं मानता और विरुद्धार्थों को नहीं मानता हूं वेद स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मणग्रन्थों का त्याग होता है वैसे ब्राह्मणग्रन्थों से विरुद्ध होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता क्योंकि वेद सर्वथा सब को माननीय हैं।

रा०—तस्माद्यज्ञात् अजायत अर्थात् उस यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए पृष्ठ १० पङ्क्ति २६ में आप शतपथ आदि ब्राह्मण का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ विष्णु और विष्णु परमेश्वर।

स्वा०—जो राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़े होते तो सन्निपाती के सदृश चेष्टा करके भ्रम-जाल में न पड़ते क्योंकि तच्छब्द सर्वत्र पूर्वपरामर्शक होता है इसी से मैंने (सहस्रशीर्षा पुरुषः) यहां से लेके (माम्यायस्वये) यहांतक जो छः मन्त्रों से प्रतिपादित निमित्त कारण परमात्मा पूर्वोक्त है उस का भागर्ष अर्थात् अनुकर्षण करके कथित किया है देखो इसी के आगे भूमिका के पृष्ठ ८ पंक्ति १७ तस्य पुरस्ताद् वर्गांचसस्तपस्परादित्तानि

पूर्णात्पुरुषात् सर्वहुतात् सर्वपूज्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः (ऋचः) ऋग्वेदः (यजुः) यजुर्वेदः (सामानि) सामवेदः (छन्दांसि) अथर्ववेदश्च (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्। यह सर्वहुत और यज्ञविशेषण पूर्ण पुरुष के हैं (तस्मात्) अर्थात् जो सब का पूज्य सर्वोपास्य सर्वशक्तिमान पुरुष परमात्मा है उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं इत्यादि से यहां वेदों ही के प्रमाण से चार वेदों को स्वतःप्रमाण से सिद्ध किया है यद्यपि यहां यज्ञ शब्द भी पूर्ण परमात्मा का विशेषण है तथापि जैसा मैंने अर्थ किया है वैसा ब्राह्मण में भी है इस साक्षी के लिये (यज्ञो वै विष्णुः) यह वचन लिखा है और जो ब्राह्मण में मूल से विरुद्ध अर्थ होता तो मैं उसका वचन साक्षी के अर्थ कभी न लिखता जो इस प्रकार से पद, वाक्य, प्रकरण और ग्रन्थ की साक्षी आकाङ्क्षा योग्यता आसत्ति और तात्पर्यार्थ को पक्षी राजाजी और स्वामी विशुद्धानन्दजी जानते वा किसी पूर्ण विद्वान् की सेवा करके वाक्य और प्रकरण के शब्दार्थ सम्बन्धों के जानने में तन मन धन लगा के अत्यन्त पुरुषार्थ से पढ़ते तो यथावत् क्यों न जान लेते * ॥

(रा०—पृष्ठों को कुछ उलट पलट किया तो विचित्र लीला दिखाई देती है आप पृष्ठ ८१ पङ्क्ति ३ में लिखते हैं कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद है पृष्ठ ५२ में लिखते हैं प्रमाण ८ हैं और फिर पृष्ठ ५३ में लिखते हैं चौथा शब्दप्रमाण आप्तों के उपदेश पांचवां ऐतिह्य सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश तो आप के निकट कात्यायन ऋषि आप्त और सत्यवादी विद्वान् नहीं थे) † ॥

स्वा० इस का प्रत्युत्तर मेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पृष्ठ ८० पङ्क्ति २८ से लेके पृष्ठ ८८ अठासी तक में लिख रहा है जो चाहे सो देख लेवे और जो वहां (एवं तेनानुक्तत्वात्) इस वचन का यही अभिप्राय है कि (मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्) यह वचन कात्यायन ऋषि का नहीं है किन्तु किसी धूर्तराट् ने कात्यायन ऋषि के नाम से बनाकर प्रसिद्ध कर दिया है जो कात्यायन ऋषि का कहा होता तो

* पढ़ते हैं वे पदार्थों को यथावत् कभी नहीं जान

† नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध

सब ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध न होगा ० क्या आप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं वैसा पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं मानते जो कभी आप्त मानते हो तो पाणिनि आदि ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यों लिखते और जो कहो कि इस वचन को कात्यायन का ही मानोगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप पाणिनि आदि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर एक को आप्त कैसे मान सकते और जो उनको भी आप्त मानते हो तो मन्त्रसंहिता ही वेद है उनके इस वचन मानकर तद्विरुद्ध ब्राह्मण को वेदसंज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते क्यों एक विषय में परस्पर विरोधी दो वचन सत्य कभी नहीं हो सकते और जो ऐसे आप्त ऋषियों को छोड़कर एक ही को आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता है वह कभी विद्वान् नहीं कहा जा सकता ॥

रा०—आप लिखते हैं कि ब्राह्मण में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं सं देहधारी हैं अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथब्राह्मण के अनुसार जमदग्नि का अर्थ चक्षु और कश्यप का अर्थ प्राण है अतएव वह वेद है ॥

स्वा०—ब्राह्मणों में जमदग्नि आदि देहधारियों का नाम यों है कि जहां २ ब्राह्मणग्रन्थों में उनकी कथा लिखी है वहां २ जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है वैसा उनका भी लिखा है इसलिये वहां देहधारी का ग्रहण करना योग्य है और जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं होसकी वहां इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता जो वेदों में इतिहास होते तो वेदादि और सब से प्राचीन नहीं हो सकते क्योंकि जिस का इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता है वह ग्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात् होता है जब कि वेदों में ( त्र्यायुषं जमदग्नेः० ) इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थविद्यायुक्त होनी ही उचित है इस से उनमें इतिहास का होना सर्वथा असम्भव है जिसलिये जैसा मूलार्थ प्रतीत होने के कारण जमदग्नि आदि शब्दों से चक्षु आदि ही अर्थों का ग्रहण करना योग्य है वैसा ही ब्राह्मणग्रन्थों और निरुक्त आदि में लिखा है इसलिये यह मैंने अपने किये अर्थों के सत्य होने के लिये साक्ष्यर्थमात्र लिखा है । राजाजी जो इस बात को जानते और इन ग्रन्थों को पढ़े होते तो भ्रमजाल में फँसकर दुःखित न होते ॥

रा०—उस में भी क्या उपनिषद् संज्ञी और इतिहासपुराणादि संज्ञा है ? अथवा ऋग्वेदादि क्रमानुसार उनका संज्ञी वा संज्ञा है ? ॥

हज़ारह आप्तों का एक अविरुद्ध मत होता है मूर्ख दो का भी एकमत होना कठिन है ।

स्वा०—इस का उत्तर यह है कि एक ईशावास्य उपनिषद् तो यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय होने से वेद है और केन से ले के बृहदारण्यकपर्यन्त ९ नव उपनिषद् ब्राह्मणान्तर्गत होने से उन की भी इतिहासादि संज्ञा ब्राह्मणानीतिहासान० इस पूर्वोक्त वचन से है इस से ( एवं वाअरे० ) इस वचन में निमित्तकारण कार्यसम्बन्ध होने से संज्ञा संज्ञीसम्बन्ध नहीं घट सकता परन्तु राजासाहब के सदृश अविद्वान् तो ( मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी ) ऐसा लिखने वा कहने में कुछ भी भययुक्त वा लज्जावान् नहीं होते * ॥

रा०—आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं यदि आप इतना और मानलें कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के प्रमाण के तुल्य है ॥

स्वा०—अविद्वान् को कभी विद्या रहस्य के समझने की योग्यता नहीं हो सकती क्या ऐसा कोई विद्वान् भी सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अनुकूल होने से मूल का प्रमाण और प्रतिकूल होने से अप्रमाण और व्याख्या के मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण और अनुकूल होने से अप्रमाण होवे इसलिये मन्त्र भाग मूल होने से ब्राह्मण ग्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथापि सर्वथा माननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या होने से मूलार्थ से विरुद्ध हो तो अप्रमाण और अनुकूल हो तो प्रमाण होकर माननीय होने के कारण परतःप्रमाण हैं । क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में सर्वत्र संहिताओं के मंत्रों की प्रतीक धर धर के पद वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या की है इसलिये मन्त्रभाग मूल व्याख्येय और ब्राह्मण ग्रन्थ व्याख्या है ॥

रा०—आप लिखते हैं तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । इसका अर्थ सीधा २ यह मान लेवें कि आप के चारों वेद और उन के छओं अङ्ग अपरा हैं जो परा उस से अक्षर में अधिगमन होता है अपना फिरावट का वा अर्थाभास छोड़ दें किमधिकमिदलम् ।

स्वा०—यहां तक आप का जो उटपटांग लेख है उस को कौन पढ़कर परता है

---

* विद्यायुक्तों ही को अन्यथा कहने और लिखने में शर्म वा भय होता है अविद्यायुक्त पारकों को नहीं ।

सब ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध न होता ※ क्या आप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं वैसा पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं मानते जो कभी आप्त मानते हो तो पाणिनि आदि आप्तों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यों लिखते और जो कहो कि हम इस वचन को कात्यायन का ही मानेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप पाणिनि आदि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर एक को आप्त कैसे मान सकते हो और जो उनको भी आप्त मानते हो तो मन्त्रसंहिता ही वेद है उनके इस वचन को मानकर तद्विरुद्ध ब्राह्मण को वेद संज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते क्योंकि एक विषय में परस्पर विरोधी दो वचन सत्य कभी नहीं हो सकते और जो सैकड़ों आप्त ऋषियों को छोड़कर एक ही को आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता है वह कभी विद्वान् नहीं कहा जा सकता ॥

रा०—आप लिखते हैं कि ब्राह्मण में जमदग्नि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं सो देहधारी हैं अतएव वह वेद नहीं और संहिता में शतपथब्राह्मण के अनुसार जमदग्नि का अर्थ चक्षु और कश्यप का अर्थ प्राण है अतएव वह वेद है ॥

स्वा०—ब्राह्मणों में जमदग्नि आदि देहधारियों का नाम यों है कि जहां २ ब्राह्मण ग्रन्थों में उनकी कथा लिखी है वहां २ जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है वैसा उनका भी लिखा है इसलिये वहां देहधारी का ग्रहण करना योग्य है और जहां मनुष्यों के इतिहास लिखने की योग्यता नहीं होसकी वहां इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता जो वेदों में इतिहास होते तो वेदादि और सबसे प्राचीन नहीं हो सकते क्योंकि जिस का इतिहास जिस ग्रन्थ में लिखा होता है वह ग्रन्थ उस मनुष्य के पश्चात् होता है जब कि वेदों में (त्र्यायुषं जमदग्नेः०) इत्यादि मन्त्रों की व्याख्या पदार्थविद्यायुक्त होनी ही उचित है इस से उनमें इतिहास का होना सर्वथा असम्भव है जिसलिये जैसा मूलार्थ प्रतीत होने के कारण जमदग्नि आदि शब्दों से चक्षु आदि ही अर्थों का ग्रहण करना योग्य है वैसा ही ब्राह्मणग्रन्थों और निरुक्त आदि में लिखा है इसलिये यह मैंने अपने किये अर्थों के सत्य होने के लिये साक्ष्यमात्र लिखा है । राजाजी जो इस बात को जानते और इन ग्रन्थों को देखे होते तो भ्रमजाल में फँसकर दुःखित न होते ॥

रा०—उस में भी क्या उपनिषद् संज्ञी और इतिहासपुराणादि संज्ञा है ! उपदेशादि क्रमानुसार उनका संज्ञी या संज्ञा है ! ॥

※ इस १६ भाष्यों का एक अविरुद्ध मत होता है यहां दो का भी एकमत होना कठिन है।

स्वा०—इस का उत्तर यह है कि एक ईशावास्य उपनिषद् तो यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय होने से वेद है और केन से ले के बृहदारण्यकपर्यन्त ९ नव उपनिषद् ब्राह्मणान्तर्गत होने से उन की भी इतिहासादि संज्ञा ब्राह्मणानीतिहासान्० इस उक्त वचन से है इस से ( एवं वाऽरे० ) इस वचन में निमित्तकारण कार्यसम्बन्ध होने से संज्ञा संज्ञिसम्बन्ध नहीं घट सकता परन्तु राजासाहब के सदृश अविद्वान् तो ( मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी ) ऐसा लिखने वा कहने में कुछ भी भययुक्त वा लज्जावान् नहीं होते * ॥

रा०—आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं यदि आप इतना और मानलें कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिता के प्रमाण के तुल्य है ॥

स्वा०—अविद्वान् को कभी विद्या रहस्य के समझने की योग्यता नहीं हो सकती क्या ऐसा कोई विद्वान् भी सिद्ध कर सकता है कि व्याख्या के अनुकूल होने से मूल का प्रमाण और प्रतिकूल होने से अप्रमाण और व्याख्या के मूल से प्रतिकूल होने से प्रमाण और अनुकूल होने से अप्रमाण होवे इसलिये मन्त्र भाग मूल होने से ब्राह्मण ग्रन्थों से अनुकूल वा प्रतिकूल हो तथापि सर्वथा माननीय होने के कारण स्वतःप्रमाण और ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्या होने से मूलार्थ से विरुद्ध हो तो अप्रमाण और अनुकूल हो तो प्रमाण होकर माननीय होने के कारण परतःप्रमाण हैं । क्योंकि ब्राह्मणग्रन्थों में सर्वत्र संहिताओं के मंत्रों की प्रतीक धर धर के पद वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या की है इसलिये मन्त्रभाग मूल व्याख्येय और ब्राह्मण ग्रन्थ व्याख्या है ॥

रा०—आप लिखते हैं तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । इसका अर्थ सीधा २ यह मान लेवें कि आप के चारों वेद और उन के छओं अङ्ग अपरा हैं जो परा उस से अक्षर में अधिगमन होता है अपना लिखावट का या अर्थ कहां साथ छोड़ दें किमधिकमिदलम् ।

स्वा०—यहां तक आप का जो उदाहरण लेख है उस को कौन शुद्ध कर सकता है

* विद्वानों ही को अन्यथा कहने और लिखने में शर्म का भय होता है अविद्यायुक्त बालकों को नहीं ।

क्योंकि इसी भूमिका के पृष्ठ ४२ पङ्क्ति ३ में 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इस उपनिषद् के वचन ने आप के सीधे २ अर्थ को टेढ़ा २ कर दिया देखो यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता जिस का अभ्यास सब वेद करते हैं उस ब्रह्म का उपदेश मैं तुझ से करता हूं तू सुन कर धारण कर जब ऐसा है तो वेदों अर्थात् मन्त्रभाग में परा विद्या क्यों नहीं । देखो तमीशानं इत्यादि मन्त्र ऋग्वेद । परीत्य भूतानि इत्यादि और ईशावास्य इत्यारभ्य ओं खं ब्रह्म पर्यन्त मन्त्रयुक्त ४० चालीसवां अध्यायस्थ मन्त्र यजुर्वेद । दधन्वेवायदीमनुवोचद्ब्रह्मेति वेरुतत् । इत्यादि मन्त्र सामवेद ब्रह्मश्च इत्यादि मन्त्र अथर्ववेद में हैं जब वेदों में हजारह मन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक हैं जिन में से थोड़े से मन्त्रों का अर्थ भी मैंने भूमिका पृष्ठ ४१ पङ्क्ति २६ से लेके ३० पङ्क्ति की समाप्ति तक लिख रक्खा है जिसको देखना हो देख लेवें भला इतना भी राजाजी को बोध नहीं है कि वेदों में परा विद्या न होती तो केन आदि उपनिषदों में कहां से आती । मूलं नास्ति कुतः शाखाः । क्या जो परमेश्वर अपने कहे वेदों में अपनी स्वरूप विद्या का प्रकाश न करता तो किसी ऋषि मुनि का सामर्थ्य ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था-? क्योंकि कारण के विना कार्य होना सर्वथा असंभव है जो केन आदि नव उपनिषदों को पराविद्या में मानेंगे तो वन से भिन्न आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धर्ववेद अर्थवेद और मीमांसादि छः शास्त्र आदि परा विद्या में क्यों नहीं जब न इस वचन में उपनिषद् और न किसी अन्य ग्रन्थ का नाम लिखा है तो कोई उनका ग्रहण कैसे कर सकता है भला कोई राजाजी से पूछेगा कि आपने ( यया तदक्षरमधिगम्यते सा पराविद्यास्ति ) इस वाक्य से कौन से ग्रन्थों का नाम निश्चित किया है यया ( यया ) इस पद से कोई विशेष ग्रन्थ भी आ सकता है और जो मैंने वेदों में परा और अपरा विद्या लिखी है उसको कोई विपरीत भी कर सकता है कभी नहीं इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजाजी संस्कृत विद्या के वेदादि ग्रन्थों को न पढ़ कर उन्हीं से प्रश्नोत्तर किया चाहते और जैसी स्वामी विशुद्धानन्दजी ने विना सोचे समझे सम्मति कर दी है वैसे साहस न करना चाहिये किन्तु सब २ विद्या में योग्य हों के किसी से विचारार्थ प्रवृत्त होना चाहिये ॥

प्रश्न—आप ने अपने दूसरे पत्र में राजाजी को लिख कर प्रश्न करने और उत्तर समझने से क्योंकि [illegible] देना चाहता न था फिर अब क्यों लिखते उत्तर देते हो ? ॥

उत्तर-जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति न लिखाते तो मैं इस प्रश्न के उत्तर में एक अक्षर भी न लिखता क्योंकि उनको तो जैसा अपने पत्र में लिख चुका हूं वैसा ही निश्चित जानता हूं ॥

प्रश्न-इस संवाद में आप प्रतिपक्षी राजाजी को समझते हो वा स्वामी विशुद्धानन्दजी को ? ॥

उ०-स्वामी विशुद्धानन्दजी को क्योंकि राजाजी तो विचारे संस्कृत विद्या पढ़े ही नहीं उनके सामने मेरा लेख ऐसा होवे कि जैसा बधिर के सामने अत्यन्त निपुण गाने वाले का वीणा आदि बजाना और षड्जादि स्वरों का यथायोग्य आलाप करना होता है ॥

प्र०-जो तुम पक्षी राजाजी को छोड़ कर स्वामी विशुद्धानन्दजी को आगे धरते हो सो यह न्याय की बात नहीं है ? ॥

उ०-यह मुझ वा किसी को योग्य नहीं है कि संस्कृत में कुछ योग्य विद्वान् को छोड़कर अयोग्य के साथ संवाद चलावे न राजाजी को योग्य है कि अपने साक्षी को छोड़ें और स्वामी विशुद्धानन्दजी को भी योग्य है कि अपने शरणागत आये राजाजी की रक्षा से विमुख न हो बैठें * ॥

प्र०-स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी आदि काशी के सब विद्वान् और बुद्धिमान् मिलकर राजाजी का पक्ष लेकर आप से शास्त्रार्थ वा लेख करेंगे तो आप को बड़ा कठिन पड़ेगा ! ॥

उ०-मैं परमेश्वर की साक्षी से सत्य कहता हूं कि जो ऐसा वे करें तो मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सब को विदित करता हूं कि यह बात कल होती हो तो आज ही होवे जो ऐसी इच्छा मेरी न होती तो मैं काशी में विज्ञापनपत्र क्यों लगवाता और स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा बालशास्त्रीजी को प्रतिपक्षी स्वीकार क्यों करता ॥

प्र०-वे हैं बहुत और आप अकेले हो कैसे संवाद कर सकोगे ? ॥

उ०-इसके होने में कुछ असम्भव नहीं क्योंकि जब सब काशी और अन्यत्र के विद्वान् और बुद्धिमान् लोग अपना अभिप्राय पत्रस्थ कर वा सन्मुख जाके स्वामी विशुद्धानन्दजी वा बालशास्त्रीजी को विदित कराते जायंगे और वे उन लेख वा वचनों को देख सुन उनमें से इष्ट को ले मुझसे सन्मुख वा पत्रद्वारा इन दो बातों में से जिस

---

* यह धार्मिक विद्वानों का काम नहीं है कि जिसको शरणागत लेवें उसे छोड़कर विश्वासघात कर बैठें ॥

# विज्ञापन ॥

पहिले कमीशन में पुस्तकें मिलती थीं अब नक़द नफ़ा मिलेगा ।

डाकमहसूल सबका मूल्य से अलग देना होगा ॥

| विक्रयार्थ पुस्तकें | मूल्य | विक्रयार्थ पुस्तकें | मूल्य |
|---|---|---|---|
| ऋग्वेदभाष्य ( ९ भाग ) | २०) | सत्यार्थप्रकाश ( बंगला ) | १ |
| यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण | १०) | संस्कारविधि | [illegible] |
| ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | १) | " बढ़िया | ॥=) |
| वेदाङ्गप्रकाश १४ भाग | ४।≈)॥। | विवाहपद्धति | । |
| अष्टाध्यायी मूल | ≈)॥ | आर्याभिविनय गुटका | ≈) |
| पंचमहायज्ञविधि | -)॥ | शास्त्रार्थ फ़ीरोज़ाबाद | [illegible] |
| " बढ़िया | =) | आ० स० के नियमोपनियम | [illegible] |
| निरुक्त | ॥=) | वेदविरुद्धमतखण्डन | [illegible] |
| शतपथ ( १ काण्ड ) | १) | वेदान्तिध्वान्तनिवारण (नागरी) | ) |
| संस्कृतवाक्यप्रबोध | ≈) | " (अंग्रेज़ी) | [illegible] |
| व्यवहारभानु | ≈) | भ्रान्तिनिवारण | [illegible] |
| भ्रमोच्छेदन | )॥। | शास्त्रार्थकाशी | ) |
| अनुभ्रमोच्छेदन | )॥। | स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश (नागरी) | ) |
| सत्यधर्मविचार (मेलाचांदापुर)नागरी | -) | तथा ( अंग्रेज़ी ) | ) |
| " " ( उर्दू ) | -) | मूलवेद साधारण | ४) |
| आर्य्योद्देश्यरत्नमाला ( नागरी ) | )। | तथा बढ़िया | ४॥ |
| " ( मरहठी ) | -) | अनुक्रमणिका | २॥ |
| " ( अंग्रेज़ी ) | )॥। | शतपथब्राह्मण पूरा | ४) |
| गोकरुणानिधि | -) | ईशादिदशोपनिषद् मूल | ॥=) |
| स्वामीनारायणमतखण्डन | -)॥ | छान्दोग्योपनिषद् संस्कृत तथा हिन्दी भाष्य | ३) |
| हवनमंत्र | )। | यजुर्वेदभाषाभाष्य | २) |
| आर्याभिविनय बड़े अक्षरों का | ।=) | बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्य | ३) |
| सत्यार्थप्रकाश नागरी | १) | | |

पुस्तक मिलने का पता—

प्रबन्धकर्त्ता,

# GOVERNMENT OF INDIA.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

# THE PRESIDENCY TOWNS INSOLVENCY ACT, 1909.

(ACT III OF 1909.)

## सर्कार हिन्द।

आईन बनाने का महिकमा।

## प्रेसिडेन्सी शहरों का दिवाले का ऐक्ट, सन १९०९।

(ऐक्ट नं० ३ सन १९०९।)

दफ़े।



अपील।



---

## हिस्सा २।

दिवाले के काम, से लेके छुटकारे तक की कार-रवाइयां।

दिवाले के काम।



अदालत की तजवीज़ का हुक्म।



अदालत की तजवीज़ का रद किया जाना।

INDIA ACT III of 1909.

## सरकार हिन्द।

[illegible]

## एक्ट नं० ३, सन १९०९।

प्रेसिडेन्सी शहरों का दिवाले [illegible] सन १९०९।

### मज़मून।

पहली बातें।

दफे।

१। मुख्तसर नाम और काम में आने का वक्त।

२। तारीफें।

## हिस्सा १।

अदालत की बनावट, और इख्तियार।

मुकद्दमे सुनने का इख्तियार।

३। दिवाले की निस्बत मुकद्दमे सुनने का इख्तियार रखने-वाली अदालतें।

४। इख्तियार जिस को सिर्फ एकही जज काम में लाएगा।

५। चेम्बर में बैठ के मुकद्दमे सुनने का इख्तियार काम में लाना।

६। अदालत के अफसरों को इख्तियारों का दिया जाना।

INDIA ACT III OF 1909.

## सर्कार हिन्द।

क़ानून बनाने का महकमा।

## ऐक्ट नं० ३, सन १९०९।

प्रेसिडेन्सी शहरों का दिवाले का ऐक्ट, सन १९०९।

### मज़मून।

पहली बातें।

दफ़े।

१। मुख़्तसर नाम और काम में आने का वक़्त।

२। तारीफ़ें।

### हिस्सा १।

अदालत की बनावट, और इख़्तियार।

मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार।

३। दिवाले की निसबत मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार रखने-वाली अदालतें।

४। इख़्तियार जिस को सिर्फ़ एकही जज काम में लाएगा।

५। चेम्बर में बैठ के मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार काम में लाना।

६। अदालत के अफ़सरों को इख़्तियारों का दिया जाना।

## हिस्सा ४।

सरकारी असाइनी।

दफ़े।



## हिस्सा ५।

देख-भाल की कमेटी।



## हिस्सा ६।

कार-रवाई।



## हिस्सा ७।

तकारी।

---

## हिस्सा ३।

### जायदाद का बन्दोबस्त।

#### देन का सुबूत।



जायदाद जो देनों के अदा करने के लिए हो।



पहले के लेन देन पर दिवाले का असर।

दफ़े।

५४। जारी होने में जो हुई जायदाद की निसबत डिग्री जारी करने-वाली अदालत के काम।

५५। अपनी खुशी से किए हुए इन्तिक़ाल का रद होना।

५६। कई एक हालतों में एक से दूसरे को बढ़के सम‌झना रद होना।

५७। नेकनीयती से किए हुए कामों का बचाना।

## जायदाद का वसूल होना।

५८। सरकारी अमानती का जायदाद पर क़ब्ज़ा करना।

५९। दिवालिये की जायदाद की कुर्की।

६०। क़र्ज़ देने-वालों के लिए तनख़ाह या और किसी आमदनी के हिस्से का उठा रखना।

६१। जायदाद का सौंपना और इन्तिक़ाल करना।

६२। बखेड़े की जायदाद का दावा छोड़ देना।

६३। पट्टे की रू से रही हुई ज़मीनों का दावा छोड़ देना।

६४। दावा छोड़ देने के लिए सरकारी अमानती से कहने का इख़्तियार।

६५। कौल करार रद करने के लिए अदालत का इख़्तियार।

६६। छोड़ी हुई जायदाद की निसबत हवाले करने का हुक्म देने के लिए अदालत का इख़्तियार।

६७। वे आदमी जिन को दावा छोड़ने से नुक़सान पहुंचे, साबित कर सक्ते हैं।

६८। वसूल होने की निसबत सरकारी अमानती के काम और इख़्तियार।

## जायदाद का बांटना।

६९। पहलों का जताना और बांटना।

७वां भाग।

## हिस्सा ५।

### देख-भाल की कमेटी।



## हिस्सा ६।

### कार-रवाई।

# पहला शिड्यूल।

(दफ़ा ११ को देखो)

---

भाग १।

कर्ज़ देने-वालों की बैठक (मिटिंग)।

१। कर्ज़ देने-वालों की बैठक।

२। बैठक करना।

३। बैठक की इत्तिला।

४। जो खाता आय सो दिवालिए को हाज़िर होना चाहिए।

५। इत्तिला न पाने के सबब कार-रवाइयों का रद न होना।

६। इत्तिला जारी होने का सुबूत।

७। बैठक का ढंग।

८। चेयरमैन।

९। वोट देने का हक़।

१०। कई एक देन की निस्बत राय का न होना।

११। ज़मानत रखके कर्ज़ देने-वाला।

१२। बिकने लायक दस्तावेज़ों के लिए सुबूत।

१३। ज़मानत छोड़ देने के लिए कर्ज़ देने-वाले को चाहने का इख़्तियार।

१४। साझीदार की तरफ़ से सुबूत।

१५। सुबूत लेने या नामंज़ूर करने का सरकारी असाइनी का इख़्तियार।

१६। प्राक्सी।

१७। प्राक्सी-नामा।

१८। आम प्राक्सी।

१९। बैठक होने के एक दिन पहले प्राक्सी का दाख़िल किया जाना

२०। प्राक्सी के तौर से सरकारी असाइनी।

दफ़े।

२१। बैठक का रोक रखना।

२२। कार-रवाइयों की मिनिट।

---

## दूसरा हिस्सा।

[दफ़े ४८ को देखो।]

देनों का सुबूत।

मामूली हालतों में सुबूत।

१। सुबूत दाखिल करने का वक़्त।
२। सुबूत दाख़िल करने का तौर।
३। हलफ़ी बयान करने का इख़तियार।
४। हलफ़ी बयान में क्या लिखा जाएगा।
५। जो क़र्ज़ देने-वाला अमानत रखता हो तो वह बात हलफ़ी बयान में लिखी जाएगी।
६। देनों के साबित करने का ख़र्च।
७। सुबूत देखने और जांचने का हक़।
८। सुबूत से काट दिया जाना।

अमानत रख कर क़र्ज़ देने-वाले की तरफ़ से सुबूत

९। सुबूत जहां अमानत वसूल की गई हो।
१०। सुबूत जहां अमानत हवाले की जाए।
११। और और हालतों में सुबूत।
१२। अमानत की क़ीमत ठहराना।
१३। ठहराई हुई क़ीमत का तर्मीम करना।
१४। ज़्यादे पाए हुए रुपए का लौटा देना।
१५। जहां अमानत पीछे से वसूल की गई हो तो रक़म बदल करना।

दफ़े।

१६। पहले में हिस्सा पाने से निकाल दिया जाना।

१७। पाने की हद।

रिहन रखी हुई जायदाद और उस की बिक्री का हिसाब देना।

१८। रिहन वगैरह की छानबीन।

१९। क़बाला।

२०। बिक्री से आय हुए रुपए।

२१। छानबीन करने पर कार-रवाइयां।

वक़्त वक़्त पर रुपए की चुकती।

२२। वक़्त वक़्त पर रुपए की चुकती।

सूद।

२३। सूद।

आगे को दिए जाने लायक़ देन।

२४। आगे को दिए जाने लायक़ देन।

सुबूत का लेना या नामञ्ज़ूर करना।

२५। सुबूत का लेना या न लेना।

२६। अदालत उस सुबूत को काट दे सकती है जो बेजा तौर से लिया गया हो।

२७। सुबूत बढ़ा या घटा देने के लिए अदालत का इख़्तियार।

---

## तीसरा शिड्यूल।

(देखो दफ़ा १२०।)

दर किए हुए ऐक्ट।

## प्रेसिडेन्सी शहरों और शहर रंगून में दिवाले के आईन को तर्मीम करने के लिए एक्ट।

चूंकि यह मुनासिब है कि प्रेसिडेन्सी शहरों और रंगून में दिवाले को निस्बत आईन तर्मीम किया जाए, इस लिए इस को रू से नीचे लिखा हुआ आईन बनाया जाता है:—

### पहली बातें।

मुख़्तसर नाम और काम में आने का वक़्त।

१। (१) यह एक्ट प्रेसिडेन्सी शहरों का दिवाले का एक्ट, सन १९०९ कहलाया जाए।

(२) यह सन १९१० के जनवरी महीने की पहली तारीख़ को काम में आएगा।

तारीफ़ें।

२ (१) । इस एक्ट में जब कोई बात मज़मून या क़रीने से उलटी न हो, तो—

(अ) "क़र्ज़ देने-वाले" में डिग्रीदार शामिल है;

(ब) "क़र्ज़" में डिग्री से दिलाया हुआ क़र्ज़, और "मद्यून" में मद्यून डिग्री शामिल है;

(स) "सर्कारी असाइनी" में क़ायम-मक़ाम सर्कारी असाइनी शामिल है;

(ड) "ठहराया हुआ" से क़ायदों से ठहराया हुआ समझा जाता है;

(ई) "जायदाद" में ऐसी कोई जायदाद शामिल है जिस पर या जिस के नफ़ों पर किसी आदमी को ठिकाने लगाने का ऐसा इख़्तियार है जिसे वह अपनेही फ़ायदे के लिए काम में ला सक्ता है;

(फ़) "क़ायदों" से इस एक्ट की रू से बनाए हुए क़ायदे समझे जाते हैं;

(ग़) "ज़मानत पर क़र्ज़ देनेवाले" में ऐसा कोई क़र्ज़दार शामिल है जो उस वक़्त काम में आते हुए किसी आईन की रू से ज़मीन पर उस ज़मीन के लगान के लिए बार रखता है;

(ऋ) "अदालत" से वह अदालत समझी जाती है जो इस एक्ट को रू से पद इख़्तियार काम में लाती है; और

(ऐ) "जायदाद के इन्तिकाल" में उस में के किसी हक़ या इन्तिक़ाल और उस पर खड़ा किया हुआ कोई बार शामिल है।

---

## हिस्सा १।

### अदालत की बनावट और इख़्तियार।

#### मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार।

दिवाले की निसबत मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार रखने-वाली अदालतें।

३। (१) अदालतों से जिन को इस एक्ट की रू से दिवाले की निसबत मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार है, नीचे लिखी हुई अदालतें समझी जाएंगी—

(अ) अदालत हाई कोर्ट, फ़ोर्ट विलियम, मदरास और बम्बई; और

(ब) चीफ़ कोर्ट, लोअर बर्मा।

इख़्तियार जिस को सिर्फ़ एकही जज काम में लाएगा

४। ऐसे सब मामले जिन की निसबत इस एक्ट की रू से इख़्तियार दिया गया है मामूली तौर से अदालत के जजों में से एक जज करेगा और ठिकाने लगाएगा या वे उस के हुक्म से किए या ठिकाने लगाए जाएंगे, और चीफ़ जस्टिस या चीफ़ जज वक़्त वक़्त पर उस काम के लिए एक जज नियत करेंगे।

चेम्बर में बैठ के मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार काम में लाना।

५। इस एक्ट और क़ायदों की शर्तों के ताबे होके किसी अदालत या जज जो दिवाले की निसबत मुक़द्दमे सुनने के इख़्तियार काम में लाता हो, मुक़द्दमे सुनने के अपने सारे या उन में से कोई इख़्तियार अपने कमरे में बैठ के काम में ला सक्ता है।

अदालत के अहलकारों को इख़्तियारों का दिया जाना

६। (१) चीफ़ जस्टिस या चीफ़ जज वक़्त वक़्त पर यह हिदायत कर सक्ते हैं कि उन मामलों में जिन की निसबत इस एक्ट की रू से मुक़द्दमे सुनने का इख़्तियार अदालत को दिया गया है, अदालत के किसी अफ़-

सर को जो उन की तरफ़ से इस काम के लिए नियत किया गया हो इस दफ़े में बताए हुए सारे या कुछ इख़्तियार होंगे; और ऊपर बताए हुए इख़्तियारों के काम में लाने में ऐसे अफ़सर की तरफ़ से दिया हुआ कोई हुक्म या किया हुआ कोई काम ऐसा समझा जाएगा कि वह अदालत का हुक्म या काम है।

(२) वह इख़्तियार जिन का हवाला हिस्से-दफ़े (१) में किया गया है, नीचे लिखे हुए हैं, यानी :—

(क) दिवाले की उन दरख़ास्तों के सुनने का जो मदयून पेश करे और उन पर तजवीज़ का हुक्म देने का;

(ख) दिवालियों के सब के सामने इज़हार लेने का;

(ग) किसी ऐसे हुक्म के देने या इख़्तियार काम में लाने का जो ऐसा ठहराया गया है कि उस का कमरे में बैठ के देना या काम में लाना ठीक है;

(घ) ऐसी दरख़ास्त को सुनने और फ़ैसल करने का जिस के ख़िलाफ़ जवाब न दिया जाए या जो एकतरफ़ा हो;

(ङ) ऐसे किसी आदमी के इज़हार लेने का जो दफ़े ३६ की रू से अदालत की तरफ़ से बुलाया जाए।

(३) इस दफ़े की रू से नियत किए हुए किसी अफ़सर को यह इख़्तियार न होगा कि वह अदालत की तौहीन के लिए क़ैद करे।

दिवाले की निस्बत पैदा हुई सब बातों के फ़ैसल करने का अदालत का इख़्तियार।

७। इस ऐक्ट की शर्तों के ताबे होके अदालत को पहले पाने के हक़ की बातों और दूसरी बातों के, चाहे वे आईन की या वाक़िआत की हों जो दिवाले के किसी मुक़द्दमे में अदालत के सुनने के इख़्तियार के भीतर आ पड़ें या अदालत जिस को किसी ऐसे मुक़द्दमे में पूरे तौर से इन्साफ़ करने या जायदाद के पूरे तौर से बांटने के लिए मुनासिब या ज़रूरी समझे, फ़ैसल करने का पूरा इख़्तियार होगा।

अपील।

दिवाले की निस्बत अपील।

८। (१) अदालत ऐसे किसी हुक्म को जो वह अपने दिवाले के इख़्तियार के बमूजिब दे, नज़र सानी कर सकती है या उस को रद कर या बदल सकती है।

(२) दिवाले के मामलों की निस्बत हुक्मों की इन से सताए हुए आदमी की दरख़ास्त पर नीचे बताए हुए तौर से अपील की जाएगी यानी :—

(अ) अदालत के किसी ऐसे अफ़सर के दिए हुए हुक्म की अपील जिस को दफ़े ६ की रू से इख़्तियार दिया गया हो उस जज के यहां की जाएगी जो दफ़े ७ की रू से दिवाले के मामलों की कार-रवाई करने और उनको ठिकाने लगाने के लिए नियत किया गया हो और उस जज की इजाज़त को छोड़ के और तौर से कोई और अपील न होगी;

(ब) इस को छोड़ के जिस के लिए खण्ड (अ) में और तौर पर सामान किया गया है, ऐसे हुक्म की अपील जो कोई जज इस एक्ट की रू से उसे दिए हुए इख़्तियार को काम में लाने में दे, उसी तौर से होगी और उन्हीं शर्तों के ताबे होगी जैसे कि उस हुक्म की अपील जिसे किसी जज ने अदालत के पहली बार दावा सुनने के मामूली दीवानी इख़्तियार के काम में लाने में दिया हो।

## हिस्सा २।

दिवाले के काम से लेके छुटकारे तक की कार-रवाइयां।

दिवाले के काम।

दिवाले के काम।

९। मदयून नीचे लिखी हुई हालतों में से हर एक में दिवालियर होने का काम करता है, यानी :—

(अ) जो वह बृटिश हिन्द में या किसी और जगह आम तौर से अपने क़र्ज़ देने-वालों के फ़ायदे के लिए अपनी सारी

जायदाद या असल में सारी जायदाद तीसरे आदमी के हाथ कर दे ;

(व) जो वह बृटिश हिन्द या किसी और जगह अपनी जायदाद या उस के किसी हिस्से को अपने कर्ज़ देने-वालों के हक़ मारने या उस में देरी करने के इरादे से दूसरे के हाथ कर दे ;

(स) जो वह बृटिश हिन्द में या किसी और जगह अपनी जायदाद या उस के किसी हिस्से को दूसरे के हाथ कर दे जो वह कर देना इस या और किसी ऐसे आईन के ब-मूजिब जो उस वक़्त के लिए जारी हो, फ़रेब से एक से दूसरे को बढ़के समझने की वजह से बातिल होता, अगर वह दिवालिया तजवीज़ किया जाता ;

(ड) जो, अपने कर्ज़ देने-वालों के हक़ मारने या उस में देर करने के इरादे से,—

(१) वह बृटिश हिन्द से चला जाए या बृटिश हिन्द के बाहर रहे ; या

(२) वह अपने रहने के घर या कार-बार करने की मामूली जगह से चला जाए या और तरह से वहां न रहे ;

(३) वह इस लिए छिपा रहे कि उस के कर्ज़ देने-वालों को उस के साथ लिखा पढ़ी या बात चीत करने का मौक़ा न रहे ; या

(ई) जो उस की कोई जायदाद रुपए दिलाने के लिए किसी अदालत की डिग्री के जारी होने में बेच दी गई हो या ऐसी मुद्दत के लिए कुर्क की गई हो जो २१ दिन से कम न हो ;

(फ़) जो वह दिवालिया तजवीज़ किए जाने के लिए दरख़्वास्त करे ;

(ग) जो वह अपने कर्ज़ देने-वालों में से किसी को यह इत्तिला दे कि उस ने अपने देनों का चुकाना रोक दिया है या वह उसे रोक देने को है ;

करके रहता हो या रहने का घर रखता था या आप या गुमाश्ते के ज़रिए से कारबार करता था ; या

(ख) मदयून उन हदों के भीतर फ़ायदे के लिए आपही काम करता हो, या

(ड) मदयून की फ़र्म (कोठी) से या उस पर दरख़्वास्त दी जाने की हालत में फ़र्म ने उन हदों के भीतर दिवाले की दरख़्वास्त पेश होने की तारीख़ से एक बरस के भीतर कारबार किया हो।

शर्तें जिन पर कर्ज़ देने-वाला दरख़्वास्त दे सकता है।

१२। (१) किसी कर्ज़ देने-वाले को किसी मदयून पर दिवाले की दरख़्वास्त देने का हक़ न होगा पर उस हालत में कि जब—

(अ) मदयून को कर्ज़ देने-वाले का देना या जो दो या ज़ियादे कर्ज़ देने-वाले मिलके दरख़्वास्त दें तो उन कर्ज़ देने-वालों का कुल देना, पांच सौ रुपया हो, और

(ब) देन या निबटेरा यह ठहराके कर दिया गया हो कि रुपया भट या कुछ दिन बाद दिया जाएगा, और

(स) दिवाले का काम जिस पर वह दरख़्वास्त दी गई है दरख़्वास्त देने के पहले तीन महीने के अन्दर हुआ हो।

(२) जो दरख़्वास्त देने-वाले ने ज़मानत पर कर्ज़ा दिया हो तो वह अपनी दरख़्वास्त में या तो यह बयान करेगा कि वह मदयून के दिवालिया तजवीज़ किए जाने की हालत में कर्ज़ देने-वालों के फ़ायदे के लिए अपनी ज़मानत को छोड़ देने के लिए राज़ी है या यह बताएगा कि उस ज़मानत की लग-भग कितनी क़ीमत है, पिछली हालत में वह उतनेही कर्ज़ के लिए बिना ज़मानत के कर्ज़ देने-वाले की तरह समझा जाके दरख़्वास्त देने-वाला कर्ज़ देने-वाला बकाये माना जा सका है को इस तौर से बताई हुई क़ीमत को घटाके बाक़ी रहे।

मदयून की दरख्वास्त पर कार-रवाई और हुक्म।

१३। (१) कर्ज़ देने-वाले की दरख्वास्त की तह़-रीक़ कर्ज़ देने-वाले या उस की तरफ़ से किसी ऐसे आदमी के हलफ़ी बयान से की जाएगी जो वह बातें जानता हो जो हुई हों।

(२) मुक़द्दमा सुनने के वक्त अदालत—

(अ) दरख्वास्त करने-वाले कर्ज़ देने-वाले के देन की, और

(ब) दिवाले के काम की या जो दरख्वास्त में दिवाले के कई काम बताए गए हों तो दिवाले के बताए हुए कामों में से किसी एक काम की,

निसबत सुबूत चाहेगी।

(३) अदालत उस दरख्वास्त का सुनना रोक दे और मदयून पर उस की तामील होने के लिए हुक्म दे सकी है।

(४) अदालत दरख्वास्त खारिज कर देगी—

(अ) जो उस का मन उन बातों के सुबूत से न भर जाए जो हिस्से-दफ़ (२) में बताई गई हैं; या

(ब) जो मदयून हाज़िर होके अदालत का मन इस बात से भर दे कि वह अपने देनों को चुका दे सक्ता है या यह कि उसने दिवाले का कोई काम नहीं किया है या यह कि और किसी पूरे सबब से कोई हुक्म न दिया जाना चाहिए।

(५) अदालत दिवालिया तजवीज़ किए जाने का हुक्म दे सक्ती है जो उस का मन ऊपर बताए हुए सबूत से भर जाए या जो हिस्से-दफ़े (३) की रू से सुनना रोक रखने पर मदयून हाज़िर न आए और दरख्वास्त या उस पर तामील पाना साबित हो पर उस हालत में नहीं कि जब उस की राय में दरख्वास्त ऐसी किसी और अदालत के सामने पेश होनी चाहिए थी जो दिवाले का हद इख़्तियार रखती है।

(६) जहां मदयून दरख्वास्त देने पर हाज़िर हो और इस बात से इनकार करे कि वह दरख्वास्त करने-वाले का रुपया धारता है या इस बात से कि वह इतना रुपया धारता है कि जिस से उस के नाम दरख्वास्त

देने-वाले का दरख़ास्त देना ठीक समझा जा सक्ता है, तो अदालत ऐसी ज़मानत के (जो हो) दिए जाने पर जैसी अदालत दरख़ास्त करने-वाले को ऐसे किसी देन के जो ठीक ठीक बाईन को रू से मद्यून पर ठहराया जाए और देन ठहराने के ख़र्चों के चुकाने के लिए चाह सक्ती है, दरख़ास्त को ख़ारिज़ करने के वास्ते दरख़ास्त की निसबत सब कार-रवाइयों को इतने वक़्त तक जो देन की निसबत बात की जांच करने के लिए दरकार हो रोक रख सक्ती है।

(७) जहां कार-रवाइयां रोक रखी जायं अदालत जो वह उस देरी की वजह से जो कार-रवाइयों के रोक रखने की वजह से हुई हों या किसी और सबब से यह ठीक समझे तो किसी और क़र्ज़ देने-वाले की दरख़ास्त पर तजवीज़ का हुक्म दे सक्ती है और इस पर उस दरख़ास्त क जिस की निसबत ऊपर बताई हुई कार-रवाइयां रोक रखी गई हैं ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, ख़ारिज कर सक्ती है।

(८) क़र्ज़ देने-वाले की दरख़ास्त दी जाने के पीछे अदालत की इजाज़त के बिना उठा नहीं ली जाएगी।

मद्यून किन पर मद्यून दरख़ास्त कर सक्ता है। १४। मद्यून को दिवाले की दरख़ास्त देने का हक़ न होगा, पर उस हालत में जब कि,—

(अ) उस के देन पांच सौ रुपए हों, या

(ब) वह रुपए अदा करने की किसी अदालत की डिग्री के जारी होने में गिरफ़्तार या क़ैद किया गया हो, या

(स) ऐसी डिग्री के जारी होने में क़ुर्क़ी का हुक्म हुआ हो और वह उस की जायदाद पर अब तक बना हुआ हो।

मद्यून की दरख़ास्त पर कार-रवाई पर हुक्म। १५. (१) मद्यून की दरख़ास्त में यह लिखा रहेगा कि मद्यून अपना देन अदा नहीं कर सक्ता और जो मद्यून यह साबित करे कि उस को दरख़ास्त के देने का हक़ है तो अदालत इस पर तजवीज़ का हुक्म दे सक्ती है, पर उस हालत में नहीं कि जब उस की राय में दरख़ास्त ऐसी किसी और अदालत के सामने पेश होनी चाहिए थी जो दिवाले का यह इख़्तियार रखती हो।

मदयून की दरख़ास्त पर कार-रवाई और हुक्म।

१३। (१) क़र्ज़ देने-वाले की दरख़ास्त रोक क़र्ज़ देने-वाले या उस की तरफ़ से किसी आदमी के हलफ़ी बयान से को आदमी जो बात जानता हो जो झूट हों।

(२) मुक़द्दमा सुनने के वक्त अदालत—

(अ) दरख़ास्त करने-वाले क़र्ज़ देने-वाले के देन को, और

(ब) दिवाले के काम को या जो दरख़ास्त में दिवाले के बताए गए हों तो दिवाले के बताए हुए का किसी एक काम को,

निसबत सुबूत चाहेगी।

(३) अदालत उस दरख़ास्त का सुनना रोक दे और ग को तामील होने के लिए हुक्म दे सकती है।

(४) अदालत दरख़ास्त ख़ारिज कर देगी—

(अ) जो उस का मन उन बातों के सुबूत से हिस्से-दफ़े (२) में बताई गई हैं; या

(ब) जो मदयून हाज़िर होके अदालत का भर दे कि वह अपने देनों को चुका कि उसने दिवाले का कोई काम नहीं किसी पूरे सबब से कोई हुक्म न

(५) अदालत दिवालिया तजवीज़ किए जाने जो उस का मन ऊपर बताए हुए सबूत से भर रोक रखने पर मदयून हा हो पर

१८। (१) अदालत तजवीज़ का हुक्म देने के पीछे किसी वक्त ऐसे किसी दावे या और कार-रवाई को रोक दे सक्ती है जो उस दिवालिए पर अदालत के किसी जज या जजों के सामने या ऐसी किसी और अदालत में जो उस अदालत की देख-भाल के ताबे हो, चलती हो।

कार-रवाइयों का रोक रखा।

(२) ज़िम्न-दफ़े (१) की रू से दिया हुआ कोई हुक्म अदालत की मोहर से उस की नक़ल मुद्दई या उस दावे या कार-रवाई के चलाने-वाले किसी और फ़रीक़ के पते पर तामील होने के लिए डाक से भेज के तामील किया जाएगा और उस हुक्म की इत्तिला उस अदालत के पास भेजी जाएगी जिस के सामने वह दावा या कार-रवाई चल रही हो।

(३) कोई अदालत जिस में किसी मद्यून पर कार-रवाइयां चल रही हों, इस सुबूत पर कि इस ऐक्ट की रू से उस पर दिवालिया तजवीज़ किए जाने का हुक्म दिया गया है, कार-रवाइयों को रोक दे सक्ती या उन को ऐसी शर्तों पर चलने दे सक्ती है जो वह ठीक समझे।

१९। (१) जो किसी दावे में अदालत को, मद्यून के असबाब या कार-बार की हिफ़ाज़त का या [illegible] और [illegible] मद्यून के हक़ का लिहाज़ करके यह [illegible] हो कि क़र्ज़ख़्वाहों की मदद देने के लिए उस असबाब या कार-बार का कोई ख़ास मैनेजर मुक़र्रर किया जाना चाहिए तो, अदालत एक मैनेजर उस को रू से इतने दिन तक काम करने के लिए कि जितने दिन के लिए अदालत हुक्म दे और [illegible] [illegible] के ऐसे कुल इख़्तियारात रखने के लिए जिन्हें [illegible] [illegible] उन को दे या जैसी अदालत हिदायत करे, मुक़र्रर कर सक्ती है।

मैनेजर के मुक़र्रर करने का इख़्तियार।

(२) ऐसा मैनेजर अमानत देगा और [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] देगा जो अदालत चाहे, और उस को ऐसा मेहनताना [illegible] जो अदालत ठहराए।

२३। (१) जहां तज्वीज़ रद कर दी जाए तो सर्कारी अफ़सरों या और किसी आदमी के जो उस के हुक्म से काम करता हो, या अदालत के किए हुए कुल नीलाम और जायदाद के ठिकाने लगाने के काम और ठीक ठीक दिए हुए सपर्द और उस के पहले किए हुए सब काम जायज़ होंगे, पर उस मद्यून की जायदाद जो रिवाजिया तज्वीज़ किया गया था ऐसे आदमी के हाथ में दी जाएगी जिस को अदालत नियत करे, या ऐसे किसी के नियत न होने पर मद्यून को उस में जहां तक कि उस का हक़ या फ़ायदा है ऐसे क़रारों पर और ऐसी शर्तों के (जो हों) ताबे होके जिस को अदालत हुक्म देके लगाए, लौटा दी जाएगी।

रद होने पर कार-रवाइयां।

(२) जहां मद्यून इस एक्ट की शर्तों को रु से हवालात से छोड़ दिया गया हो और तज्वीज़ का हुक्म जैसा कि ऊपर बताया गया है रद कर दिया जाए, तो अदालत जो वह ठीक समझे, उस मद्यून को फिर उस को पहले को हवालात में भेज दे सक्ती है और क़ैदख़ाने का दारोग़ा या जेलर जिस की हवालात में ऐसा मद्यून इस तौर से फिर भेजा जाए, ऐसे फिर भेजने के मुताबिक़ ऐसे मद्यून को अपनी हवालात में लेगा और इस पर वह सब हुक्म-नामे जो ऐसे छुटकारे के वक़्त कि जो ऊपर बताया गया है ऐसे मद्यून की ज़ात पर काम में आते थे, ऐसे समझे जाएंगे कि वे अभी तक उस पर उस तौर से काम में आते हैं मानो ऐसा हुक्म दियाही नहीं गया था।

(३) तज्वीज़ रद करने के हुक्म की इत्तिला गज़ट हिन्द में और मक़ामी सर्कारी गज़ट में और ऐसे और तौर से जो बताया जाए, दाव के मुश्तहर की जाएगी।

तज्वीज़ के हुक्म के पीछे को कार-रवाइयां।

२४। (१) जहां किसी मद्यून पर तज्वीज़ का हुक्म दिया जाए तो वह ऐसे काम में और अपने क़र्ज़ों के दाव की तिसबत ऐसे ब्योरों के साथ जो बताए जाएं हुक्म-नामे से तसदीक़ किया हुआ फ़िहरिस्त बनाके अदालत को देगा।

दिवालिए का बिहरिस्त।

२०। तजवीज़ के रद्द हुक्म को दूसिया, दिवालिए का नाम पता और काम, तजवीज़ की तारीख, उस अदालत का नाम जिस ने तजवीज़ की और अर्ज़ी के दाखिल होने की तारीख सरकारी गज़ट हिन्द में और सर्कारी मकामी गज़ट में और किसी ऐसे और तौर से जो बताया जाए, हाम के मुताबिक की जाएगी।

तजवीज़ के हुक्म का इश्तिहार देना।

## अदालत की तजवीज़ का रद्द किया जाना।

२१। (१) जहां अदालत की राय में कोई मद्यून दिवालिया तजवीज़ न किया जाना चाहिए था, या जहां अदालत का मन यह साबित करके भर दिया जाए कि दिवालिए के कर्ज़ पूरे पूरे अदा कर दिए गए तो अदालत फ़ायदा रखने-वाले किसी आदमी की दरख़ास्त पर हुक्म देके तजवीज़ को रद्द कर दे सकी है।

कईएक हालतों में तजवीज़ के रद्द करने का अदालत का इख़तियार।

(२) इस दफ़े का काम चलाने के लिए, कोई देन जिस की निस्बत मद्यून को झज्जत हो, ऐसा समझा जाएगा कि वह पूरा पूरा चुका दिया गया है, जो मद्यून रुपए के अदा करने के लिए जो खर्चे समेत देन के वसूल करने या उस की निस्बत कार-रवाई में वसूल किया जाना चाहिए, इतने रुपए के लिए और ऐसे ज़ामिनों के साथ जो अदालत मंज़ूर करे कोई दस्तावेज़ लिख दे, और कोई देन जो ऐसे उधार देने-वाले का पावना हो जो न मिल सके या जिस की पहचान न की जा सके, अदालत में दाखिल होने पर ऐसा समझा जाएगा कि वह पूरा चुका दिया गया है।

२२। जहां अदालत का मन यह साबित करके भर दिया जाए कि दिवाले की कार-रवाइयां उसी मद्यून पर किसी और बृटिश अदालत में चाहे वह बृटिश हिन्द के भीतर हो या बाहर चल रही हैं और यह कि उस मद्यून की जायदाद उस दूसरी अदालत से और भी सुबीते से बांटी जा सकी है तो अदालत उस तजवीज को रद्द कर या उस पर की सब कार-रवाइयों को रोक दे सकी है।

बृटिश अदालतों में एक साथ चलती हुई कार-रवाइयां।

रद होने पर कार-रवाइयां।

२३। (१) जहां तजवीज़ रद कर दी जाए तो सर्कारी असाइनी या और किसी आदमी के जो उस के हुक्म से काम करता हो, या अदालत के किए हुए कुल नीलाम और जायदाद के ठिकाने लगाने के काम और ठीक ठीक दिए हुए रुपए और उस के पहले किए हुए सब काम जायज़ होंगे, पर उस मद्यून की जायदाद जो दिवालिया तजवीज़ किया गया था ऐसे आदमी के हाथ में दी जाएगी जिस को अदालत नियत करे, या ऐसे किसी के नियत न होने पर मद्यून को उस में जहां तक कि उस का हक़ या फ़ायदा है ऐसे क़रारों पर और ऐसी शर्तों के (जो हों) ताबे होके जिस को अदालत हुक्म देके लगाए, लौटा दी जाएगी।

(२) जहां मद्यून इस एक्ट की शर्तों की रू से हवालात से छोड़ दिया गया हो और तजवीज़ का हुक्म जैसा कि ऊपर बताया गया है रद कर दिया जाए, तो अदालत जो वह ठीक समझे, उस मद्यून को फिर उस की पहले की हवालात में भेज दे सकती है और क़ैदख़ाने का दारोग़ा या जेलर जिस की हवालात में ऐसा मद्यून इस तौर से फिर भेजा जाए, ऐसे फिर भेजने के मुताबिक़ ऐसे मद्यून को अपनी हवालात में लेगा और इस पर वह सब हुक्म-नामे जो ऐसे छुटकारे के वक़्त कि जो ऊपर बताया गया है ऐसे मद्यून की ज़ात पर काम में आते थे, ऐसे समझे जाएंगे कि वे अभी तक उस पर उस तौर से काम में आते हैं मानो ऐसा हुक्म दिया ही नहीं गया था।

(३) तजवीज़ रद करने के हुक्म की इत्तिला गज़ट हिन्द में और मक़ामी सर्कारी गज़ट में और ऐसे और तौर से जो बताया जाए, छाप के मुश्तहर की जाएगी।

तजवीज़ के हुक्म के पीछे की कार-रवाइयां।

दिवालिए का छूटना।

२४। (१) जहां किसी मद्यून पर तजवीज़ का हुक्म दिया जाए तो वह ऐसे वक़्त में और अपने कामों के या उस की निस्बत ऐसे ब्योरों के साथ जो बताए जाएं दरख़्वास्त-नामे से तसदीक़ किया हुआ छूटने के लिए अदालत को देगा।

(२) फ़िहरिस्त इस तरह से नीचे लिखे हुए वक़्तों के भीतर पेश किया जाएगा, यानी :—

(क) जो हुक्म मद्यून की दरख़्वास्त पर दिया गया हो, तो हुक्म की तारीख़ से तीस दिनों के भीतर

(ख) जो हुक्म किसी उधार देने-वाले की दरख़्वास्त पर दिया गया हो तो हुक्म की तामील होने की तारीख़ से तीस दिनों के भीतर

(३) जो, दिवालिया, ठीक उज़र के बिना, इस दफ़े की रू से चाहे हुई बातों को न माने, तो अदालत सरकारी असाइनी या किसी उधार देनेवाले की दरख़्वास्त पर उस को दीवानी क़ैद में भेजने का हुक्म दे सक्ती है

(४) जो दिवालिया ऊपर बताए हुए तौर से ऐसा कोई फ़िहरिस्त तैयार करके न भेजे, तो सरकारी असाइनी जायदाद के ख़र्च से ऐसे फ़िहरिस्त को बताए हुए तौर से तैयार कराएगा।

२५। (१) कोई दिवालिया जिस ने ऊपर बताए हुए तौर का अपना फ़िहरिस्त दे दिया हो बचाव के लिए अदालत में दरख़्वास्त कर सक्ता है और अदालत ऐसी दरख़्वास्त पर दिवालिए के पकड़े जाने या रोक रखे जाने से बचाने का हुक्म दे सक्ती है

बचाने का हुक्म।

(२) बचाने का हुक्म उस फ़िहरिस्त में बताए हुए सब देनों के लिए या उन में से किसी ऐसे देन के लिए लगेगा जो अदालत ठीक समझे और वह ऐसे वक़्त से शुरू होगा और ऐसे वक़्त के लिए काम आएगा जो अदालत बताए, और वह रद या फिर से जारी किया जा सक्ता है जैसा कि अदालत ठीक समझे।

(३) बचाने का हुक्म दिवालिए को ऐसे किसी देन के लिए पकड़े जाने या क़ैद में रोक रखे जाने से बचाएगा जिस पे वह हुक्म काम में आएगा, और ऐसे किसी दिवालिए को जो ऐसे हुक्म की शर्तों के ख़िलाफ़ पकड़ा या रोक रखा गया हो, अपना छुटकारा पाने का हक़ होगा।

पर शर्त यह है कि ऐसा कोई हुक्म किसी उधार देने-वाले के हक़ को उस बाबत में कोई नुक़सान न पहुंचाएगा जब कि यह हुक्म मनसूख़ कर दिया या तब्दील कर दी जाए।

(३) किसी उधार देने-वाले को यह हक् होगा कि वह हाज़िर हो और बचाने का हुक्म देने पर उज़् करे पर दिवालिए को सरकारी अहाद्नों का दस्तख़त किया हुआ इस बात का सर्टिफिकेट पेश करने पर कि उस ने अभी तक इस एक्ट की शर्तों को पूरा किया है, काग़ज़ों के देखते हो ऐसे हुक्म पाने का हक् होगा।

(४) अदालत दिवालिए के अपना मिज़ूब पेश करने के पहले बचाने का हुक्म दे सकती है जो वह उधार देने-वालों के फ़ायदे के लिए ऐसा करना ज़रूरी समझे।

२६। (१) दिवालिए पर तजवीज़ का हुक्म देने के पीछे किसी वक़्त अदालत किसी उधार देने-वाले या सरकारी अहाद्नों की दरख़ास्त पर यह हिदायत कर सकती है कि दिवाले की हालतों और दिवालिए के मिज़ूब और उस की निस्बत उस के जवाब और आम तौर से दिवालिए की जायदाद को ठिकाने लगाने के तौर की निस्बत विचार करने के लिए उधार देने-वालों की मिटिंग की जाए।

उधार देने-वालों का एक जगह मिलना।

(२) उधार देने-वालों की मिटिंग के करने और उस में की कार-रवाइयों की निस्बत पहले मिज़ूब में बताए हुए क़ायदे माने जाएंगे।

२७। (१) जहां अदालत तजवीज़ का हुक्म दे तो वह सभों के सामने दिवालिए के इज़हार के लिए ऐसे दिन इज्लास करेगी जो अदालत की तरफ़ से ठहराया जाए और जिस की इत्तिला उधार देने-वालों को ठहराए हुए तौर से दी जाएगी, और दिवालिया वहां जाएगा, और उस के चाल चलन, बरताव और जायदाद की निस्बत उसका इज़हार लिया जाएगा।

सभों के सामने दिवालिए का इज़हार लेना।

(२) यह इज़हार दिवालिए के मिज़ूब के दाख़िल करने के वक़्त के बीत जाने के पीछे जहां तक सुभीते के साथ हो सके लिया जाएगा।

(३) कोई ऐसा उधार देने-वाला जिस ने कोई सबूत पेश किया हो या उस की तरफ़ से कोई वकील दिवालिए से उस के कामों और उस के बिगड़ जाने के सबबों की निसबत सवाल पूछ सकता है।

(४) सरकारी क़ानूनी दिवालिए से पूछे जाने में शरीक होगा; और उस काम के लिए ऐसी हिदायतों के ताबे होके जो अदालत दे उस की तरफ़ से कोई वकील हाज़िर हो सकता है।

(५) अदालत दिवालिए से ऐसी बातें पूछ सकती है जो वह मुनासिब समझे।

(६) दिवालिए का इज़हार हलफ़ देके लिया जाएगा, और उस का यह काम होगा कि वह उन सब बातों का जवाब दे जो अदालत उस से पूछे या पुछवाए। इज़हार की ऐसी बातें जो अदालत मुनासिब समझे लिख ली जाएंगी और वे दिवालिए को या तो पढ़ कर सुना दी जाएंगी या वह उन को आप पढ़ लेगा और उन पर दस्तख़त करेगा, और इस के पीछे वह उस के बरख़िलाफ़ सुबूत के काम में ली जाएंगी और किसी उधार देने-वाले के देखने के लिए सब ठीक वक़्त खुली रहेंगी।

(७) जब अदालत की यह राय हो कि दिवालिए के कामों की पूरी पूरी तहक़ीक़ात हुई है, तो वह हुक्म देके यह जताएगी कि उस का इज़हार पूरा हो गया पर ऐसे हुक्म से अदालत दिवालिए का और भी इज़हार लेने के लिए जब कभी वह ऐसा करना ठीक समझे, हिदायत करने से रोकी न जाएगी।

(८) जहां दिवालिया कोई पागल हो या उस के मन या तन में कोई ऐसा रोग या निकम्मापन आ गया हो और जिस से अदालत की राय में वह सभों के सामने अपने इज़हार देने के लिए हाज़िर होने लायक़ न हो, या कोई ऐसी औरत हो जो देश के दस्तूर और चलन के मुताबिक़ आम लोगों में आने के लिए लाचार न की जानी चाहिए तो अदालत यह कह के कि ऐसे इज़हार लेने की ज़रूरत नहीं है, या यह हिदायत करके यह हुक्म दे सकती है कि दिवालिए का इज़हार ऐसी शर्तों पर, ऐसे तौर से और ऐसी जगह हो जो अदालत को मुनासिब दिखाई दे।

## निबटेरा और बन्दोबस्त की तजवीज़ें।

तसफ़िये की तजवीज़ और उधार देने-वालों का मान लेना।

२८। (१) कोई दिवालिया तजवीज़ किए जाने का हुक्म होने के पीछे किसी वक्त अपने देनों की चुकौती में निबटेरे की तजवीज़ या अपने लेन देन के बन्दोबस्त की तजवीज़ बताए हुए फ़ार्म में पेश कर सकता है, और ऐसी तजवीज़ को सरकारी अमानती उधार देने-वालों के मिटिंग में पेश करेगा।

(२) सरकारी अमानती हर उधार देने-वाले को जिस का नाम फ़िहरिस्त में बताया गया है या जिस ने कोई सबूत मिटिंग में पेश किया है दिवालिए की तजवीज़ की एक नकल उस रिपोर्ट के साथ जो उस पर वो भेज देगा, और जो उस तजवीज़ के विचार किए जाने पर उन सब क़र्ज़ देने-वालों में से, जिन के देन साबित हो चुके हों, इतने जो गिन्ती में आधे से ज़ियादे हों और जिन का मिला के देन सब देन की तीन चौथाई हो उस तजवीज़ को क़बूल करना ठान लें तो ऐसा समझा जाएगा कि क़र्ज़ देने-वालों ने उसे ठीक तौर से मान लिया है।

(३) दिवालिया अपनी की हुई तजवीज़ की बातों को (क़र्ज़ देने वालों के) मिटिंग में घटा बढ़ा सकता है जो सरकारी अमानती की राय में उस घटाने बढ़ाने से, यह समझा जाता हो कि उधार देने-वालों की आम जमाअत को फ़ायदा पहुंचेगा।

(४) कोई उधार देने-वाला जिस ने अपना देन साबित कर दिया है सरकारी अमानती के नाम बताए हुए फ़ार्म में ऐसे वक्त चिट्ठी भेज दे जो उस के पास उस दिन से पीछे न पहुंचे जो मिटिंग होने के दिन से पहले हो उस तजवीज़ [को मंज़ूर या ना मंज़ूर कर सकता है और ऐसे किसी मंज़ूर या ना मंज़ूर करने का वही असर होगा मानो वह उधार देने-वाला मिटिंग में आप हाज़िर हुआ और उस ने अपनी राय दी।

अदालत का तजवीज़ मंज़ूर करना।

२९। (१) दिवालिया या सरकारी अमानती तजवीज़ को उधार देने-वालों के मंज़ूर कर लेने के पीछे अदालत को उस के मंज़ूर करने के लिए दरख्वास्त कर सकता है और दरख्वास्त के सुनने के लिए ठहराए हुए वक्त की इत्तिला हरएक उधार देने-वाले को जिस ने देन साबित किया है, दी जाएगी।

(२) उस बाबत की छोड़ के जहां जायदाद का इन्तज़ाम और बन्दोबस्त किया जा रहा हो या अदालत को साथ इजाज़त दे दी गई हो दरख्वास्त तब तक न सुनी जायगी जब तक दिवालिए का सभी के सामने इज़हार लेना पूरा न हो गया हो। कोई उधार देने-वाला जिसने अपना लेन साबित कर दिया है उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ अदालत की तरफ़ से उधार देने-वालों की मिटिंग में उस तजवीज़ के मंज़ूर कर लेने के लिए अपनी राय देने पर भी सुना जा सकता है।

(३) अदालत तजवीज़ को मंज़ूर करने से पहले उस की शर्तों की निसबत और दिवालिए के चाल-चलन और उज़रों की निसबत जो कोई उधार देने-वाला करे या उस की तरफ़ से किए जाएं, सरकारी अदाइनी की रिपोर्ट को सुनेगी;

(४) जहां अदालत की यह राय हो कि उस तजवीज़ की शर्तें ठीक नहीं हैं या ऐसी नहीं समझी जावीं कि उन से क़र्ज़ देने-वालों को आम जमाअत को फायदा पहुंचे या किसी ऐसी हालत में जिस में अदालत से यह चाहा जाए कि वह दिवालिए को छोड़ देने से इनकार करे तो अदालत उस तजवीज़ को मंज़ूर करने से इनकार कर देगी।

(५) जहां कोई ऐसी बातें साबित हों कि जिन के साबित होने पर अदालत से चाहा जाए कि वह मदयून का छुटकारा करने से इनकार करे या उसे मुलतवी रखे या उस की निसबत और भी शर्तें लगाए तो अदालत उस तजवीज़ को मंज़ूर करने से इनकार कर देगी पर उस हालत में नहीं जब कि उस में उन सब देनों को जिन के लिए कोई ज़मानत नहीं है और जो मदयून की जायदाद पर साबित हो सकते हैं, रुपए में इतना देने के लिए जो चार आने से कम न हो, ठीक ज़मानत का सामान किया जाए।

(६) अदालत ऐसे किसी निबटेरे या तजवीज़ को मंज़ूर न करेगी जिस में किसी दिवालिए की जायदाद के बांटने में उन सब देनों के और सब देनों से पहले देने का सामान न किया गया हो जिन के इस तौर से दिए जाने की हिदायत की गई है।

(७) और किसी हालत में अदालत उस तजवीज़ को मञ्ज़ूर या मञ्ज़ूर करने से इनकार कर दे सकती है।

३०। (१) जो अदालत यह तजवीज़ मञ्ज़ूर करे तो शर्तें अदालत के हुक्म में लिखी जाएंगी और तजवीज़ के रद करने का हुक्म दिया जाएगा और इस पर दफ़े २९ की दिफ़े-दफ़े (१) और (२) की शर्तें उस में लगेंगी और वह निबटेरा या बन्दोबस्त सब कर्ज़ देने-वालों को यहां तक पाबन्द करने-वाला होगा जहां तक यह दिवालिए के पाने लायक़ देनों से लगाव रखता है और जो दिवाले में साबित किया जा सक्ता है।

मञ्ज़ूर करने पर हुक्म।

(२) निबटेरे या बन्दोबस्त की शर्तें फ़ायदा रखने-वाले किसी आदमी की दरखास्त पर अदालत से काम में लाई जायंगी, और दरखास्त पर दिए हुए अदालत के किसी हुक्म के न मानने से अदालत की तौहीन समझी जाएगी।

३१। (१) जो ऐसी कोई क़िस्त कि जो उस निबटेरे या बन्दोबस्त के मुताबिक़ जो ऊपर बताए हुए तौर से मञ्ज़ूर किया गया है देनी हुई हो, न दी जाए या जो अदालत को यह दिखाई दे कि वह निबटेरा या बन्दोबस्त बे-इन्साफ़ी या बेजा देरी हुए बिना नहीं किया जा सक्ता या कि अदालत की मञ्ज़ूरी धोखा देके ली गई है, तो अदालत जो वह मुनासिब समझे, फ़ायदा रखने-वाले किसी आदमी की दरख़ास्त पर उस मदयून को फिर दिवालिया तजवीज़ कर दे सक्ती है और उस निबटेरे या बन्दोबस्त को रद कर दे सक्ती है और उस पर मदयून की जायदाद सरकारी अमलदारी के हवाले की जाएगी पर उस निबटेरे या बन्दोबस्त के या उस के मुताबिक़ ठीक तौर से किए हुए इन्तिक़ाल या दिए हुए रुपए के या ठीक तौर से की हुई किसी बात के जायज़ होने में नुक़्सान न पहुंचेगा।

मदयून को फिर दिवालिया तजवीज़ करने का इख़्तियार।

(२) जहां कोई मदयून दिफ़े-दफ़े (१) की रू से फिर दिवालिया तजवीज़ कर दिया जाए तो और हालतों में साबित होने लायक़ वे सब देन जो ऐसे फिर तजवीज़ किए जाने की तारीख़ से पहले किए गए हों, दिवाले में साबित किए जा सकेंगे।

२१। निबटेरे या बन्दोबस्त के क़बूल और मंज़ूर किए जाने पर भी यह निबटेरा या बन्दोबस्त किसी उधार देने-वाले को ऐसे देन या ज़िम्मेदारी की निस्बत पाबन्द न करेगा जिस से इस ऐक्ट की धाराओं के ब-मूजिब दिवालिया दिवाले में दिए हुए छुटकारे के हुक्म की रू से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता, जब तक क़र्ज़ देने-वाला उस निबटेरे या बन्दोबस्त को मंज़ूर न कर ले।

निबटेरे या बन्दोबस्त के असर की हद।

दिवालिए की जांच और जायदाद पर निगरानी।

२२। (१) हर दिवालिया जो यह बीमारी से या और किसी पूरे सबब से रोका न जाए तो अपने क़र्ज़ देने-वालों की ऐसी किसी मिटिंग में आएगा जिस में आने के लिए सरकारी असाइनी उस से चाहे, और ऐसा इज़हार देने के लिए राज़ी होगा और ऐसी ख़बर देगा जो मिटिंग की तरफ़ से चाही जाए।

जायदाद के पता लगाने और तक़सीम करने की निस्बत दिवालिए का काम।

(२) दिवालिया—

(क) अपनी जायदाद की, उन आदमियों की जिन का उसे देना हो और जिन से उस का पावना हो और उन देनों की जो उन के या उन से पावने हों ऐसी फ़िहरिस्त देगा;

(ख) अपनी जायदाद या क़र्ज़ देने-वालों की निस्बत ऐसा इज़हार देने के लिए राज़ी होगा;

(ग) ऐसे वक़्त और जगहों में सरकारी असाइनी या ख़ास मनेजर के पास हाज़िर होगा;

(घ) ऐसे मुख़्तार-नामे, बयनामें, और दस्तावेज़ें, लिख देगा; और

(ङ) अपनी जायदाद और अपने क़र्ज़दारों के बीच उस से चाहे हुए रुपए के बांटने की निस्बत आम तौर से ऐसे सब काम करेगा,

जो सरकारी असाइनी या ख़ास मनेजर चाहे या किसी ख़ास हालत की निस्बत या सरकारी असाइनी या ख़ास मनेजर या किसी क़र्ज़ देने-

या उस में देर करने के लिए हटा देना या इस बात के मानने के लिए सबब हो सकता है कि उस ने अपनी किसी जायदाद या किसी किताब, काग़ज़ात या लिखावट को जो उस के हिसाब निकालने के वक्त उस के क़र्ज़ देने-वालों के काम की, हो सकती थी छिपा दिया है या छिपाने या नुक़सान कर देने को है; या

(ग) जो, यह सर्कारी असाइनी के हुक्म के बिना दस रुपए की क़ीमत से ज़ियादा की जायदाद को जो उस के पास हो हटा ले जाए;

(३) इस दफ़े की रू से गिरफ़्तार किए जाने के पीछे कोई रुपया जो लिया जाए या मिचलका जो लिया जाए या ज़मानत जो दी जाए इस दफ़े की उन शर्तों से छोड़ न दी जाएगी जो धोखा देने की राह से पहुंचे पाने को मिलती हों।

३५। जहां सर्कारी असाइनी बीच के वक्त के लिए रिसीवर नियत किया गया हो या तजवीज़ का हुक्म दिया जाए तो अदालत सर्कारी असाइनी की दरख्वास्त पर वक्त वक्त पर यह हुक्म दे सकती है कि इतने वक्त तक जो तीन महीने से बढ़ के न हो जिसे अदालत ठीक समझे सब डाक की चिट्ठियां चाहे रजिस्ट्री की हुई हों या न रजिस्ट्री की हुई हों, पारसल और मनी आर्डर जो मद्यून के नाम से किसी ऐसी जगह या जगहों में आएं जो उन को फिर से पता लिख कर भेज देने के लिए हुक्म में बताई गई हैं बृटिश हिन्द के डाक के अफ़सरों की तरफ़ से फिर से पता लिख कर सर्कारी असाइनी को या और किसी तरह से जो अदालत बताए, भेज दी जाएं और वह वैसाही किया जाएगा।

चिट्ठियों का उन पर फिर से पता लिख के भेजा जाना।

३६। (१) अदालत सर्कारी असाइनी या किसी ऐसे क़र्ज़ देने-वाले की दरख्वास्त पर जिस ने अपना क़र्ज़ साबित किया हो तजवीज़ के हुक्म के दिए जाने के पीछे किसी वक्त अपने सामने ऐसे और से किसी को बताया जाए

दिवालिए की जायदाद का पता लगाना।

दिवालिए को या किसी ऐसे आदमी को जिस की निस्बत यह मालूम हो या जिस पर यह शुब्हा हो कि उस के कब्ज़े में दिवालिए की कोई जायदाद है या जिस की निस्बत यह गुमान हो कि वह दिवालिए का रुपया धारता है या किसी ऐसे आदमी को जिस को अदालत ऐसा समझे कि वह दिवालिए की, उस के कारबार की, या उस की जायदाद की, निस्बत खबर दे सकता है, तलब कर सकती है; और अदालत ऐसे आदमी से यह चाह सकती है कि वह किसी ऐसी दस्तावेज़ को लाए जो दिवालिए, उस के कारबार या जायदाद की निस्बत उस की रखवाली या इख्तियार में हो।

(२) जो इस तरह से तलब किया हुआ कोई आदमी ठीक ठीक खर्च दिए जाने के पीछे अदालत के सामने ठहराए हुए वक्त पर आने से इन्कार करे या अदालत को उस के इजलास करते वक्त कोई आईनी रुकावट जताने और अदालत के उसे मान लेने के बिना कोई दस्तावेज़ लाने से इन्कार करे तो अदालत वारन्ट के ज़रिए से उस के गिरिफ्तार किए जाने और इज़हार देने के लिए लाए जाने का सामान कर सकती है।

(३) अदालत किसी ऐसे आदमी से जो इस तौर से उस के सामने लाया जाए दिवालिए, उस के कारबार या जायदाद की निस्बत बातें पूछ सकती है और उस आदमी के बदले कोई आईनी पेशा करने-वाला हाज़िर हो सकता है।

(४) जो ऐसे किसी आदमी के इज़हार देने पर अदालत का मन इस बात से भर जाए कि वह दिवालिए का रुपया धारता है तो अदालत सर्कारी असाइनी की दरख्वास्त पर उस को यह हुक्म दे सकती है कि वह सर्कारी असाइनी को ऐसे वक्त और ऐसे तौर से जो अदालत को मुनासिब मालूम हो वह रुपया जो वह धारता है या उस का कोई हिस्सा या तो सारे रुपए से पूरा छुटकारा पाने के लिए या नहीं तो जैसा अदालत ठीक समझे इज़हार के खर्च के साथ या खर्च के बिना अदा कर दे।

(५) जो ऐसे किसी आदमी के इज़हार पर अदालत का मन इस बात से भर जाए कि उस के क़ब्ज़े में ऐसी कोई जायदाद है जो दिवालिए की है तो अदालत सर्कारी असाइनी को दरख़ास्त पर उस को यह हुक्म दे सकती है कि वह सर्कारी असाइनी को वह जायदाद या उस का कोई हिस्सा ऐसे वक़्त, ऐसे तौर से और ऐसी शर्तों पर जो अदालत को ठीक मालूम हो, दे दे।

(६) हिस्से-दफ़े (४) और (५) की रू से दिए हुए हुक्म उसी तौर से जारी किए जाएंगे जैसे कि मजमूए ज़ाबिते दीवानी सन १९०८ की रू से रुपए पाने की या जायदाद दिला पाने की क्रम से डिग्रियां।

१९०८।

(७) ऐसा कोई आदमी जो हिस्से-दफ़े (४) या हिस्से-दफ़े (५) की रू से दिए हुए हुक्म के मुताबिक़ कोई रुपया या जायदाद दे ऐसे देने के सबब उस देन या जायदाद की निसबत सब ज़िम्मेदारी से वह पाने जैसी हो छुटकारा पाएगा।

कमीशन जारी करने का इख़्तियार।

३७। ऐसे किसी आदमी के जिस का इज़हार दफ़े ३६ की रू से लिया जाना चाहिए, कमीशन के ज़रिए से या और किसी तौर से इज़हार लेने के लिए कमीशन और दरख़ास्त की चिट्ठियां जारी करने के वास्ते अदालत को वही इख़्तियार होंगे जो उस को मजमूए ज़ाबिते दीवानी सन १९०८ की रू से गवाहों के इज़हार लेने के लिए हैं।

१९०८।

## दिवालिए का छोड़ दिया जाना।

दिवालिए का छोड़ दिया जाना।

३८। (१) दिवालिया, तजवीज़ का हुक्म दिए जाने के पीछे किसी वक़्त अदालत के पास छुटकारे के हुक्म के लिए दरख़ास्त कर सकता है, और अदालत उस दरख़ास्त के सुनने के लिए दिन ठहराएगी, पर इस हालत को छोड़ के जहां दिवालिए का इज़हार सभों के सामने बिना इस दफ़े की शर्तों के मुताबिक़ पूरा किया गया हो, दरख़ास्त तब तक न सुनी जाएगी जब तक ऐसा इज़हार न हो चुका जा चुके दरख़ास्त खुली अदालत में सुनी जाएगी।

देने-वालों की कमाई का पीछे से कोई कुर्क आमदनी में से ऐसे तौर से और ऐसी शर्तों के साथ होके चुकाया जाएगा जो अदालत बताए; पर इस हालत में डिग्री अदालत की इजाज़त के बिना जारी न की जाएगी, जो इजाज़त इस सुबूत पर दी जा सकती है कि दिवालिए ने अपना छुटकारा पाने के वक़्त से आमदनी का रुपया कमाया है जो उस के देनों के चुकाने के लिए काम में आ सकता है।

(२) जिन बातों का हवाला इस से पहले दिया गया है वे यह हैं:—

(अ) यह कि दिवालिए की जमा पूंजी का दाम इतना नहीं है जो उस के बिना ज़मानत रख के दिए हुए देन पर रुपए में चार आने के बराबर हो पर उस हालत में नहीं कि जो वह अदालत का मन इस बात से भर दे कि जमा पूंजी का दाम इतना न होना ऐसी हालतों के सबब से हुआ जिस के लिए वह इन्साफ़ की रू से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता;

(ब) यह कि दिवालिये ने ऐसे बही खाते नहीं रखे जिन का रखना उस कार-बार के लिए मामूली और मुनासिब है जो वह करता था और जो उस के दिवालिया होने से ठीक पहले तीन बरसों के भीतर उस के लेन देन और रुपए पैसे की हालत पूरे तौर से दिखाते हों;

(स) यह कि दिवालिया अपने को दिवालिया जान लेने के पीछे भी अपना कार-बार करता रहा;

(ड) यह कि दिवालिए ने इस एक्ट की रू से साबित होने लायक़ कोई ऐसा क़र्ज़ा लिया जिस के लेते वक़्त उस को इस बात की उम्मीद करने के लिए ठीक या वाजिब करके वजह न थी (जिस के साबित करने का बोझ उस पर होगा) कि वह उसे अदा कर सकेगा;

शर्तों को उस तौर पर और ऐसी शर्तों पर बदल दे सक्ती है जो वह ठीक समझे।

छुटकारा पाए हुए दिवालिये का काम है कि जायदाद के वसूल करने में मदद दे।

४३। कोई दिवालिया जो छोड़ दिया गया है उस के छोड़ दिए जाने पर भी ऐसी मदद देगा जो सरकारी असाइनी उस से ऐसी जायदाद के जो सरकारी असाइनी के हाथ में दी गई है वसूल करने और बांटने में चाहे, और जो वह ऐसा न करे तो अदालत की तौहीन करने का मुजरिम होगा; और अदालत, जो वह ठीक समझे तो छुटकारे से पीछे, पर उस के रद करने से पहले किसी नीलाम, ठिकाने लगाने या रुपए अदा करने को जो ठीक ठीक हुआ हो या ठीक ठीक किए हुए काम के जायज़ होने को बे बिगाड़े उस के छुटकारे को रद कर सक्ती है।

धोखा देने की राह से बन्दोबस्त।

४४। नीचे लिखी हुई हालतों में से किसी में, यानी :-

(१) ब्याह से पहले और उस के बदले किए हुए बन्दोबस्त की ऐसी हालत में जहां बन्दोबस्त करने-वाला बन्दोबस्त करने के वक्त बन्दोबस्त के अन्दर रखी हुई जायदाद की मदद के बिना अपने देनों को अदा नहीं कर सक्ता; या

(२) ब्याह के बदले किसी रुपए या जायदाद के ऐसे बन्दोबस्त के लिए किए हुए किसी कौल-क़रार या इक़रार की हालत में जो आगे के वास्ते बन्दोबस्त करने-वाले की बीबी या लड़कों की निस्बत या उन के लिए हो जिस हालत में कि उस के ब्याह के दिन उस में उस का कोई हक़ या फ़ायदा न था (जो उस की बीबी का रुपया या जायदाद न हो या जो उस की बीबी के हक़ में न हो);

जो बन्दोबस्त करने-वाला अदालत से दिवालिया ठहराया जाए या जब वह अपने कर्ज़ देने-वालों से राज़ी-नामा या बन्दोबस्त कर ले, और अदाल-

(४) छुटकारे के लिए किसी दरख़ास्त पर सरकारी असाइनी की रिपोर्ट देखते ही सबूत होगी; और अदालत ऐसे हर बयान को जो उस में हो, ठीक होना मान ले सक्ती है।

छुटकारे के लिए दरख़ास्त का सुनना।

९०। छुटकारे की दरख़ास्त के सुनने के लिए अदालत से ठहराए हुए दिन की इत्तिला बताए हुए तौर से मुश्तहर की जाएगी और कम से कम ऐसे ठहराए हुए दिन से एक महीना पहले हर क़र्ज़ देने-वाले को जिस ने अपना देन साबित किया हो भेजी जाएगी, और अदालत सरकारी असाइनी को सुन सक्ती है और किसी क़र्ज़ देने-वाले को भी सुन सक्ती है। सुनने के वक़्त अदालत दिवालिए से ऐसे सवाल पूछ सक्ती है और ऐसा सबूत ले सक्ती है जो वह ठीक समझे।

छुटकारे के लिए दरख़ास्त न करने पर तजवीज़ रद कर देने का इख़तियार।

९१। जो दिवालिया उस दिन हाज़िर न हो जो छुटकारे के लिए उस की दरख़ास्त सुनने के वास्ते इस तौर से नियत किया गया है या जो दिवालिया ऐसे वक़्त के भीतर जो बताया जाए छुटकारे के हुक्म के लिए अदालत में दरख़ास्त न दे तो अदालत सरकारी असाइनी या क़र्ज़ देने-वाले की दरख़ास्त पर या अपनी ही मर्ज़ी से तजवीज़ को रद कर दे सक्ती है या ऐसा और हुक्म दे सक्ती है जो वह ठीक समझे और ऐसे रद करने पर दफ़े २२ की शर्तें काम में आएंगी।

दरख़ास्त का फिर से देना और हुक्म की शर्तों का बदलना।

९२। (१) जहां अदालत दिवालिए को छुटकारा देने से इन्कार करे, तो वह ऐसे वक़्त से पीछे और ऐसी हालतों में जो बताई जाएं उस को फिर से दरख़ास्त करने के लिए इजाज़त दे सक्ती है।

(२) जहां छुटकारे का हुक्म शर्तों के ताबे होके दिया जाय और हुक्म देने की तारीख़ से दो बरस बीत जाने के पीछे किसी वक़्त दिवालिया अदालत का मन इस बात से भर दे कि उस के ऐसी हालत में होने की कोई ठीक उम्मीद नहीं है कि वह उस हुक्म की शर्तों को पूरा कर सके तो अदालत उस हुक्म को या उस के बदले में किसी हुक्म को

## हिस्सा ३।

### जायदाद का बन्दोबस्त।

#### देन का सबूत।

देन जो दिवाले में साबित किए जाने लायक़ हैं।

३४। (१) मुतालबे, जो न निबटाए हुए ऐसे हर्जों की क़िस्म के हों जो क़ौल-क़रार या ख़यानत को छोड़ और सबब से लगे हों, दिवाले में साबित किए जाने लायक़ न होंगे।

(२) मदयून से या उस पर दिवाले की किसी दरख़ास्त के दिये जाने की इत्तिला जिस आदमी को मिल चुकी है वह ऐसा कोई देन या ज़िम्मेदारी साबित न करने पाएगा जो मदयून ने उस को ऐसी इत्तिला पाने के दिन से पीछे लगी हो।

(३) उस को छोड़ के जिस का और तरह से ज़िम्न-दफ़े (१) और (२) में सामान किया गया है सब देन या ज़िम्मेदारियां जो अभी हों या आगे को हों, पक्की हों या शर्ती, जिन के मदयून उस वक़्त ताबे हो जब वह दिवालिया तजवीज़ किया जाए या जिन का वह अपने छुटकारा पाने से पहले किसी पाबन्दी के सबब ताबे हो सकता हो जो ऐसी तजवीज़ की तारीख़ के पहले उस ने अपने ऊपर कर ली हो ऐसे देन समझे जाएंगे जो दिवाले में साबित किए जाने लायक़ हैं।

(४) किसी ऐसे देन या ज़िम्मेदारी की क़ीमत का जो ऊपर बताए हुए तौर से साबित की जाने लायक़ हो और जिस की, उस के किसी शर्त या शर्तों के ताबे होने के सबब से या किसी और सबब से पक्की क़ीमत न हो, सर्कारी असाइनी से अन्दाज़ किया जाएगा।

पर शर्त यह है कि जो उस की राय में देन या ज़िम्मेदारी की क़ीमत का अन्दाज़ वाजिब तौर से होने लायक़ न हो तो वह हुए

को यह मालूम हो कि बन्दोबस्त, कौल-करार या इक़रार इस लिए किया गया था कि जिस से क़र्ज़ देने-वाले अपना रुपया न पायें या उन के पाने में देर हो, या कि बन्दोबस्त जिस वक़्त वह किया गया था करने-वाले के उस वक़्त के कारदार की हालत के खयाल से नाजाएज़ था, तो अदालत छुटकारे का हुक्म देने से इनकार कर सकती है या उसे रोक रख सकती है या शर्तों के ताबे होके हुक्म दे सकती है या निबटेरे या बन्दोबस्त को मंज़ूर करने से इनकार कर सकती है।

छुटकारे के हुक्म का फल

८५। (१) छुटकारे का कोई हुक्म दिवालिए को नीचे लिखे हुए देनों से छुटकारा न देगा।—

(अ) कोई देन जो श्रीमान महाराजाधिराज का देना है;

(ब) कोई देन या ज़िम्मेदारी जो ऐसे किसी धोखा देने या धोखा देके अमानत में खयानत करने के सबब से खड़ी की गई है जिस में वह एक फ़रीक़ था;

(स) ऐसा कोई देन या ज़िम्मेदारी जिस की निस्बत उस ने किसी फ़रेब से जिस में वह फ़रीक़ था, छुटकारा पाया है;

सन् १८९८।

(ह) मजमूए ज़ाबिते फ़ौजदारी सन् १८९८ की दफ़े ४८८ की रू से रोटी कपड़े के लिए दिए हुए हुक्म के मुताबिक़ कोई ज़िम्मेदारी।

(२) उस बात को छोड़ के जिस का सामान [illegible] दफ़े १ की रू से और तौर पर किया गया है, छुटकारे के हुक्म के [illegible] दिवालिया ऐसे सब देनों से छुटकारा पाएगा जो दिवाले में साबित किए जा सकते हैं।

(३) छुटकारे का हुक्म दिवाले और उस में की हुई कार-रवाइयों के क़ानून से ठीक होने का क़तई सबूत होगा।

(४) छुटकारे का कोई हुक्म उस आदमी को छुटकारा न देगा जो दरख्वास्त दिए जाने की तारीख़ के दिन दिवालिए का साझी था या उस के साथ अमानतदार था या उस के साथ पाबन्द था या उस के साथ

के वक़्त, उस की तरफ़ से या उस पर दिवाले की किसी दरख़ास्त की इत्तिला मिल चुकी हो।

देनों के सुबूत की निसबत क़ायदे।

९८। देनों के साबित करने के तौर, ज़मानत पर उधार देने-वाले और दूसरे दूसरे उधार देने-वालों के सबूत के हक़, सुबूत के लेने और ना-मंज़ूर करने, और पहले ख़िड्यूल में बताई हुई और और बातों की निसबत उस ख़िड्यूल के क़ायदे माने जायंगे।

कौन देन पहले दिए जायंगे।

९९। (१) दिवालिए की जायदाद बांटने में और सब देनों से पहले नीचे लिखे हुए देन अदा किए जायंगे,—

(अ) सारे देन जो श्रीमान महाराजाधिराज या किसी मक़ामी हाकिम के पावने हों;

(ब) दरख़ास्त दी जाने की तारीख़ से पहले चार महीने के भीतर दिवालिए के लिए किए हुए कामों की निसबत किसी मुहर्रिर, नौकर या मज़दूर की ऐसी कुल तनख़ाह या उजरत जो हर ऐसे मुहर्रिर के लिए तीन सौ रुपए से और हर ऐसे नौकर या मज़दूर के लिए एक सौ रुपए से बढ़ के न हो; और

(स) वह किराया जो किसी ज़मींदार या दिवालिए से पावना हो। पर शर्त यह है कि इस ख़ाक़ की रू से दिए जाने क़ाबिल रुपया एक महीने से बढ़ के न हो।

(२) वह सब देन जो फ़िक़्रे-रफ़े (१) में बताए हुए हैं, आपस में सब एक से समझे जायंगे और पूरे अदा कर दिए जायंगे पर उस हालत में नहीं कि जब दिवालिये की जायदाद उन के अदा करने के लिए पूरी न हो और ऐसी हालत में वह आपस में हिसाब से कम करके बराबर दिए जायंगे।

(३) ऐसे रुपए हाथ में रख लेने के बाद जो बन्दोबस्त के ख़र्चों के लिए या और तरह से दरकार हों, फ़िक़्रे-रफ़े (१) के बमूजिब

बात का सर्टिफ़िकेट देगा और उस पर वह देन या ज़िम्मेदारी ऐसा देन समझी जायगी जो हिसाबे में साबित होने लायक़ नहीं है।

तशरीह—इस दफ़े का काम चलाने के लिए "ज़िम्मेदारी" में किये हुए काम या मिहनत का कोई बदला किसी साफ़ २ या ऐसे हिस्सब की समझी जाती हो कि जो हुई शर्त, कौल-करार, इक़रार-नामे या क़रार के तोड़ने पर रुपया या रुपए की क़ीमत देने की कोई पाबन्दी या पाबन्दी हो उस की कोई बाबत शामिल है, चाहे ऐसा तोड़ना मदयून के छुटकारा पाने के पहिले हो या न हो या हो चुका या होने के लायक़ हो और आम तौर से इस में ऐसा कोई साफ़ २ या ऐसा कि समझा जाता हो, किया हुआ इक़रार-नामा, क़रार या क़ौल-करार शामिल है जो रुपया या रुपये की क़ीमत देने के लिए हो या जो ऐसा हो कि उस में पीछे से रुपया या रुपये की क़ीमत देनी पड़े चाहे, वह रुपया तादाद की निस्बत ठहराया हुआ या बे निबटाया हुआ हो, वक़्त की निस्बत अभी आगे को, पक्का या किसी शर्त या शर्तों पर देना हो; दाम ठहराने के तौर की निस्बत वह ऐसा हो कि बंधे हुए क़ायदों से ठीक किया जा सके या राय पर छोड़ दिया जाए।

आपस का लेन देन और मुजरा देना।

४७। जहां किसी दिवालिए और ऐसे किसी क़र्ज़ देने-वाले के बीच में जो इस एक्ट के मुताबिक़ किसी देन को साबित करते या करने का दावा करते हैं, आपस में लेन देन हुआ हो तो ऐसे आपस के लेन देन की निस्बत एक फ़रीक़ या दूसरे से जो कुछ पावना है, उस का हिसाब किया जायगा और जो रुपया एक फ़रीक़ से पावना निकलेगा वह उस रुपए में मुजरा दिया जायगा जो दूसरे फ़रीक़ से पावना निकलेगा और हिसाब की बाक़ी का और उस से ज़ियादे का नहीं, दोनों फ़रीक़ों में से कोई क्रम से दावा करेंगे या उसे देंगे।

पर शर्त यह है कि कोई आदमी किसी दिवालिए की जायदाद पर किसी मुजरे के फ़ायदे का दावा करने का हक़ इस एक्ट की रू से ऐसी किसी हालत में न रखेगा जहां उस को दिवालिए को उधार देने

(ब) जो यह साबित हो कि दिवालिए ने दिवाले के हक़ से ज़्यादे काम किए हैं तो दिवाले के कामों में से पहले काम के वक़्त से जिस का दिवालिए ने दिवाले की दरख़ास्त के पेश किए जाने के ठीक पहले तीन महीने के भीतर किया जाना साबित हो,

चलाव रहता है और उसी वक़्त शुरू होता है:

पर शर्त यह है कि कोई दिवाले की दरख़ास्त या तजवीज़ का हुक्म इस वजह से नाजायज़ न किया जायगा कि दिवाले का कोई काम दरख़ास्त देने-वाले, क़र्ज़ देने-वाले के देन के पहले किया गया हो।

क़र्ज़ देने-वालों में बांटी जाने-वाली दिवालिए की जायदाद का बयान।

५२। (१) दिवालिए की उस जायदाद में जो क़र्ज़ देने-वालों में बांटी जाने लायक़ है और जिस का हवाला इस ऐक्ट में दिवालिए की जायदाद कहके किया गया है नीचे लिखी हुई चीज़ें न रहेंगी, यानी :—

(अ) वह जायदाद जो दिवालिया किसी और आदमी के लिए अमानत में अपने पास रखता हो,

(ब) अपने पेशे के औज़ार और हथियार (जो कोई हो) और उस के आप, उस की औरत और लड़कों के ज़रूरी पहनने के कपड़े, बिछावने, खाना पकाने के बर्तन और ऐसे असबाब जिन की क़ीमत ऊपर बताए हुए औज़ारों, कपड़ों और २ ज़रूरी चीज़ों की क़ीमत मिला के सब तीन सौ रुपए से बढ़के न हो।

(२) उस के ताबे होके जैसा कि ऊपर बताया गया है दिवालिए की जायदाद में नीचे लिखी हुई चीज़ें या बातें रहेंगी :—

(अ) ऐसी सब जायदाद जो दिवाले के शुरू होने के वक़्त दिवालिए की हो या उस के हाथ आई या जो वह अपने छुटकारे से पहले हासिल करे या विरसा वग़ैरह की रू से उस के हाथ पड़े;

हुए देन जहां तक दिवालिए की जायदाद उन के अदा करने के लिए पूरी हो, फ़ौरन अदा कर दिए जाएंगे।

(४) साझियों की हालत में साझे की जायदाद पहले साझे के देन अदा करने के लिए काम में आएगी, और हर साझी की अपनी अलग जायदाद पहले उस के अपने अलग देनों के अदा करने के लिए काम में आएगी। उन साझियों की अलग जायदाद से कुछ बच रहे तो वह साझे की जायदाद का एक हिस्सा समझा जाएगा और जब साझे की जायदाद का कुछ हिस्सा बच रहे तो वह उस साझे की जायदाद में हर एक साझी के हक़ और फ़ायदे के हिसाब से हर एक के अलग जायदाद का हिस्सा समझा जाएगा।

(५) इस दफ़ा की शर्तों के ताबे होके सब देन जो दिवाले में साबित हों अपने २ देनों के मुताबिक़ और किसी को बढ़के न समझ कर हिस्से-वार अदा किया जाएगा।

(६) जब ऊपर बताए हुए देनों के अदा करने के पीछे कुछ बच रहे तो वह उन सब देनों पर जो दिवाले में साबित किए गए हैं मद-यून के दिवालिया तजवीज़ किए जाने की तारीख़ से फ़ी सैकड़े सालाने ६) रुपए के हिसाब से सूद के अदा करने के काम में लाया जाएगा।

किराया जो तजवीज़ से पहले पावना हुआ।

५०। तजवीज़ के हुक्म के दिए जाने के पीछे ऐसे हुक्म से पहले के पावने किराए के लिए दिवालिए के माल और असबाब कुर्क न किए जाएंगे जब तक वह हुक्म रद न किया जाए पर उस ज़मींदार या आदमी को जिस का किराया पावना हो यह हक़ होगा कि वह ऐसे किराए की निस्बत सुबूत दे।

जायदाद जो देनों के अदा करने के लिए हो।

महाजनों के हक़ का बयान।

५१। मदयून का दिवाला चाहे वह मदयून के अपनी दरख़ास्त देने पर या देने दे-वाले या देन देने-वालों के दरख़ास्त देने पर हो, ऐसा समझा जाएगा कि वह—

(अ) उस दिवाले के नाम करने के बाद से जिस पर तजवीज़ का हुक्म उस पर दिया गया है, या

(२) जो कोई आदमी नेक-नीयती से किसी मदयून की जायदाद (डिग्री के) जारी होने के सबब नीलाम में खरीदे उस पर उस को हर हालत में सर्कारी क़सादूनी के ख़िलाफ़ पक्का हक़ होगा।

जारी होने में जो कुर्क जायदाद की निस्बत डिग्री जारी करनेवाली अदालत के काम।

५४। जहां डिग्री के जारी होने का हुक्म मदयून की किसी ऐसी आयदाद पर जारी किया गया हो जो जारी होने में नीलाम किए जाने लायक़ हो और उस के नीलाम होने के पहले डिग्री जारी करने वाली अदालत को यह इत्तिला दी जाए कि मदयून पर तजवीज़ का हुक्म दिया गया है तो अदालत दरख़ास्त पर यह हिदायत करेगी कि वह जायदाद अगर अदालत के क़बज़े में हो तो सर्कारी क़सादूनी के हाथ में दे दी जाए पर जारी होने का ख़र्च इस तौर से दी हुई जायदाद के ज़िम्मे सब से पहले होगा और सर्कारी क़सादूनी उस जायदाद को या उस के किसी मुनासिब हिस्से को उस ख़र्च के दे देने के मतलब से बेच दे सक्ता है।

अपनी ख़ुशी से किए हुए इन्तिक़ाल का रद होना

५५। (१) जायदाद का कोई इन्तिक़ाल जो ऐसा इन्तिक़ाल नहीं है कि जो शादी के पहले और उस के ख़याल से किया गया हो या ख़रीदार या बार-रेन रखनेवाले के हक़ में नेक-नीयती से और क़ीमती बदला लेके किया गया हो, तो सर्कारी क़सादूनी के मुक़ाबले में उस हालत में बातिल होगा जो इन्तिक़ाल करने-वाला इन्तिक़ाल करने की तारीख़ के पीछे दो बरस के भीतर दिवालिया तजवीज़ किया जाए।

कई एक हालतों में एक को दूसरे की बद के एम-बना रद होना।

५६। (१) ऐसे किसी आदमी की तरफ़ से जो अपने क़र्ज़ या अपनेही रुपए से उस वक़्त न चुका सके जब कि वे पावने हों किसी क़र्ज़ देने-वाले के हक़ में और र क़र्ज़दारों से उस क़र्ज़दार को बढ़के समझने की ग़रज़ से जायदाद या किया हुआ हर इन्तिक़ाल, हर दिया हुआ बदला उठाई हुई हर ज़िम्मेदारी और को हुई या करने दी हुई हर अदालत कार-रवाई उस हालत में फ़रेब से की हुई समझी जाएगी और सर्कारी

(ब) जायदाद में या उस के ऊपर या उस की बाबत ऐसे सब इख़्तियारात जो जिस को दिवालिया अपने ख़ास फ़ाइदे के लिए अपने दिवाले के शुरू होने के वक़्त या अपने छुटकारे से पहले काम में ला सक्ता था काम में लाने और काम में लाने के लिए कार-रवाई करने की क़ाबिलियत; और

(स) ऐसा सब माल जो असल मालिक की रज़ा और इजाज़त से दिवाले के शुरू होने के वक़्त दिवालिए के उस के रोज़गार या कार-बार में दख़ल, क़ब्ज़ा या ठिकाने लगाने के इख़्तियार में ऐसी हालत में था कि उसी को लोग उस का मालिक जानते थे।

पर शर्त यह है कि इन दोनों को छोड़ के जो उस के रोज़गार या कार-बार के बाबत दिवालिए के पावने हों या होते हों और चीज़ें जिन पर उस का हक़ हो पर दख़ल न हो क़ाज़ (स) के मतलब के भीतर माल असबाब न समझी जाएंगी।

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी माल असबाब का असली मालिक जो क़ाज़ (स) की शर्तों के मुताबिक़ दिवालिए के देन देने-वालों में बांटने के लायक़ हुआ हो, ऐसे माल असबाब की क़ीमत के लिए सबूत दे सक्ता है।

पहले के लेन देन पर दिवाले का असर।

५३। (१) जब किसी मदयून की जायदाद पर डिग्री जारी की गई हो तो किसी आदमी को सर्कारी अदालत पर डिग्री जारी होने के फ़ायदे का हक़ उन पावनों को छोड़ और किसी पर न होगा जो तजवीज़ के हुक्म की तारीख़ के पहले और मदयून से या उस पर दिवाले की किसी दरख़्वास्त के दिए जाने की इत्तिला उस के पाने के पहले डिग्री जारी करते वक़्त बेच के या और तौर से वसूल किए गए हों।

क़र्ज़ देने-वालों के हक़ों पर रोक जब डिग्री जारी की गई हो।

(२) इस दफ़े में कोई बात उस जायदाद की बाबत जिस पर डिग्री जारी की गई है ज़मानत रख कर क़र्ज़ देने-वाले के हक़ों पर असर न पहुंचाएगी।

गयी वह मजमूए जाबिते दीवानी, सन १८०८ की रू से नियत किया हुआ दिखावर है, और अदालत उस की दरख्वास्त पर उस के मुताबिक उसे दाखिल होने या रखने देगी।

(३) जहां दिवालिए की जायदाद का कोई हिस्सा बाक, बड़ाकी के शेयर, स्टॉक, या किसी कम्पनी, कारखाने या आदमी के बही खाते में इन्तिकाल किए जाने लायक लिखी हुई जायदाद हो सरकारी आदमी उस जायदाद के इन्तिकाल करने के हक को उस हद तक काम में ला सकता है कि जिस हद तक दिवालिया जो वह दिवालिया होता तो, काम में ला सकता।

(४) जहां दिवालिए की जायदाद के किसी हिस्से में वह सब चीजें हों जिन पर उस का हक हो पर दखल न हो तो ऐसी चीजें ऐसी समझी जायंगी कि वह सरकारी असाइनी को ठीक से इन्तिकाल कर दी गई हैं।

(५) दिवालिए का कोई खजांची या और अफसर या कोई बैंकर (महाजन) अटर्नी या गुमाश्ता सरकारी असाइनी को ऐसा सब रुपया और सिक्यूरिटियां अदा कर देगा और दे देगा जो उस के कब्जे या इख्तियार में ऐसे अफसर, बैंकर, अटर्नियों या एजेण्ट के नाते है और जिन को उस आईन की रू से दिवालिए या सरकारी असाइनी के बरखिलाफ उसे अपने पास रखने का हक नहीं है। जो वह ऐसा न करे तो वह अदालत की तौहीन करने का मुजरिम होगा और उस सर्कारी असाइनी की दरख्वास्त पर उस के मुवाफिक सजा पाने के लायक होगा।

दिवालिये की जायदाद की कुर्की।

५८। (१) अदालत दिवालिए की जायदाद के किसी हिस्से को जो दिवालिए या किसी और आदमी की रखवाली या कब्जे में हो कुर्क करने के लिए और ऐसे कुर्क करने के मतलब से दिवालिए के किसी घर मकान या कोठरी को जहां यह सोचा गया हो कि दिवालिया रहता है या दिवालिए के किसी मकान या सन्दूक वगैरह को जहां सोचा गया हो कि उस की कोई जायदाद है तोड़के खोलने के लिए अदालत के अहलकार

असाइनी के मुक़ाबिले में बातिल होगी जो ऐसा आदमी उस की तारीख़ के पीछे तीन महीने के भीतर दरख़्वास्त दी जाने पर दिवालिया ठहराया जाय।

(२) यह दफ़ा ऐसे किसी आदमी के हक़ों पर असर न पहुंचावेगी जिस ने दिवालिए के क़र्ज़-देने-वाले से होके या उस के तहत में से नेक-नीयती से और क़ीमती बदला देके हक़ पाया है।

नेक-नीयती से किए हुए कामों का बचाना।

५७। किसी डिग्री के जारी होने पर दिवाले के असर की निस्बत और कई एक इन्तिक़ालों और वग़ैरह के रद्द होने की निस्बत ऊपर बताई हुई शर्तों के ताबे होके इस एक्ट में कोई बात दिवाले की हालत में—

(अ) दिवालिए का उस के क़र्ज़-देने-वालों में से किसी को कोई रुपया देना;

(ब) दिवालिए को कोई रुपया देना या कुछ हवाले करना;

(स) दिवालिए का क़ीमती बदला लेके कोई इन्तिक़ाल कर देना; या

(ड) क़ीमती बदला ले या देके दिवालिए का या उस के साथ कोई क़ौल-क़रार या लेन देन;

रद्द न करेगी:

पर शर्त यह है कि ऐसा कोई लेन देन तजवीज़ के हुक्म की तारीख़ से पहले हुआ हो और यह कि उस आदमी को जिस के साथ ऐसा लेन देन हुआ हो मदयून से या उस पर दिवाले की किसी दरख़्वास्त के दिए जाने की इत्तिला उस वक़्त न मिली हो।

जायदाद का वसूल होना।

सरकारी असाइनी का जायदाद पर क़ब्ज़ा करना।

५८। (१) सरकारी असाइनी जहां तक बन पड़े फ़ौरन दिवालिए की दस्तावेज़ों, बही खातों और काग़ज़ों और उस की ऐसी जायदाद के और और क़िस्मों को भी जो हाथ में डाली जा सकें, अपने क़ब्ज़े में लावेगा।

(२) सरकारी असाइनी दिवालिये की जायदाद का क़ब्ज़ा हासिल करने या रखने की निस्बत और उस के लिए उसी बाबत में वैसे

बखेड़े की जायदाद का दावा छोड़ देना।

६२। (१) जहां दिवालिए की जायदाद के किसी हिस्से में ऐसे किसी दरमियानी हक़ की ज़मीन का हक़ हो जिस के साथ कोई बखेड़े के क़ौल-क़रार लगे हों, कम्पनियों के शेयर या (काग़ज़) स्टाक, या ऐसे ठीके हों जिन में कोई फ़ायदा न हो, या ऐसी कोई और जायदाद हो जो उस के रखने-वाले को किसी बखेड़े के काम के करने या कोई रुपए के अदा करने के लिए पाबन्द करने की वजह से बिकने लायक़ न हो या झट न बेचे जा सकी हो तो सरकारी असाइनी जायदाद के बेचने या क़ब्ज़ा लेने के लिए कोशिश करने पर भी या उस को निस्बत मालिक होने का कोई काम करने पर भी हमेशा इस दफ़े की शर्तों के ताबे होके लिख के अपने दस्तख़त से दिवालिए के दिवालिया तज्वीज़ किए जाने के पीछे बारह महीने के भीतर किसी वक़्त उस जायदाद का दावा छोड़ दे सक्ता है।

पर शर्त यह है कि जहां ऊपर बताई हुई तज्वीज़ के पीछे एक महीने के भीतर किसी ऐसी जायदाद की इत्तिला सरकारी असाइनी को न मिली हो तो वह उस को इत्तिला पहले पहल पाने के पीछे बारह महीने के भीतर किसी वक़्त उस जायदाद का दावा छोड़ दे सक्ता है।

(२) इस दावे के छोड़ देने का यह फल होगा कि उस को छोड़ देने की तारीख़ से दिवालिए के और उस को जायदाद के हक़ फ़ायदे और ज़िम्मेदारियां जो दावा छोड़ दी हुई जायदाद में या उस की बाबत हों जाती रहेंगी और सरकारी असाइनी भी दावे छोड़ दी हुई जायदाद की बाबत सब जाती ज़िम्मेदारी से उस तारीख़ से कि जब वह जायदाद उस को सौंपी गई होगी छुटकारा पा जाएगा पर दिवालिए, और उस की जायदाद और सरकारी असाइनी को ज़िम्मेदारी से छुटकारा देने के लिए जहां तक ज़रूर हो उस को छोड़ के किसी और आदमी के हक़ों या ज़िम्मेदारियों पर कुछ असर न पहुंचेगा।

पट्टों को छोड़ देने की या ज़मीनों का दावा छोड़ देना।

६३। ऐसे क़ायदों के हमेशा ताबे होके जो इस काम के लिए बनाए जाएं सरकारी असाइनी को यह हक़ न होगा कि वह अदालत की इजाज़त के बिना किसी हुए पट्टे के हक़ का दावा छोड़ दे; और अदालत

उस किसी अफ़सर को या ऐसे किसी पुलीस अफ़सर को जिस का दर्जा कानस्टेबल से ऊपर हो वारण्ट दे सक्ती है।

(२) जहां अदालत का इस बात से मन भर जाए कि इस बात के मानने के लिए सबब है कि दिवालिए की जायदाद किसी ऐसे घर या जगह में छिपाकर रख दी गई है जो उस की नहीं है तो अदालत जो वह ठीक समझे तो तलाशी का वारण्ट ऐसे किसी अफ़सर को जो ऊपर बताया गया है दे सक्ती है जो उस की तामील उस के मनशा के मुताबिक़ कर सक्ता है।

क़र्ज़ देने-वालों के लिए तनख़्वाह या और किसी आमदनी के हिस्से का कटा रखना।

४०। (१) जहां दिवालिया फ़ौज का या जंगी जहाज़ों का या श्रीमान महाराजाधिराज के शाही हिन्द की बहरी नौकरी का कोई अफ़सर हो या शाही सिविल सरविस में रखा या नियत किया हुआ अफ़सर या क्लार्क या और आदमी हो तो सरकारी असाइनी क़र्ज़ देने-वालों में बांटने के लिए दिवालिए की उस तनख़्वाह का जो किसी डिग्री के जारी होने में कुर्क़ हो सक्ती है इतना हिस्सा देगा जितने के लिए अदालत हुक्म दे।

(२) जहां दिवालिए को ऊपर बताए हुए को छोड़ और कोई तनख़्वाह मिलती हो या आमदनी हो तो अदालत तजवीज़ के पीछे किसी वक़्त और वक़्त वक़्त पर, क़र्ज़ देने-वालों में बांटने के लिए सरकारी असाइनी को उस तनख़्वाह या आमदनी का इतना जो किसी डिग्री के जारी होने में कुर्क़ हो सक्ता हो या उस का कोई हिस्सा देने के लिए जैसा वह ठीक समझे हुक्म दे सक्ती है।

जायदाद का सौंपना और इन्तिक़ाल करना।

४१। दिवालिए की जायदाद एक सरकारी असाइनी से दूसरे सरकारी असाइनी के हाथ में जाएगी, और वह बिना किसी इन्तिक़ाल के सरकारी असाइनी के हाथ में उस वक़्त के लिए हो जाएगी कि जब तक वह उस ओहदे पर बना रहे।

६६। (१) अदालत ऐसे किसी आदमी की दरख़ास्त पर जो किसी छोड़ी हुई जायदाद में दावा करता हो या किसी छोड़ी हुई जायदाद की निसबत ऐसी किसी ज़िम्मेवारी के तावे हो जो इस एक्ट की रू से छोड़ दी नहीं गई है और ऐसे आदमियों के सुनने पर जिन को वह ठीक समझे उस जायदाद को ऐसे किसी आदमी के जिस को उस का हक है, या जिस को यह ठीक दिखाई दे कि वह ऊपर बताई हुई ज़िम्मेदारी के बदले के तौर से दी जानी चाहिए, या उस के ट्रस्टी के और ऐसी शर्तों पर जो अदालत ठीक समझे, हवाले करने या दे देने का हुक्म दे सक्ती है; और हवाले करने के ऐसे हुक्म के दिए जाने पर उस में लिखी हुई जायदाद उस के लिए कोई इन्तिक़ाल किए बिना उस आदमी के हवाले की जाएगी जो उस में उस बारे में बताया गया है :

छोड़ी हुई जायदाद को निसबत हवाले करने का हुक्म देने के लिए अदालत का इख़तियार।

पर हमेशा शर्त यह है कि जहां वह जायदाद जिस का दावा छोड़ दिया गया है पट्टे पर रखी हुई जायदाद की क़िस्म की हो तो अदालत ऐसे किसी आदमी के हक़ में जो दिवालिए के नीचे या दिवालिए के तावे होके दावा करता है चाहे वह शिकमी पट्टेदार या रिहन रखने-वाले के तौर से हो हवाले करने का हुक्म न देगी पर ऐसी शर्तों पर जिस से वह आदमी उन्हीं ज़िम्मेदारियों और पाबन्दियों के तावे किया जाए जिन के वह दिवालिया उस जायदाद की निसबत पट्टे की रू से उस दिन तावे था जिस दिन दिवाले की दरख़ास्त दी गई थी, और कोई शिकमी पट्टेदार या रिहन रखने-वाला जो ऐसी शर्तों पर हवाले करने के हुक्म को मानने से इनकार करे उस जायदाद में उस के सब हक़ और उस पर की ज़मानत जाती रहेगी और जो दिवालिए के तावे होके दावा करने-वाला ऐसा कोई आदमी न हो जो उन शर्तों पर हुक्म के मानने के लिए राज़ी हो तो अदालत को यह इख़तियार होगा कि वह उस जायदाद में से दिवालिया के हक़ को दिवालिए की तरफ़ से उस में उठे लिए हुए सब भारों हक़ों दावों और हक़ियतों से पाक करके और छुटाके ऐसे किसी आदमी के साथ के जो आप या दूसरे के लिए, और अकेला या दिवालिए के

ऐसी इजाज़त के देने के पहले या देने पर सरोकार रखने-वाले असा-
मियों को ऐसी इत्तिला के दिए जाने का हुक्म दे और ऐसी इजाज़त
देने के लिए ऐसी शर्तें रखे, और, बराबर के लिए बनी हुई चीज़ों
को, असामियों को सुधार और अमीन रखने हक़ की और और बातों
की निस्बत ऐसे हुक्म दे सकती है जो अदालत ठीक समझे।

६४। सर्कारी असाइनी को यह हक़ न होगा कि वह दफ़े ६२ के

दावा छोड़ने के लिए सर्कारी असाइनी से कहने का इख़तियार।

मुताबिक़ किसी जायदाद का दावा ऐसी किसी हालत में छोड़ दे जहां उस जायदाद में सरोकार रखने-
वाले किसी आदमी ने सर्कारी असाइनी से यह बात
के उस को लिखके दरख़ास्त दी हो कि वह इस बात को ठहराए कि
क्या वह दावा छोड़ देगा और सर्कारी असाइनी ने दरख़ास्त पाने के
पीछे २८ दिन तक या ऐसी मुद्दत तक जो अदालत ने बढ़ाके दी हो
इस बात की इत्तिला देने से इन्कार किया या उस में ग़फ़लत की हो
कि वह जायदाद का दावा छोड़ता है; और किसी क़ौल-क़रार की हालत
में जो सर्कारी असाइनी ऐसी दरख़ास्त पाने के पीछे जैसी कि ऊपर
बताई गई है बताई हुई मुद्दत या बढ़ाके दी हुई मुद्दत के भीतर उसे
क़ौल-क़रार का दावा न छोड़ दे तो ऐसा समझा जाएगा कि उस ने
वह मान लिया है।

६५। अदालत ऐसे किसी आदमी की दरख़ास्त पर जो सर्कारी

क़ौल-क़रार रद करने के लिए अदालत का इख़तियार।

असाइनी के मुक़ाबले में फ़ायदे का हक़ रखता हो या दिवालिए के साथ किए हुए क़ौल-क़रार
के ताबे हो उस क़ौल-क़रार के पूरा न करने के बारे
लिए किसी फ़रीक़ से या किसी फ़रीक़ को हर्जा दिलाने या और तौर
की निस्बत ऐसी शर्तों पर जो अदालत को मुनासिब दिखाई दे क़ौल-
क़रार के रद करने का हुक्म दे सकती है और ऐसे कोई हर्जे जो उस
हुक्म के मुताबिक़ ऐसे किसी आदमी को दिए जाएं दिवाले की रू से
देन के तौर से उस का तरफ़ से साबित किए जा सकते हैं।

(ई) किसी ऐसी कार-रवाई या किसी ऐसे काम के करने के लिए जिसे अदालत मञ्जूर करे, कोई वकील या दूसरा एजेण्ट नियत कर सक्ता है;

(फ) दिवालिए को किसी ऐसी जायदाद को बिक्री के बदले में कोई ऐसा रुपया जो आगे को अदा होने लायक़ हो, या किसी लिमिटेड कम्पनी के पूरे अदा किए हुए शेयर डिबेंचर या डिबेंचर स्टाक, ऐसी ज़मानत और दूसरी बातों की निस्बत ऐसी शर्तों के ताबे होके जो अदालत मुनासिब समझे ले सक्ता है;

(ग) दिवालिए की जायदाद के किसी हिस्से का उस के देनों के चुकाने के लिए रुपया खड़ा करने के वास्ते रिहन या गिरो रख सक्ता है;

(ह) किसी झगड़े को पञ्चायत के हवाले कर सक्ता है और ऐसी शर्तों पर जिन पर दोनों फ़रीक राज़ी हों सब देनों, दावों और ज़िम्मेदारियों की निस्बत निपटेरा कर दे सक्ता है;

(ए) किसी ऐसी जायदाद को जो उस की ख़ास क़िस्म या दूसरी ख़ास हालतों के सबब फ़ौरन या फ़ायदे के साथ बेची नहीं जा सक्ती जैसी है वैसीही करीकों के बीच उस की अन्दाज़ की हुई क़ीमत के मुताबिक़ बांट दे सक्ता है:

(२) सरकारी असाइनी इस तौर से अदालत को हिसाब देगा और रुपया अदा करेगा और सब सिक्यूरिटियों के साथ कार-रवाई करेगा जैसा कि बताया गया है या जैसा अदालत हुक्म दे।

जायदाद का बांटना।

६८। (१) सरकारी असाइनी सुबीते के साथ झट उन क़र्ज़ देने-वालों के बीच में जिन्होंने अपने देनों को साबित किया है, पड़ता की वसार और बांटेगा,

(देनों का चुकाना और [illegible])

(२) पहली बार का पड़ता (जो हो) तहक़ीक़ किए जाने के पीछे [illegible] के भीतर बताया और बांटा जाएगा पर यह हाकिम ने बड़ा

साथ मिलके उस पट्टे में की पट्टेदार की शर्तों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार है।

(२) अदालत जो वह ठीक समझे ऊपर बताई हुई शर्त से ठहराई हुई शर्तें इतनी बदल दे सक्ती है जिस से वह आदमी जिस के लिए हवाले करने का हुक्म दिया जाए उन्हीं ज़िम्मेदारियों और पाबन्दियों के उसी तौर से ताबे हो मानो वह पट्टा उस के नाम उसी दिन कर दिया गया था जब कि दिवाले की दरख़ास्त दी गई थी (और जो हालत की रू से ऐसा ज़रूर हो) मानो पट्टे में सिर्फ़ वही जायदाद लिखी हुई थी जो हवाले करने के हुक्म में दर्ज की गई है।

वे आदमी जिन को दावा छोड़ने से नुक्सान पहुंचे साबित कर सक्ते हैं।

६७। कोई आदमी जिस को ऊपर बताई हुई शर्तों के मुताबिक़ दावा छोड़ देने के सबब नुक्सान पहुंचा है नुक्सान पहुंचने की हद तक दिवालिये का उधार देने-वाला समझा जाएगा और उसे दिवाले की रू से देन के तौर पर साबित कर सक्ता है।

वसूल होने की निसबत सरकारी असाइनी के काम और इख़्तियार।

६८। (१) इस एक्ट की शर्तों के ताबे होके सरकारी असाइनी जहां तक जल्द हो सके, मदयून की जायदाद वसूल करेगा और उस काम के लिए—

(अ) दिवालिए की सारी जायदाद या उस का कोई हिस्सा बेच दे सक्ता है;

(ब) जो रुपया उस ने पाया है, उस को रसीद दे सक्ता है; और अदालत की इजाज़त से नीचे लिखे हुए सब या किसी काम को कर सक्ता है, यानी;

(स) दिवालिए का कार-बार चला सक्ता है जहां तक वह फ़ायदे के साथ उस के समेटने के लिए हो;

(ड) दिवालिए की जायदाद की निसबत कोई दावा या क़ानून की रू से दूसरी कार-रवाई कर उस का जवाब दे या उस को चलाता रह सक्ता है;

मियों के पावने मालूम हों जो ऐसी जगहों के रहनेवाले हैं जो इतनी दूर है कि आने जाने के मामूली से ढंग उन को अपने सुबूतों के पेश करने के लिए पूरा वक़्त नहीं मिला ;

(ब) उन देनों के लिए जो दिवाले में साबित हो सकें और उन दावों की चीज़ हों जो अब तक ठहराए नहीं गए हों ;

(स) ऐसे सबूत या दावों के लिए जिन पर झगड़ा हो ; और

(ड) उन ख़र्चों के लिए जो जायदाद के बन्दोबस्त के लिए या और तौर पर ज़रूरी हों।

(२) छिमे-दफ़े (१) की शर्तों के ताबे होके सब रुपए जो हाथ में हों, पड़ते के तौर से बांट दिए जाएंगे।

७२। जिस कर्ज़ देने-वाले ने किसी पड़ते या पड़तों के बताए जाने से पहले अपना देन साबित न किया हो उस को इस बात का हक़ होगा कि वह किसी ऐसे रुपए से जो उस वक़्त सरकारी असाइनी के हाथ में हों, ऐसा पड़ता या पड़ते जो उसे न मिले हों, इस से पहले कि वह रुपए आगे को किसी पड़ते या पड़तों के अदा करने में काम में आएं, पाए, पर उस को इस बात का हक़ न होगा कि वह किसी ऐसे पड़ते के बटवारे में जो इस से पहले कि उस का देन साबित हुआ था, बताया गया हो इस सबब से छेड़ छाड़ करे कि उसे उस में हिस्सा नहीं मिला।

ऐसे कर्ज़ देने-वाले का हक़ जिस ने पड़ते के बताने से पहले देन साबित न किया हो।

७३। (१) जब सरकारी असाइनी दिवालिए की सारी जायदाद या उस में से इतनी कि जितनी उस की राय में दिवाले की कार-रवाइयों को बे ज़रूरत बहुत दिनों तक बढ़े रखे बिना वसूल की जा सकती है, वसूल कर चुके तो वह अदा-यगी की रक़म से आख़ीर पड़ता बताएगा पर ऐसा करने से पहले वह उन आदमियों को जिन के कर्ज़ देने-वाले होने के दावे की इत्तिला उस को दी गई है पर वे साबित नहीं किए गए हैं, बताए हुए तौर से

आख़ीर पड़ता।

कि जब सरकारी असाइनी अदालत का इस बात से मन भर दे कि इस बात के लिए पूरा सबब है कि यह बताना किसी आगे आने-वाली तारीख तक रोक रखी जाए।

(३) इस के पीछे पड़ते ऐसा न करने के लिए पूरे सबब न हों तो इतने दिनों में जो छः महीने से बढ़के न हों, बताए जाने और बांटे जाने लायक होंगे।

(४) किसी पड़ते को बताने से पहले सरकारी असाइनी ऐसे बताने के अपने इरादे की इत्तिला के बताए हुए तौर से मुश्तहर किए जाने का सामान करेगा और उस की ठीक ठीक इत्तिला भी दिवालिए के लिखने में बताए हुए ऐसे हर क़र्ज़ देने-वाले को जिस ने अपना देन साबित नहीं किया है, भेज देगा।

(५) जब सरकारी असाइनी पड़ते को बता चुके तो वह ऐसे हर क़र्ज़ देने-वाले को जिस ने सबूत दिया हो यह दिखाती हुई एक इत्तिला कि पड़ते की तादाद क्या है और वह कब और कैसे दिया जा सकेगा और जो कोई क़र्ज़ देने-वाला चाहे तो जायदाद के ब्योरों की लिखे बताए हुए फ़ार्म में एक नक़ल भेज देगा।

एक साथ मिली हुई और अलग अलग जायदाद।

९०। जहां किसी फ़र्म (कोठी) का एक साझीदार दिवालिया ठहराया किया जाय तो कोई क़र्ज़ देने-वाला जिस का रुपया दिवालिया फ़र्म के और और साझीदारों या उन से किसी के साथ मिल के धारता हो दिवालिए की अपनी अलग जायदाद से कोई पड़ता न पाएगा जब तक कि उसी अलग अलग सब क़र्ज़ देने-वालों ने अपने अपने देन का पूरा रुपया न लिया हो।

पड़तों का हिसाब।

९१। (१) पड़ते के हिसाब करने और बांटने में सरकारी असाइनी नीचे लिखे हुओं के लिए पूरा रुपया रखेगा—

(अ) उन देनों के लिए जो दिवाले में साबित किए जा सकें और दिवालिए के बयान से या और तरह से जो ऐसे द

मुतल्लक करके ठहरा सक्ती है जो वह अपनी जायदाद के मसरफ़ में लगा दो पर ऐसी तनख़ाह किसी वक़्त अदालत की तरफ़ से घटा बढ़ा या बन्द कर दी जा सक्ती है।

बचे हुए रुपए में दिवालिए का हक़।

७९। दिवालिया ऐसे बचे हुए रुपए के पाने का हक़ रखेगा जो उस के क़र्ज़ देने-वालों को इस एक्ट में बताए हुए सूद के साथ कुल रुपया अदा कर देने और उस को हद से की हुई कार-रवाइयों के ख़र्चे, अदा कर देने के पीछे बाक़ी रह जाएं।

## हिस्सा ४।

### सरकारी असाइनी।

दिवालिए की जायदाद के सरकारी असाइनी का नियत होना और अलग होना।

८०। (१) फ़ोर्ट विलियम, मदरास और बम्बई की अदालत हाई कोर्टों में से हर एक का चीफ़ जस्टिस और अदालत चीफ़ कोर्ट बरमा का चीफ़ जज वक़्त वक़्त पर ऐसे आदमी को जिस को वह ठीक समझे ऐसी हर ऊपर बताई हुई अदालत के लिए दिवालिए की जायदाद के सरकारी असाइनी के ओहदे पर बराबर के लिए या कुछ दिन के लिए नियत कर सक्ता है और अदालत के और और जजों में से बहुतों की एक राय होने पर उस आदमी को जो उस वक़्त उस ओहदे पर हो किसी ऐसे सबब के लिए जो अदालत को पूरा मालूम हो, अलग कर दे सक्ता है।

(२) हर सरकारी असाइनी ऐसी ज़मानत देगा और ऐसे क़ायदों के ताबे होगा और ऐसे तौर से काम करेगा जैसा कि बताया जाए।

(३) हिस्से-दफ़ (१) में चाहे जो लिखा हो पर तब भी वह आदमी जो इस एक्ट के जारी होने से ठीक पहले दिवाले के एक्ट हिन्द, सन १८४८ की रू से क्रम से कलकत्ते, मदरास और बम्बई की दिवालिए मद्यून को मदद पहुंचाने की अदालतों में और चीफ़ कोर्ट बरमा में उस आईन की रू से जैसा कि वह चीफ़ कोर्ट

यह इत्तिला देगा कि जो वे इत्तिला में ठहराए हुए वक्त के भीतर अपने दावों को इस तरह साबित न करें कि जिस से अदालत का मन भर जाय तो वह उन दावों का ख़याल न करके आख़ीर पड़ता बांटने को कार-रवाई करेगा।

(२) ऐसे ठहराए हुए वक्त के बीत जाने के पीछे या जो अदालत ऐसे किसी दावा रखने-वाले की दी हुई दरख़ास्त पर उसे अपना हक़ क़ायम करने के लिए और भी वक्त दे तो ऐसे और भी वक्त के बीत जाने पर दिवालिए की जायदाद ऐसे क़र्ज़ देने-वालों के बीच जिन्होंने अपने देन साबित किए हों किसी और आदमी के दावों का ख़याल न करके बांट दी जायगी।

पड़ते के लिए कोई दावा न चलाया जायगा।

७४। पड़ते के दिला पाने की कोई नालिश सरकारी असाइनी पर न की जायगी पर जो सर्कारी असाइनी कोई पड़ता देने से इनकार करे तो अदालत ऐसे किसी क़र्ज़ देने-वाले की दरख़ास्त पर जिस को ऐसे इनकार करने से रंज पहुंचा है उस के देने का उस को हुक्म दे सक्ती है और यह भी हुक्म दे सक्ती है कि उस का इतने दिन का सूद कि जितने दिन तक वह रोक के रखा गया है ऐसी शरह से जो बताई जाए और दरख़ास्त का ख़र्च अपनेही रुपए से अदा करे।

दिवालिए की जायदाद के बन्दोबस्त करने के लिए काम देने का इख़्तियार और दिवालिए के खाने कपड़े पानेकी के लिए तनख़ाह।

७५। (१) ऐसी शर्तों और रोकों के ताबे होके जो बताई जाएं सरकारी असाइनी क़र्ज़ देने वालों के फ़ायदे के वास्ते दिवालिएही को उस दिवालिए की जायदाद या उस के किसी हिस्से के बन्दोबस्त की निगरानी करने के लिए या दिवालिए के कार-बार (जो कुछ हो) के चलाने के लिए और किसी दूसरी बात को जिस से जायदाद के ऐसे तौर से और ऐसी शर्तों पर जिन को सरकारी असाइनी हिदायत करे, बन्दोबस्त करने में मदद देने के लिए मिहनत कर सक्ता है।

(२) ऊपर बताए हुए के ताबे होके सरकारी असाइनी वक्त वक्त पर ऐसी तनख़ाह जो वह दिवालिए के लिए ठीक समझे उस को जायदाद में से उस के और उस के घर के लोगों की परवरिश के बदले या उस के कामों का

८०। सरकारी असाइनी जब कभी ऐसा करने के लिए कर्ज़े देने-वाले की तरफ़ से चाहा जाए और कर्ज़ देने-वाले के बताई हुई फ़ीस देने पर कर्ज़ देने-वालों को एक फ़िहरिस्त जिस में यह दिखाया हुआ होगा कि हर एक कर्ज़ देने-वाले का कितना पावना है, तैयार करके उस कर्ज़ देने-वाले के पास डाक से भेज देगा।

कर्ज़ देने-वालों को फ़िहरिस्त देने का काम।

८१। (१) सरकारी असाइनी को ऐसा मेहनताना दिया जायगा जो ठहराया जाए।

मेहनताना।

(२) सरकारी असाइनी इस नाते उस मेहनताने को छोड़ जो हिस्से-दफ़े (१) में बताया गया है और कोई मेहनताना न पाएगा।

८२। अदालत सरकारी असाइनी से ऐसे किसी बेजा काम, ग़फ़लत या भूल चूक की निसबत कैफ़ियत तलब करेगी जो उस के हिसाब में या और किसी तरह से दिखाई दे, और सरकारी असाइनी से यह चाह सकती है कि वह ऐसा हर नुक़सान भर दे जो दिवालिए की जायदाद को ऐसे बेजा काम, ग़फ़लत या भूल चूक के सबब पहुंचा हो।

बेजा काम।

८३। सरकारी असाइनी "               , दिवालिए की जायदाद के सरकारी असाइनी" के नाम से दिवालिए का नाम दर्ज करके दावा कर सकता है और उस पर दावा किया जा सकता है, और उस नाम से वह हर तरह की जायदाद रख सकता है, कौल क़रार कर सकता है, अपने तईं और अपनी जगह काम करने-वालों को पाबन्द करके इक़रार-नामा लिख सकता है, और ऐसे और और काम भी कर सकता है जिन का किया जाना उस के ओहदे का काम करने में ज़रूर या मुनासिब है।

नाम जिस से दावा कर सकता है या जिस से उस पर दावा किया जा सकता है।

८४। जो तजवीज़ या हुक्म किसी सरकारी असाइनी पर दिया गया हो तो वह उस का ब हैसियत सरकारी असाइनी का ओहदा खाली कर देगा।

दिवालिए के सरकारी असाइनी के ओहदे का खाली किया जाना।

मन बरमा की अदालतों के एक्ट सन १८०० की रू से काम में लाया गया है बराबर के लिए या कुछ दिनों के लिए सरकारी असाइनी का ओहदा रखते हों उस काम के लिए फिर से नियत न किए जाके फोर्ट विलियम, मद्रास और बम्बई की हाई कोर्टों में और लोअर बरमा की चीफ़ कोर्ट में बराबर के लिए या कुछ दिनों के लिए जैसा कि मौक़ा हो इस एक्ट की रू से सरकारी असाइनी होंगे।

हलफ़ देने का इख़तियार।

७८। सरकारी असाइनी सबूतों, दरख़ास्तों या इस एक्ट की रू से की हुई दूसरी दूसरी कार-रवाइयों के तसदीक़ करने के हलफ़ी बयानों के लिए हलफ़ दे सक्ता है।

दिवालिए के चाल चलन की निस्बत काम।

७९। (१) सरकारी असाइनी के काम को दिवालिए के चाल-चलन और उस की जायदाद के बन्दोबस्त दोनों से लगाव होगा।

(२) ख़ास करके सरकारी असाइनी का यह काम होगा कि वह—

(अ) छुटकारे की किसी दरख़ास्त पर दिवालिए के चाल-चलन की तहक़ीक़ात करे और अदालत को यह लिख के रिपोर्ट करे कि आया इस बात के मानने के लिए सबब है कि दिवालिए ने अपने दिवाले के लगाव में कोई ऐसा काम किया है जो इस एक्ट की रू से या मजमूए ताज़ीरात हिन्द की दफ़े ४२१ से ४२४ तक की रू से कोई जुर्म है या जिस से अदालत का उस के छुटकारे का हुक्म देने से इनकार करना, उस का मुलतवी रखना या उस का तर्मीम करना ठीक होगा;

(ब) दिवालिए के चाल-चलन की निस्बत ऐसी और रिपोर्ट करे जिस के लिए अदालत हुक्म दे या जो बताई जाए, और

(स) किसी धोखा देने-वाले दिवालिए पर मुकद्दमा चलाने में इस तरह से शरीक हो और मदद दे जैसा अदालत हुक्म दे या जिस तरह से कि बताया जाए;

दिए गए हों या उस की निस्बत किसी क़र्ज़ देने-वाले से अदालत में कोई नालिश की जाए तो अदालत उस मामले की तहक़ीक़ात करेगी और उस की निस्बत ऐसी कार-रवाई करेगी जो ठीक समझी जाए।

(२) अदालत किसी वक़्त किसी सरकारी असाइनी से यह चाह सक्ती है कि वह किसी दिवाले की निस्बत जिस में वह नियत किया गया है जो बात अदालत से पूछी जाए उस का जवाब दे, और दिवाले की निस्बत उस का या किसी और आदमी का हलफ़ देके इज़हार ले सक्ती है।

(३) अदालत सरकारी असाइनी के बही खातों और रसीद वग़ैरह की निस्बत तहक़ीक़ात किए जाने का भी हुक्म दे सक्ती है।

---

## हिस्सा ५।

देख-भाल की कमेटी।

देख-भाल की कमेटी।

८८। अदालत जो वह ठीक समझे तो उन क़र्ज़ देने-वालों को जिन्होंने अपना देन साबित किया है यह इख़्तियार दे सक्ती है कि वे क़र्ज़ देने-वालों के आम प्राक्सी (अदालत में काम करने-वालों) या आम मुख़तार-नामों के रखने-वालों में से एक देख-भाल की कमेटी सरकारी असाइनी की तरफ़ से दिवालिए की जायदाद के होते हुए बन्दोबस्त की देख-भाल के लिए नियत करे।

पर शर्त यह है कि कोई क़र्ज़ देने-वाला जो देख-भाल की कमेटी का मेम्बर नियत किया जाए उस काम के लायक़ तब तक न समझा जाएगा जब तक वह अपना देन साबित न कर चुके।

देख-भाल की कमेटी की सरकारी असाइनी पर रोक टोक।

८९। कमेटी को सरकारी असाइनी की कार-रवाई पर ऐसे रोक टोक करने का इख़्तियार होगा जो ठहराए जाएं।

८५। (१) इस एक्ट को शर्तों और अदालत की हिदायतों के ताबे होके सरकारी असाइनी दिवालिए की जायदाद का बन्दोबस्त करने में और क़र्ज़ देने-वालों में उस के बांट देने में किसी ऐसे विचार पर ख़याल रखेगा जो एक जगह बैठ के क़र्ज़ देने-वालों ने किया हो।

वह ख़यालात जो उस को मरज़ी पर हों और उस को रोक टोक।

(२) सरकारी असाइनी वक़्त वक़्त पर क़र्ज़ देने-वालों को यह जानने के लिए एक जगह इकट्ठा कर सक्ता है कि वे क्या चाहते हैं और उस का यह काम होगा कि वह उनको ऐसे वक़्त इकट्ठा होने के लिये बुलाए जिस के लिए क़र्ज़ देने-वाले किसी बैठक में विचार करके या अदालत हिदायत करे या जब कभी ऐसा करने के लिए उन क़र्ज़ देने-वालों में से जिन्हों ने अपना देन साबित किया है और इतनों की तरफ़ से उसे लिख भेजा जाए जिन का पावना मिल के कुल पावने का एक चौथाई हो।

(३) सरकारी असाइनी दिवाले की रू से उठे हुए किसी ख़ास काम की निस्बत हिदायत पाने के लिए अदालत के पास दरख़ास्त कर सक्ता है।

(४) इस एक्ट की शर्तों के ताबे होके सरकारी असाइनी जायदाद के बन्दोबस्त करने और क़र्ज़ देने-वालों में उस के बांटने में अपनी समझ से काम करेगा।

८६। जो दिवालिया या क़र्ज़ देने-वालों में से कोई या और कोई आदमी रिसीवर के किसी काम या फ़ैसले से सताया गया हो तो वह अदालत में अपील कर सक्ता है और अदालत उस काम या फ़ैसले को जिस की निस्बत नालिश की गई है, पक्का कर, उलट दे या उस में कुछ अदल बदल कर दे सक्ती है और ऐसा हुक्म दे सक्ती है जैसा वह ठीक समझे।

अदालत में अपील।

८७। (१) जो कोई सरकारी असाइनी अपने कामों को ईमानदारी के साथ न करे और उन सब हुक्मों को ठीक ठीक न माने तो उस पर किसी एक्ट या क़ायदों को कहे या और किसी तरह से उस के कामों के करने को निगरानी

अदालत की रोक टोक।

साथ मिले हुए मदयूनों में से एक या इजरादार न भी हो सकता है जो वह दीवाले या कहीं बाहर चले जाने के सबब इजरादार से यता जाने से इस तरह से रोका जाए कि जिस के लिए कोई बस न रहे।

(८) इस एक्ट का काम चलाने के लिए लोअर बरमा की चीफ़ कोर्ट अदालत को तौहीन करने के लिए सज़ा देने के सब इख़्तियार रहेंगे जो अदालत हाई कोर्ट फ़ोर्ट विलियम, मदरास और बम्बई को हासिल हैं।

दरख़्वास्तों का इकट्ठा कर देना।

९१। जहां दिवाले की दो या ज़ियादे दरख़्वास्तें एकही मदयून पर या एक साथ मिले हुए कई मदयूनों पर दी गई हों, या जहां एक साथ मिले हुए मदयून अलग अलग दरख़्वास्तें दाख़िल करें तो अदालत ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, कार-रवाइयों या उन में से किसी को इकट्ठा कर दे सकती है।

दरख़्वास्त का ढंग बदल देने का इख़्तियार।

९२। जहां दरख़्वास्त देने वाला आदमी दरख़्वास्त की निस्बत ठीक होशियारी से कार-रवाई न करे तो अदालत दरख़्वास्त देने-वाले के तौर से ऐसे किसी और क़र्ज़ देने-वाले को उस के बदले में रख सकती है जिस का मदयून उतने रुपए का देन-दार हो जितना इस एक्ट की रू से दरख़्वास्त देने-वाले क़र्ज़ देने-वाले की बाबत में चाहा गया है।

मदयून के मर जाने पर कार-रवाइयों का जारी रखना।

९३। जो कोई मदयून जिसने या जिस पर दिवाले की दरख़्वास्त दी गई है, मर जाए, तो उस मामले की कार रवाइयां जब तक अदालत कोई दूसरा हुक्म न दे, उसी तौर से चलती रहेंगी मानो वह जीता है।

कार-रवाइयों के ठहरा देने का इख़्तियार।

९४। अदालत चाहे जिस वक़्त पूरे सबब से दिवाले की दरख़्वास्त की रू से कार रवाइयों को बिलकुल या किसी ख़ास वक़्त तक ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों के ताबे होके जैसी अदालत ठीक समझे ठहरा देने का हुक्म दे सकती है।

## हिस्सा ६।

कार-रवाई।

८०। (१) इस एक्ट की रू से कार-रवाइयों में अदालत वही इख्तियार रखेगी और वही कार-रवाई करेगी जो वह अपने मामूली पहली बार सुनने के दीवानी इख्तियार काम में लाने में रखती है और जिसे वह करती है।

अदालत का इख्तियार।

पर शर्त यह है कि इस दफ़े में कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी तौर से इस एक्ट की रू से अदालत को दिए हुए इख्तियार को हद बांधेगी।

(२) इस एक्ट की शर्तों के और क़ायदों के ताबे होके अदालत किसी कार-रवाई के और उस में पड़े हुए खर्च अदालत की समझ पर होंगे।

(३) अदालत किसी वक़्त ऐसी किसी कार-रवाई को जो उस के सामने हो, ऐसी शर्तों पर अगर कोई हों जिन को लगाना वह ठीक समझे रोक रख सकती है।

(४) अदालत किसी वक़्त इस एक्ट की रू से लिखे हुए किसी हुक्म-नामे या कार-रवाई को ऐसी शर्तों पर अगर कोई हों जिन का लगाना वह ठीक समझे, तर्मीम कर सकती है।

(५) जहां इस एक्ट की रू से या क़ायदों की रू से किसी काम या बात के करने का वक़्त बांध दिया गया हो तो अदालत उस वक़्त को या तो उस के बीतने से पहले या पीछे ऐसी शर्तों पर अगर कोई हों जिन का लगाना अदालत ठीक समझे बढ़ा दे सकती है।

(६) क़ायदों के ताबे होके अदालत किसी मामले में सारा सबूत या उस का कोई हिस्सा हलफ़नामे या [illegible] बयान के ज़रिये से या ज़बानी देके या मुआयने के ज़रिये से ले सकती है।

दी जाएगी और वह उस के बरख़िलाफ़ मदद दिलाया जा सक्ता है और उस की दरख़ास्त पर अदालत जो वह ठीक समझे तो यह हिदायत कर सक्ती है कि वह उस कार-रवाई से बाहर कर दिया जाए या अपना ठीक हिस्सा पाएगा और जो वह उस से किसी फ़ायदे के पाने का दावा न करे तो वह उस की निस्बत ख़र्चे से जैसा कि अदालत हुक्म दे बचा दिया जाएगा।

साझे के नाम से कार-रवाई।

९८ (१) ऐसे दो या कई आदमी जो साझी होके या ऐसा कोई आदमी जो साझे के नाम से कार-बार चलाता हो फ़र्म के नाम से इस एक्ट की रू से कार-रवाई कर सक्ता है या उस पर कार-रवाई की जा सक्ती है:

पर शर्त यह है कि उस हालत में अदालत किसी सरोकार रखने-वाले आदमी की दरख़ास्त पर यह हुक्म दे सक्ती है कि उन आदमियों के नाम जो फ़र्म के साझी हैं या उस आदमी का नाम जो साझे के नाम से कारबार चलाता है इस तौर से जो अदालत हुक्म दे ज़ाहिर किया जाए और हल्फ़ लेके या और किसी तरह से उस की तसदीक़ की जाए।

(२) ऐसे किसी फ़र्म की हालत में जिस में एक साझी बच्चा हो तो उस बच्चे साझीदार को छोड़ के उस फ़र्म पर तजवीज़ का हुक्म दिया जा सक्ता है।

दिवाले की अदालतों के वारण्ट।

१००। (१) अदालत की तरफ़ से जारी किया हुआ गिरफ़्तारी का वारण्ट उसी तौर से और उन्हीं शर्तों के ताबे होके तामील किया जा सक्ता है जैसे कि मजमूए ज़ाबिते फ़ौजदारी सन १८९८ की रू से जारी किया हुआ गिरफ़्तारी का वारण्ट जारी किया जा सक्ता है।

(२) किसी दिवालिए की जायदाद के किसी हिस्से को कुर्क करने का वारण्ट जो दफ़े ५८ के हिस्से-दफ़े (१) के मुताबिक़ अदालत की तरफ़ से जारी किया जाए ठहराए हुए फ़ार्म में होगा और ऊपर बताए हुए मजमूए की दफ़े

*किसी साझी पर दरख़ास्त देने का इख़्तियार।*

८५। कोई ऐसा क़र्ज़-देने-वाला जिस का देन इतना है कि जिस से उस को किसी फ़र्म (कोठी) के सब साझियों पर दिवाले की दरख़ास्त देने का हक़ है कोठी के किसी एक या कई साझियों पर औरों को शामिल किए बिना दरख़ास्त दे सकता है।

*सिर्फ़ कुछ रेनदारों की ने बरख़िलाफ़ दरख़ास्त के ख़ारिज करने का इख़्तियार।*

८६। जहां किसी दरख़ास्त में एक से ज़ियादे रेस्पांडेण्ट हों तो अदालत उन में से एक या ज़ियादे को निस्बत दरख़ास्त को उन में दूसरे या दूसरों के हक़ को दरख़ास्त के असर पर बिना कुछ नुक़सान पहुंचाए ख़ारिज कर दे सकती है।

*साझियों के बरख़िलाफ़ दिवाले की अलग अलग दरख़ास्तें।*

८०। जहां किसी फ़र्म के एक साझी पर या उस की तरफ़ से दी हुई दिवाले की दरख़ास्त पर तजवीज़ का हुक्म दिया गया हो तो उसी फ़र्म के किसी साझी पर या उस की तरफ़ से कोई दूसरी दिवाले की दरख़ास्त उस अदालत में जहां पहली बताई हुई दरख़ास्त पर मुक़द्दमे की कार-रवाई हो रही है, दी जाएगी या भेजी जाएगी; और वह अदालत ऐसी हिदायत जैसी वह ठीक समझे दरख़ास्तों की कार-रवाइयों को इकट्ठा करने के लिए दे सकती है।

*सरकारी चलानेवाले और दिवालिए के साझियों की तरफ़ से दावे।*

८८ (१) जहां किसी फ़र्म का साझी दिवालिया ठहराया जाए तो अदालत सर्कारी असाइनी को अपने नाम से और दिवालिए के साझी के नाम से किसी दावे या और कार-रवाई के बराबर चलाते रहने या शुरू करने और चलाने के लिए इख़्तियार दे सकती है; और कोई ऐसी मुक्ती जो उस देन या मतालबे की निस्बत साझी से दी जाए जिस की निस्बत यह कार-रवाई है, बातिल समझी जाएगी।

(२) जहां हिस्से-दफ़े (१) की रू से किसी दावे या और कार-रवाई को चलाते रहने या शुरू करने के लिए इख़्तियार पाने की दरख़ास्त दी गई हो तो उस दरख़ास्त की इत्तिला दिवालिए के साझी को

(१) अपने ऐसे लेन देन की निस्बत जिस की इस ऐक्ट की रू से तहक़ीक़ात हो सक्ती है कोई बही, खाता, काग़ज़ या लिखावट नुक़सान कर दी हो या उस को और तरह से जान बूझ के पेश न होने दिया हो या किसी मतलब से पेश न किया हो या

(२) झूठे बही खाते रखे या रखवाए हों, या

(३) अपने ऐसे लेन देन की निस्बत जिस की इस ऐक्ट की रू से तहक़ीक़ात हो सक्ती है किसी ऐसे बही खाते काग़ज़ या लिखावट में झूठे खाते किए हों या खाते न होने दिए हों या जान बूझ के उसे बदल दिया या झूठ बना दिया हो, या

(ब) धोखा देके अपने क़र्ज़ देने-वालों में बांटे जाने-वाले रुपए को कम करने या ऊपर बताए हुए क़र्ज़ देने-वालों में से किसी को बेजा तौर से बढ़के समझने के इरादे से,

(१) कोई ऐसे देन की चुकती दी या उसे छिपाया हो जो उस का या उस से पावना हो, या

(२) अपनी जायदाद के, वह चाहे जिस क़िस्म की हो, किसी हिस्से को नुक़सान कर दिया हो, उस पर बार खड़ा किया हो, उसे बन्धक रख दिया या छिपा दिया हो,

मुजरिम ठहराए जाने पर ऐसी मुद्दत के लिए क़ैद की सज़ा के लायक़ होगा जो दो बरस तक हो सक्ती है।

दफ़े १०२ की रू से जुर्म करने पर कार-रवाई।

१०४। (१) जहां सर्कारी असाइनी अदालत को इस बात की रिपोर्ट करे कि उस की राय में दिवालिया दफ़े १०२ की रू से किसी जुर्म का मुजरिम हुआ है या जहां किसी क़र्ज़ देने-वाले के बयान करने पर अदालत को जब इस बात से सब आए कि इस बात के मानने का सबब है कि दिवालिया ऐसे किसी जुर्म का मुजरिम हुआ है तो अदालत [illegible] कर सक्ती है कि दिवालिया पर [illegible] और से इस बात का [illegible]

९१ (२) ९५, ८२, ८३, ८४, और १०२ जहां तक हो सके ऐसे वारण्ट के तामील करने में लगेंगी।

(३) तलाशी लेने का वारण्ट जो दफ़े ५५ की ज़िम्न-दफ़े (२) के मुताबिक़ अदालत की तरफ़ से जारी किया गया हो उसी तौर से और उन्हीं शर्तों के ताबे होके तामील किया जा सक्ता है जैसे कि उस माल के लिए तलाशी का वारण्ट जो चोरी गया हुआ समझा जाता है उपर बताए हुए मजमूए की रू से तामील किया जा सक्ता है।

## हिस्सा ७।

### तमादी।

१०१। सर्कारी अदाइनी के किसी काम या फ़ैसले को या दफ़े ४ की रू से इख़्तियार पाए हुए अदालत के किसी अफ़सर के दिए हुए हुक्म की अपील के लिए तमादी की मुद्दत ऐसे काम, फ़ैसले या हुक्म की तारीख़ से जैसी कि हालत हो बीस दिन होगी।

अपील की मुद्दत।

## हिस्सा ८।

### सज़ाएं।

१०२। कोई छुटकारा न पाया हुआ दिवालिया किसी आदमी से ५०) रुपए या उस से ज़ियादे क़र्ज़ ले, पर ऐसे आदमी को यह न बताए कि वह छुटकारा न पाया हुआ दिवालिया है तो वह मजिस्ट्रेट से मुजरिम ठहराए जाने पर ऐसी क़ैद की जो छः महीने तक हो सक्ती है या जुर्माने की या दोनों की सज़ा पाने लायक़ होगा।

छुटकारा न पाया हुआ दिवालिया जो क़र्ज़ ले।

१०३। दिवालिया ठहराया हुआ कोई आदमी जिसने—

कई जुर्मों के लिए दिवालियों की सज़ा।

(अ) धोखा देके अपने लेन देन की बाबत को छिपाने या इस ऐक्ट की ग़र्ज़ों को पूरा न होने देने के इरादे से,

। हुक्म दे सक्ती है कि दिवालिये की जायदाद का बन्दोबस्त सरसरी
रै से किया जाए और इस पर इस एक्ट की दफ़ों में नीचे बताए
र अदल बदल हो सकेंगे, यानी :—

(अ) अदालत के किसी हुक्म की अपील अदालत की इजाज़त के बिना न होगी ;

(ब) किसी क़र्ज़ देने-वाले या सर्कारी असाइनी की दरख्वास्त को छोड़ और किसी तौर पर दिवालिये का बयान न लिया जायगा ;

(स) जायदाद जहां तक बन पड़े, एकही बार में हिस्से करके बांट दी जायगी ;

(द) इसी तरह के और २ अदल बदल किए जा सक्ते हैं जो खर्च बचाने या कार-रवाई के आसान करने के मतलब से बताए जाएं।

पर शर्त यह है कि इस दफ़े में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से दिवालिये का छुटकारा कर देने की निसबत इस एक्ट की शर्तों में कोई अदल बदल होने पायगा।

(२) अदालत किसी वक़्त भी वह ठीक समझे दिवालिये की जायदाद के सरसरी तौर से बन्दोबस्त करने के किसी हुक्म को रद कर दे सक्ती है।

---

## हिस्सा १०।

खास शर्तें।

सनद पाई हुई जमाअत वगैरह का दिवाले की कार-रवाइयों से बचा दिया जाना।

१०३। कोई दिवाले की दरख्वास्त किसी सनद पाई हुई जमाअत या ऐसे किसी एसोसियेशन या कम्पनी पर न दी जायगी जिस का रजिस्ट्री उस वक़्त के लिए काम में आते हुए किसी क़ानून की रू से की गई है।

के लिए नोटिस तामील की जाए कि उस पर एक या कई चार्ज क्यों न क़ायम किए जाने चाहिएं।

(२) उस नोटिस में जुर्म का खुलासा मतलब लिखा हुआ रहेगा और उसी नोटिस में कई जुर्म लिखे जा सक्ते हैं।

(३) ऐसी नोटिस के और उस के मुताबिक़ क़ायम किए हुए किसी चार्ज के सुनने के वक़्त अदालत जहां तक हो सके वह कार-रवाई करेगी जो मजमूए ज़ाबिते फ़ौजदारी सन १८९८, के बाब २१ की रू से मजिस्ट्रेट की तरफ़ से वारण्ट के मुक़द्दमों के सुनने के लिए ठहराई गई है और हाई कोर्टों और सेशन की अदालतों में मुक़द्दमे सुनने की निसबत ऊपर बताए हुए मजमूए के बाब २३ में कोई ऐसी बात नहीं है जो ऐसे सुनने से लगाव रखेगी।

५, सन १८९८

(४) इस एक्ट की रू से कई एक जुर्म एकही साथ लगाए जा सक्ते हैं।

१०५। जहां कोई दिवालिया दफ़े १०२ या १०३ में बताए हुए जुर्मों में से किसी का मुजरिम हुआ हो तो वह उस के लिए उस पर मुक़द्दमा चलाए जाने से इस सबब से न बच जाएगा कि वह अपना छुटकारा पा चुका है या यह कि निबटेरा या बन्दोबस्त की तजवीज़ क़बूल या मंज़ूर कर ली गई है।

छुटकारा पाने या निबटेरे के पीछे जुर्म के लिए जिम्मेदारी।

---

## हिस्सा ८।

### छोटे छोटे दिवाले।

१०६। (१) जहां अदालत का मन इजहारी बयान से या और किसी तरह से भर जाय या सर्कारी अहलकारी अदालत को यह रिपोर्ट करे कि दिवालिए की जायदाद की क़ीमत हो सक्ता है कि ५,०००/ रुपए से या इस से

छोटे छोटे मुक़द्दमों में सरसरी तौर से बन्दोबस्त।

१०९। (१) दफ़ा १०८ की रू से मरे हुए मदयून की जायदाद के बन्दोबस्त के लिए हुक्म दिए जाने पर उस मदयून की जायदाद अदालत के सर्कारी अमलदारों के हाथ में कर दी जायगी और वह आदमी इस एक्ट की शर्तों के मुताबिक़ उस के वसूल करने और बांट देने की कार-रवाई करने लगेगा।

जायदाद का देना और बन्दोबस्त का तौर।

(२) इस से पीछे बताए हुए अदल बदल के साथ किसी दिवालिए की जायदाद के बन्दोबस्त की निस्बत जिसे ए की कुल शर्तें जहां तक वह काम में लाई जा सक्ती हैं ऐसे बन्दोबस्त के हुक्म की हालत में उसी तौर से काम में आवेंगी कि जिस तरह से वह इस एक्ट की रू से तजवीज़ के हुक्म के लिए काम में आती हैं।

(३) बन्दोबस्त के हुक्म की रू से मरे हुए मदयून की जायदाद के बन्दोबस्त करने में सर्कारी अमलदारी उन दावों का ख़याल करेगा जो मरे हुए मदयून का क़ाइम की रू से क़ायम-मक़ाम उस रुपए के पाने के लिए करे जो उस ने मदयून की जायदाद के भीतर और उस के आस पास ठीक ठीक किरिया करने और वसीयत के साबित करने में ख़र्च किया हो; और वे दावे क़ानून की रू से ऐसा देन समझे जाएंगे कि और और देनों से बढ़ के हैं, और सब और देनों के पहले मदयून की जायदाद से पूरे चुका दिए जाएंगे।

(४) जो किसी मरे हुए मदयून की जायदाद के बन्दोबस्त करने पर सर्कारी अमलदारी के हाथ में उन सब देनों के जो मदयून से पावने हों और बन्दोबस्त के ख़र्चों और सूद के पूरा पूरा चुका देने के पीछे जिन के लिए इस एक्ट में दिवाले की हालत में सामान किया गया है, कोई बाक़ी बच रहे तो वह मरे हुए मदयून की जायदाद के क़ाइम की रू से क़ायम-मक़ाम को दे दिया जायगा या वह ऐसी और किसी तरह से बरता जायगा जैसा कि बताया जाए।

वसूल किए जाएंगे और जिन का हिसाब दिया जाएगा और जिस की बाबत वे दिए जायंगे;

(च) दिवालिए मदयूनों की चाहे वे इस एक्ट या किसी पहले के एक्ट की रू से दिवालिए ठहराए गए हों जायदादों से लगाव रखने-वाले उन दावा न किए हुए पड़ताँ रहे हुए रुपयों और और रुपयों के अलग अलग या एक साथ फ़ायदे पर लगाने, और ऐसे लगाने से आए हुए रुपयों के काम में लाने के लिए;

(छ) दिवालिए मदयूनों की जायदाद का क़बज़ा लेने और उस को वसूल करने में सर्कारी रसाइनों की कार-रवाइयों के लिए;

(ड) सर्कारी रसाइनों के मेहनताने के लिए;

(ई) सर्कारी रसाइनों के पाने, देने और हिसाबों के लिए;

(फ़) सर्कारी रसाइनियों के हिसाबों की जांच के लिए;

(ग) सर्कारी रसाइनों के मेहनताने उस के आफ़िस वगैरह के ख़र्च, चार्ज और ख़र्च और उस के हिसाब की जांच के ख़र्च उस रुपए में से देने के लिए जो उस के हाथ में फ़ायदे पर लगाए हुए रुपए से आयें;

(ह) ऊपर बताए हुए तौर से आए हुए रुपए में से उन ख़र्चों के देने के लिए जो धोखा देने-वाले मदयूनों पर मुक़द्दमा चलाने में और अदालत के हुक्म से सर्कारी रसाइनों की तरफ़ से की हुई क़ाइनी कार-रवाइयों में पड़े हों;

(ए) ऐसी किसी दीवानी ज़िम्मेदारी के चुकाने के लिए जो ऐसे किसी सर्कारी रसाइनों ने जो अदालत के हुक्म या हिदायत से काम करते हुए उठाई की हो;

(ज) उन कार-रवाइयों के लिए जो दिवालिए मदयूनों के क़र्ज़ देने-वालों के साथ निबटेरे और बन्दोबस्त की तदबीर की तजवीज़ों को निस्बत की जायं;

आईन की रू से क़ायम-मक़ामों की तरफ़ से रुपया देना या दूसरे के साथ कर देना।

११०। (१) दफ़े १०८ की रू से किसी दरख़ास्त के दिए जाने की इत्तिला पाने के पीछे आईन की रू से क़ायम-मक़ाम की तरफ़ से दिया हुआ कोई रुपया या दूसरे के हाथ की हुई जायदाद उस के आप और सर्कार। असाढ़ूनी के बीच उस के लिए छुटकारे का काम न करेगी।

सन १८७४

(२) ऊपर बताए हुए को छोड़ के दफ़े १०८ या दफ़े १०९ या इस दफ़ में कोई ऐसी बात नहीं है जिस से आईन की रू से क़ायम-मक़ाम से या ऐसे किसी ज़िले जज से जो एडमिनिस्ट्रेटर-जनरल के एक्ट सन १८७४ की दफ़े ६४ की रू से उस को दिए हुए इख़्तियारों के मुताबिक़ काम करता है, बन्दोबस्त के हुक्म की तारीख़ के पहले नेक-नीयती से दिए हुए किसी रुपए का देना या किया हुआ काम या बात नाजाएज हो।

एडमिनिस्ट्रेटर-जनरल के इख़्तियार का बचाना।

१११। दफ़े १०८, १०९ और ११० की शर्तें ऐसी किसी हालत में न लगेंगी जिस में किसी मरे हुए मद्दून की जायदाद के बन्दोबस्त का प्रोबेट या बन्दोबस्त की चिट्ठियां एडमिनिस्ट्रेटर-जनरल को दी गई हों।

---

## हिस्सा ११।

### क़ायदे।

क़ायदे

११२। (१) अदालतें जो इस एक्ट की रू से इख़्तियार रखती हैं वक़्त वक़्त पर इस एक्ट के मतलबों को काम में लाने के लिए क़ायदे बना सकती हैं।

(२) ख़ास करके और ऊपर बताए हुए इख़्तियार के आम होने को नुक़्सान न पहुंचा के ऐसे क़ायदों की रू से—

(क) इस एक्ट की रू से की जानेवाली फ़ीस और उनके पीछे पड़तों के और उस तौर के लिए जिस से वे

११४। इस तौर से बनाए और मंज़ूर किए हुए क़ायदे गवर्नमेंट हिन्द में या सरकारी लोकल (मक़ामी) गज़ट में छपेंगे कि हाकिम की राय के मुताबिक़ किए जाएंगे और इस पर वे उस अदालत में जिस ने उन को बनाया इस एक्ट के मुताबिक़ की हुई कार-रवाइयों की निस्बत वही ज़ोर और असर रक्खेंगे मानो वे इस एक्ट में शामिल बनाए गए थे।

क़ायदों का मुश्तहर किया जाना।

---

## हिस्सा १२।

### फुटकर तौर से।

११५। (१) हर इन्तिक़ाल, रिहन, दूसरे के हाथ कर देना, मुख़्तार-नामा, प्राक्सी का काग़ज़, सर्टिफ़िकेट, हलफ़-नामा, तमस्सुक या और और कार-रवाइयां, दस्तावेज़ या लिखावट वह चाहे कैसी हों जो अदालत के सामने या उस के किसी हुक्म की रू से हों और उस की कोई नक़ल किसी स्टाम्प या और किसी तरह के रसूम के देने से बचाई जाएगी।

इस एक्ट की रू से इन्तिकाल वग़ैरह को रसूम से बचाना।

(२) ऐसी किसी दरख़ास्त के लिए जो सरकारी असाइनी इस एक्ट की रू से अदालत को दे या ऐसे किसी हुक्म के लिखने और जारी करने के लिए जो अदालत उस दरख़ास्त पर दे कोई स्टाम्प रसूम या फ़ीस न लगाई जा सकेगी।

११६। (१) सरकारी गज़ट की कोई परत जिस में कोई ऐसी इत्तिला हो जो इस एक्ट के मुताबिक़ दर्ज की गई हो उस इत्तिला में बताई हुई बातों का सुबूत होगी।

गज़ट का सुबूत होना।

(२) सरकारी गज़ट की कोई परत जिस में तजवीज़ के हुक्म की कोई इत्तिला हो, उस हुक्म के ठीक से दिए जाने और उस की तारीख़ का कामिल सुबूत होगी।

(फ) दिवालिए मदयूनों और उन की जायदाद को निस्बत दर-ख़ास्तों और मामलों के सुने जाने के वक़्त सर्कारी असाइनी के बीच में पड़ने के लिए;

(ब) सर्कारी असाइनी की तरफ़ से छुटकारा न पाए हुए दिवालिए मदयूनों के हिसाब के बही खातों और काग़ज़ों की जांच की जाने के लिए;

(भ) इस एक्ट की रू से कार-रवाइयों में दरख़्वास्तों की तामील करने के लिए;

(म) देख-भाल की कमेटियों के नियत करने, मिटिंग और कार-रवाइयों के लिए;

(य) किसी फ़र्म (कोठी) के नाम से इस एक्ट की रू से कार-रवाइयों के करने के लिए;

(र) उन फ़ार्मों के लिए जो इस एक्ट की रू से कोई कार-रवाइयों में काम में लाए जाएंगे;

(ल) उस कार-रवाई के लिए जो उन जायदादों की हालत में की जाएगी कि जिन का बन्दोबस्त सरसरी तौर से किया जाएगा;

(व) उस कार-रवाई के लिए जो मरे हुए आदमियों की उन जायदादों की हालत में की जाएगी जिन का बन्दोबस्त इस एक्ट की रू से किया जाएगा;

सामान किए और ज़ाबिते ठहराए जा सक्ते हैं।

कायदों को मन्ज़ूरी।

११३। क़ायदे जो इस हिस्से की शर्तों के ब-मूजिब बनाए जायं अदालत हाई कोर्ट फ़ोर्ट विलियम बंगाले की हालत में गवर्नर-जनरल साहब बहादुर ब-इजलास कौन्सिल की और किसी और अदालत की हालत में लोकल गवर्नमेंट की पहले से मन्ज़ूरी पाने के ताबे होंगे।

११८। (१) दिवाले की निस्बत कोई कार-रवाई किसी आफ़िसर की कमी या बे-ज़ाबतगी से ना-जायज़ न होगी मगर उस हालत में कि जब उस अदालत को जिस के सामने कार-रवाई की निस्बत उज़्र किया जाए राय हो कि उस कमी या बे-ज़ाबतगी से भारी बे-इन्साफ़ी हुई है और कि वह बे-इन्साफ़ी उस अदालत के किसी हुक्म से दूर नहीं हो सकती।

(२) किसी सरकारी अमलदारी या देख-भाल की किसी कमेटी के पद के नियत करने में क़ाबिज़ की कमी या बे-ज़ाबतगी से कोई ऐसा काम जिस को उस ने ईमानदारी से किया हो, बातिल न हो जाएगा।

अमानत रखने-वाले के ... का अमानत रखने-वाले के दिवाले के लिए काम में आना।

११९। जहां अमानत रखने-वाले के एक्ट, हिन्द, सन १८९१ के भीतर कोई दिवालिया अमानत रखने-वाला हो तो उस एक्ट की दफ़े २५ दिवालिए के बदले एक नए अमानत रखने-वाले के नियत करने का इख़्तियार देने के लिए काम में आएगी (चाहे उस ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया हो या न दिया हो), जो ऐसा करना मुनासिब दिखाई दे और उस एक्ट की और किसी और एक्ट की जो उस की निस्बत हो सब शर्तें उसी तरह से काम में आएंगी।

सरकार को पाबन्द करने के लिए कुछ शर्तें।

१२०। उस को छोड़ के जिस का इस में सामान किया गया है इस एक्ट की शर्तें के जो मदयून की जायदाद के बरख़िलाफ़ चारों, देनों के पहले पाने के हक़ों निबटेरे या बन्दोबस्त की तदबीर के असर, और छुटकारे के फल की निस्बत हों, सरकार पाबन्द होगी।

मुकदमा सुने जाने के ... जो हक हैं उन का बचाव।

१२१। इस एक्ट में या उस की रू से हद इख़्तियार के बदलने के कोई ऐसी बात नहीं है जिस से वह सुने जाने का हक़ ले लिया जाएगा या उस पर कोई असर होगा जो किसी आदमी का इस एक्ट के जारी होने से ठीक पहले रहा हो; या जो ऐसे किसी आदमी को दिवाले के मामलों में वह हक़ देने के लिए अमली

११७। ऐसा हर बयान इस ऐक्ट को रू से इख़्तियार रखने-वाली अदालत में काम में आएगा जो वह हल्फ़ देके—

हलफ़ के बयान करना।

(अ) ब्रटिश हिन्द में—

(१) किसी अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने; या

(२) किसी ऐसे अफ़सर या और आदमी के सामने जो मज-मूए क़ानिने दीवानी सन १९०८ की रू से हलफ़ देने के लिए नियत किया गया हो।

(ब) इङ्गलैण्ड में किसी ऐसे आदमी के सामने जिस को श्रीमान महाराजाधिराज की अदालत हाई कोर्ट में या लन्काशर के पालाटाइन काउण्टी की अदालत चानसरी में या किसी दिवाले की अदालत के रजिस्ट्रार के सामने या किसी दिवाले की अदालत के किसी ऐसे अफ़सर के सामने जिस को उस अदालत के जज ने इस काम के लिए लिख के इख़्तियार दिया हो, या उस काउण्टी या जगह के लिए जहां वह हलफ़ देके किया जाए किसी जस्टिस आफ़ दी पीस के सामने;

(स) स्काटलैण्ड या आयरलैण्ड में किसी जज, आरडिनरी मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ़ दी पीस के सामने; और

(ह) किसी और जगह में, मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ़ दी पीस या ऐसे और आदमी के सामने जो उस जगह हलफ़ दे सक्ता है (उस को ब्रटिश वज़ीर, या ब्रटिश कौन्सिल या ब्रटिश पोलिटिकल एजेण्ट या नोटरी पबलिक की तरफ़ से मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ़ दी पीस या ऊपर कहे तौर से क़ाबिल होने का सर्टिफ़िकेट दिया गया

किया जाए।

आदमी उस को दिवालिए करार्ज़ों की मदद के लिए अदालतों के सामने का हक़ न था।

१२२। ऐसा सरकारी अफ़सर अपने इख़्तियार में ऐसा कोई रखता हो जिस के लिए उस के उतारे जा तारीख़ से १५ बरस तक या उस से कम मुद्दत के लिए जो बताई जाए, दावा न किया हो तो वह उसे सरकार हिन्द के हिसाब में या नाम जमा देगा उस बाबत में नहीं कि अब अदालत और तौर पर हुक्म दे।

दावा न किए गए रुपयों का सरकार में बहुत दौर जमा होना।

१२३। ऐसा कोई आदमी जो ऐसे किसी रुपए के पाने के का दावा करता हो जो दफ़े १२२ के मुता सरकार हिन्द के हिसाब में जमा कर दिया हो अदालत के पास उस रुपए के दिला पा हुक्म के लिए दरख़्वास्त कर सकता है; और अद जो उस का मन इस बात से भर जाए कि दावा करने-वाला आ उस के पाने का हक़ रखता है तो उस को उस रुपए के दिलाने हुक्म देगी जो पावना निकला हो।

ऐसे रुपयों के लिए दावे जो दफ़े १२२ की रू से सरकार में जमा कर दिए गए हों।

पर शर्त यह है कि किसी ऐसे रुपए के दिलाने का हुक्म देने पहले जो सरकार हिन्द के हिसाब में जमा किया गया है अदालत अफ़सर पर जिसे गवर्नर-जेनरल साहब बहादुर ब-इजलास कौन्सिल नि करें एक इत्तिला उस अफ़सर से यह चाह के तामील कराएगी कि उस इत्तिला के तामील होने की तारीख़ से एक महीने के भीतर बात का सबब दिखलाए कि वह हुक्म क्यों नहीं दिया जाना चाहिए

१२४। (१) कोई आदमी सर्कारी अहलकारों के बरख़िलाफ़ यह न रखेगा कि वह हिसाब के उन बही खा को जो दिवालिए के हों अपने पास रख छोड़े उन पर कोई हक़ क़ायम करे।

दिवालिए के बही खातों को रख सकना।

(२) दिवालिए का कोई क़र्ज़ देने-वाला अदालत की रोक टोक नाव होके और ऐसी फ़ीस के देने पर अगर कोई हो जो ठहराई जा

उसे ऐसा करने के लिए हिदायत करें या जब उस को कर्ज़ देने-वालों में से इतने कि जिन के देन मिल के सब देनों की चौथाई के बराबर हों और जिन्होंने उनहें साबित किया हो, उस से लिख के दरख़्वास्त करें।

बैठक करना।

२। बैठक के वक़्त और जगह की इत्तिला हर कर्ज़ देने-वाले के पास उस पते से जो उस के सबूत में दिया गया है या जो उसने देन साबित न किया हो तो उस पते से जो दिवालिए के शिड्यूल में दिया गया है या ऐसे और पते से जो सर्कारी असाइनी को मालूम हो, भेज के बैठक की जाएगी।

बैठक की इत्तिला।

३। किसी बैठक की इत्तिला बैठक के लिए नियत किए हुए दिन से इतने दिन पहले जो सात दिन से कम न हों भेजी जाएगी और उस को आप दी जा सकती या महसूल चुकाके डाक से भेजी जा सकती है जिस में सुबीता हो। सर्कारी असाइनी जो वह ठीक समझे उस जगह के किसी अखबार में या उस जगह के सर्कारी गजट में किसी बैठक के होने का वक़्त और जगह क्रमवार के भी मुश्तहर कर सक्ता है।

जो चाहा जाए तो दिवालिए॰ को हाज़िर होना चाहिए।

४। दिवालिए का यह काम होगा कि वह ऐसी किसी बैठक में जाए जिस में जाने के लिए सर्कारी असाइनी इत्तिला देके उस से चाहे और रोक के रखी हुई किसी बैठक में यह इत्तिला उसे आप दी जाएगी या बैठक के लिए ठहराए हुए कम से कम तीन दिन पहले उस के पास डाक से उस के पते पर भेज दी जाएगी।

इत्तिला न पाने के सबब कार-रवाइयों का रद न होना।

५। किसी बैठक में की हुई कार-रवाइयां और मंज़ूर की हुई तजवीज़ जब तक अदालत और कुछ हुक्म न दे किसी कर्ज़ देने-वाले के उस के पास भेजी हुई इत्तिला न पाने पर भी जायज़ हों।

इत्तिला जारी होने का

६। सर्कारी असाइनी का इस बात का सर्टिफ़िकेट कि किसी की इत्तिला ठीक से दी गई है उस आद... पास जिस के नाम वह भेजी गई थी ऐसी इत्ति... ठीक से भेजे जाने का पूरा सबूत है।

बैठक का खर्चा।

७। जहां कर्ज़ देने-वालों की दरख़ास्त पर सर्कारी असाइनी कोई बैठक करे तो बैठक करने के खर्च के लिए जिस में सब खर्च शामिल हैं हर बीस कर्ज़ देने-वालों के लिए लिखी हुई दरख़ास्त के साथ पांच रुपया जमा करना होगा पर शर्त यह है कि सर्कारी असाइनी ऐसा और भी रुपया जमा कर देने के लिए चाह सक्ता है जो उस की राय में बैठक के खर्च और खर्च के लिए पूरा हो।

चेयरमैन।

८। किसी बैठक का चेयरमैन सर्कारी असाइनी होगा।

वोट देने का हक़।

९। किसी कर्ज़ देने-वाले को किसी बैठक में वोट देने का हक़ न होगा जब तक उसने दिवाले में साबित होने लायक किसी देन को ठीक से साबित न कर दिया हो जो उस का दिवालिए से पावना हो और बैठक होने के ठहराए हुए वक्त से ठीक एक दिन पहले सुबूत ठीक से दाख़िल कर दिया गया हो।

कई एक देन की निस्बत राय का न होना।

१०। कोई कर्ज़ देने-वाला ऐसी किसी बैठक में किसी न निबटाए हुए या इत्तिफ़ाकी देन या किसी ऐसे देन की बाबत जिस के दाम ठीक से ठहराए नहीं गए हैं राय न देगा।

ज़मानत रख के कर्ज़ देने-वाला।

११। राय देने के लिए ज़मानत रख के कर्ज़ देने-वाला, जब तक वह अपनी ज़मानत दाख़िल न कर दे अपने सुबूत में अपनी ज़मानत के ब्योरों को, उस तारीख़ को जिस को वह दी गई थी और वह दाम जो वह उस के लगाता है लिखेगा और उस को सिर्फ़ ऐसे रुपए की बाबत अगर कोई हो वोट देने का हक़ होगा जो उस ज़मानत के दाम काट लेने के पीछे उस के पावने निकलें। जो वह अपने सारे देन की बाबत राय दे तो वह ऐसा समझा जाएगा कि उसने अपनी सारी ज़मानत दाख़िल कर दी है पर उस हालत में नहीं कि जब अदालत का मन

दरखास्त पर इस बात से भर जाए कि ज़मानत के दाम ठहराने में जो चूक हुई है वह भूल से हुई है।

१२। जहां कर्ज़ देने-वाला ऐसे किसी बिल आफ़ एक्सचेंज, प्रामिसरी नोट या किसी और बिकने लायक दस्तावेज या ज़मानत की बाबत जिस पर दिवालिया ज़िम्मेदार, है साबित करना चाहे तो वह बिल आफ़ एक्सचेंज नोट, दस्तावेज या ज़मानत अदालत के ऐसे किसी खास हुक्म के ताबे होके जो उस के खिलाफ़ दिया जाए राए देने के लिए सुबूत किए जाने के पहले सर्कारी असाइनी के पास पेश की जानी चाहिए।

बिकने लायक दस्तावेजों के लिए सुबूत।

१३। सर्कारी असाइनी को इस बात का इख्तियार होगा कि वह किसी बैठक में राए देने में ज़मानत के अन्दाज़ी दाम ठहराने के सुबूत के काम में लाए जाने के पीछे २८ दिन के भीतर कर्ज़ देने-वाले से यह चाहे कि वह इस तौर से अन्दाज़ की हुई कीमत के पाने पर आम तौर से कर्ज़ देने-वालों के फायदे के लिए उस ज़मानत को छोड़ दे।

ज़मानत छोड़ देने के लिए कर्ज देने-वाले को चाहने का इख्तियार।

१४। अगर किसी फ़र्म का एक साझीदार दिवालिया तजवीज़ किया जाए तो ऐसा कोई कर्ज़ देने-वाला जिस का वह साझीदार उस फ़र्म के और साझीदारों के साथ या उन में से किसी के साथ मिल के धारता है कर्ज़ देने-वालों की किसी बैठक में राए देने के लिए अपना देन साबित कर सक्ता है और उस को उस में राए देने का हक़ होगा।

साझीदार की तरफ़ से सुबूत।

१५। सरकारी असाइनी को बांट देने के लिए किसी सुबूत के लेने या न लेने का इख्तियार होगा पर उस के फ़ैसले की अपील अदालत में हो सकेगी। जो उस को यह शक हो कि किसी कर्ज़ देने-वाले का सुबूत लिया जाना या न लिया जाना चाहिए तो वह उस सुबूत पर यह निशान देगा कि उज़्र किया गया है और कर्ज़ देने-वाले को इस शर्त पर राए

सुबूत लेने या ना-मंज़ूर करने का सरकारी असाइनी का इख्तियार।

देने देगा कि जो उस बहाव रखा जाएगा तो उस को राय ना-जाएज़ समझी जाएगी।

प्राक्सी।

१६। (१) कोई क़र्ज़ देने-वाला या तो आप या प्राक्सी के ज़रिए से राए देगा।

प्राक्सी-नामा।

१७। हर प्राक्सीनामा बताए हुए फ़ार्म में होगा और सरकारी असाइनी की तरफ़ से दिया जाएगा।

आम प्राक्सी।

१८। कोई क़र्ज़ देने-वाला अपने एटर्नी या अपने मनेजर या क्लार्क या किसी और आदमी को जो उस की बराबर नौकरी में हो आम प्राक्सी बना दे सक्ता है। ऐसी हालत में प्राक्सीनामे में यह बात लिखी रहेगी कि उस की रू से जो आदमी काम करता है उस का क़र्ज़ देने-वाले से क्या नाता है।

बैठक होने के एक दिन पहले प्राक्सी का दाखिल किया जाना।

१९। कोई प्राक्सी काम में न लाया जाएगा जब तक वह उस बैठक के लिए जिस में वह काम में लाए जाने को हो ठहराए हुए वक़्त से ठीक एक दिन पहले सरकारी असाइनी के पास दाखिल न कर दिया जाए।

प्राक्सी के तौर से सरकारी असाइनी।

२०। कोई क़र्ज़ देने-वाला अपने प्राक्सी के तौर से काम करने के लिए सरकारी असाइनी को नियत कर सक्ता है।

बैठक का रोक रखना।

२१। सरकारी असाइनी किसी बैठक को वक़्त वक़्त पर और एक जगह से दूसरी जगह के लिए रोक रख दे सक्ता है और ऐसे रोक रखने की इत्तिला देने की कोई ज़रूरत न होगी।

कार-रवाइयों को लिखना।

२२। सरकारी असाइनी बैठक में की हुई कार-रवाइयों की मिनट लिखेगा और उन पर दस्तख़त करेगा।

## दूसरा शिड्यूल।

(दफ़े ४८ को देखो।)

### देनों का सुबूत।

#### मामूली हालतों में सुबूत।

सुबूत दाखिल करने का वक्त।

१। हर क़र्ज़ देने-वाला तजवीज़ का हुक्म होने के पीछे जहां तक बन पड़े जल्द अपने देन का सुबूत दाखिल करेगा।

सुबूत दाखिल करने का तौर।

२। देन का सुबूत इस तरह से दाखिल किया जा सक्ता है कि उस देन को तसदीक़ करता हुआ हलफ़ी बयान सरकारी असाइनी को दे दिया जाए या डाक से रजिस्ट्री चिट्ठी में रख के भेज दिया जाए।

हलफ़ी बयान करने का इख़तियार।

३। हलफ़ी बयान क़र्ज़ देने-वाला आप कर सक्ता है या कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे क़र्ज़ देने-वाले ने या उस के लिए किसी ने इख़तियार दिया हो। जो इस तरह से इख़तियार पाए हुए किसी आदमी ने उसे किया हो तो उस में यह लिखा हुआ रहेगा कि उस को किस ने इख़तियार दिया और उस को वह बातें कैसे मालूम हुईं।

हलफ़ी बयान में क्या लिखा जाएगा।

४। हलफ़ी बयान में ऐसे हिसाब या बयान या हवाला रहेगा जिस में देन की निसबत ब्योरे लिखे रहेंगे और उस में उन रसीदों का भी जो कोई हो हाल रहेगा जिन से वह साबित किया जा सकता है। सरकारी असाइनी किसी वक्त रसीदों का पेश करना चाह सक्ता है।

जो क़र्ज़ देने-वाला ज़मानत रखता होतो यह बात हलफ़ी बयान में लिखी जाएगी।

५। हलफ़ी बयान में यह लिखा रहेगा कि क़र्ज़ देने-वाला ऐसा क़र्ज़ देने-वाला है या नहीं जिस ने ज़मानत पर क़र्ज़ दिया है।

देन के साबित करने का ख़र्च।

६। क़र्ज़ देने-वाला अपने देन के साबित करने का ख़र्च देगा पर उस बाबत में नहीं कि जब अदालत और तौर से ख़ास हुक्म दे।

सुबूत देखने और जांचने का हक़।

७। हर क़र्ज़ देने-वाला जिस ने सुबूत दाख़िल किया हो यह हक़ रखेगा कि वह और और क़र्ज़ देने-वालों के सुबूत को सब मुनासिब वक़्त में देखे और उन को जांच करे।

सुबूत से काट दिया जाना।

८। क़र्ज़ देने-वाला जो अपने देन को साबित करे उस से वह सब बट्टे घटा देगा जो ब्योपार में दिए जाते हैं पर वह ऐसा कोई बट्टा काट देने के लिए लाचार न किया जाएगा जो दावे के निखर्चे रुपए पर सैकड़े पीछे ५ रुपए से बढ़ के न हो और जिस के वह नक़द रुपए अदा करने पर काट देने के लिए राज़ी हुआ हो।

ज़मानत रख कर क़र्ज़ देने-वाले की तरफ़ से सुबूत।

सुबूत जहां ज़मानत वसूल की गई हो।

९। जो ज़मानत रख कर क़र्ज़ देने-वाला ज़मानत से रुपया वसूल करे तो वह निखर्चे वसूल किए हुए रुपए के काट देने के पीछे अपना बाक़ी पावना साबित कर सक्ता है।

सुबूत जहां ज़मानत हवाले की जाए।

१०। जो ज़मानत-रख कर क़र्ज़ देने-वाला अपनी ज़मानत को सरकारी असाइनी के क़र्ज़ देने-वालों के आम फ़ायदे के लिए हवाले कर दे तो वह अपने सारे देन को साबित कर सक्ता है।

और और हालतों में सुबूत।

११। जो कोई ज़मानत रख कर क़र्ज़ देने-वाला न तो ज़मानत में अपने पास रखी हुई चीज़ का रुपया वसूल करे न उसे हवाले करे तो वह पड़ते के हिसाब से पाने-वालों में होने के पहले अपने सुबूत में अपनी ज़मानत का ब्योरा, उस के दिए जाने की तारीख़ और उस की वह

१७

क़ीमत जो उस ने ठहराई हो बयान करेगा और वह ठहराई हुई क़ीमत के काट लेने के पीछे सिर्फ़ बाक़ी के लिए पड़ता पाने का हक़ रहेगा।

१२। (१) जहां किसी ज़मानत की क़ीमत इस तरह से ठहराई जाए तो सरकारी यसाइनी किसी वक़्त क़र्ज़ देने-वाले को वह ठहराई हुई क़ीमत देके उसे छुड़ा ले सकता है।

ज़मानत की क़ीमत ठहराना।

(२) जो सरकारी यसाइनी का मन उस क़ीमत से न भरे जो ज़मानत के लिए ठहराई जाए तो वह यह चाह सकता है कि ऐसी ठहराई हुई ज़मानत की जायदाद ऐसे वक़्त ऐसी क़ैद और शर्तों पर जिन पर क़र्ज़ देने-वाला और सरकारी यसाइनी राज़ी हों नीलाम पर चढ़ाई जाए या कि राज़ी न होने की हालत में जैसा अदालत हुक्म दे। जो नीलाम आम तौर से किया जाए तो क़र्ज़ देने-वाला या जायदाद की तरफ़ से सरकारी यसाइनी डाक बोल सकता है या मोल ले सकता है।

पर शर्त यह है कि क़र्ज़ देने-वाला किसी वक़्त लिखी हुई इत्तिला देके सरकारी यसाइनी से यह चाह सकता है कि वह इन बातों में से कोई बात पसन्द करे कि आया वह ज़मानत के छोड़ा लेने या उस को वसूल करने के हुक्म देने के इख़्तियार को काम में लाएगा या न लाएगा और जो सरकारी यसाइनी इत्तिला पाने से छः महीने के भीतर लिख कर क़र्ज़ देने-वाले को यह न जताएगा कि वह अपने इख़्तियार को काम में लाना पसन्द करता है तो उसे उस को काम में लाने का हक़ न रहेगा; और छोड़ा लेने का हक़ या ज़मानत को जायदाद का कोई और हक़ जो सरकारी यसाइनी को दिया गया हो क़र्ज़ देने-वाले के हाथ चला जाएगा और उस के देन के रुपए की तादाद से इतना रुपया घटा दिया जाएगा जितना रुपया ज़मानत की क़ीमत के तौर से ठहराया गया है।

१३। जहां क़र्ज़ देने-वाले ने इस तरह से ज़मानत की क़ीमत ठहराई हो तो वह किसी वक़्त क़ीमत और सबूत को सरकारी यसाइनी या अदालत के भरोसे की हद तक यह दिखला के बदल सकता है कि क़ीमत

ठहराई हुई क़ीमत का ठीक करना।

(९) जहां किसी देन में जो दिवाले में साबित किया गया हो सूद या सूद के बदले रुपए की और कोई रक़म शामिल हो तो सूद या बदले के रुपए का हिसाब पड़ते को ग़रज़ों के लिए ऐसी शरह से जो ६) रुपए सैकड़े सालाना से बढ़ के न हो क़र्ज़ देने-वाले के उस हक़ को नुक़सान बे पहुंचाए किया जाएगा जो उस को मदयून की जायदाद से किसी ऐसी ज़ियादा शरह से सूद पाने के लिए हो जिस का वह सब साबित किए हुए देन के पूरे अदा हो जाने के पीछे हक़दार हो।

आगे को दिए जाने लायक़ देन।

२४। क़र्ज़ देने-वाला किसी ऐसे देन को फ़ौरन अदा होने-वाले देने के तौर से साबित कर सक्ता है जो उस वक़्त अदा किए जाने लायक़ न हो जब कि मदयून दिवालिया तजवीज़ किया जाए और पड़ते के जताने की तारीख़ से उस तारीख़ तक कि जब देन उन शर्तों के मुताबिक़ जिन पर क़र्ज़ लिया गया था अदा किए जाने लायक़ होता सिर्फ़ ६) रुपए सैकड़े सालाना शरह के हिसाब से सूद अपने पड़ते से काट देकर दूसरे क़र्ज़ देने-वालों के बराबर पड़ते पा सक्ता है।

(हाशिया: आगे को दिए जाने लायक़ देन।)

सुबूत का लेना या ना मंज़ूर करना।

२५। सर्कारी असाइनी देन के हर सुबूत और बुनियादों की जांच करेगा और लिख के उस के सारे या कुछ हिस्से का लेना या न लेना जताएगा या उस की बाईद में और भी सुबूत चाहेगा। जो वह कोई सुबूत न ले तो वह न लेने के सबब को लिख के क़र्ज़ देने-वाले को देगा।

(हाशिया: सुबूत का लेना या न लेना।)

२६। जो सर्कारी असाइनी यह सोचे कि कोई सुबूत बेजा तौर से लिया गया है तो अदालत सर्कारी असाइनी की दरख़्वास्त पर क़र्ज़ देने-वाले को जिस ने सुबूत दिया था इत्तिला देने के पीछे उस सुबूत को उड़ा दे सकती है या उस को घटा दे सकती है।

(हाशिया: अदालत कब सुबूत को काट दे सकती है जो बेजा तौर से लिया गया हो।)

पगार, किराये और तनख़्वाहें जैसा ज़मानत हुआ है जो डिक्रीदार को बादशाह का माल गुज़ार को निस्बत उस को अपनी अपनी चौकसी का इख़्तियार में हों।

वक़्त वक़्त पर रुपए की चुकती।

२१। जब कोई लगान या और कोई रुपया इतने इतने दिनों पर मिलता हो और तजवीज़ का हुक्म उन वक़्तों से अलग किसी और वक़्त दिया जाए तो वह आदमी जो लगान या रुपए के पाने का हक़दार है अदालत की तारीख़ तक उस के उतने ही हिस्से के लिए हुक्म दे सकता है मानो वह लगान या रुपया दिन के हिसाब से पावना होता गया।

वक़्त वक़्त पर रुपए की चुकती।

सूद।

२२। (१) किसी देन या ठीक किए हुए रुपए पर जिस पर कोई सूद न रखा गया या दोनों फ़रीक़ों की रज़ा से ठहराया गया था और जो उस वक़्त बाक़ी पड़ गया था कि जब मदयून दिवालिया तजवीज़ किया गया हो और जो इस ऐक्ट की रू से साबित किए जाने लायक़ हो तो क़र्ज़ देने-वाला ऐसी सूरत पर सूद साबित कर सकता है जो फ़ी रुपए सैकड़े छः आने से बढ़ कर न हो,—

सूद।

(क) जो देन या रुपया किसी लिखी हुई दस्तावेज़ की रू से किसी ख़ास वक़्त पर अदा किए जाने लायक़ हो तो उस वक़्त से जब कि वह देन या रुपया अदा किए जाने लायक़ हुआ, ऐसी तजवीज़ की तारीख़ तक, या

(ख) जो देन या रुपया और तरह से अदा किए जाने लायक़ हो, तो उस तारीख़ से जब वह रुपया लिख के मांगा गया हो और उस में मदयून को इस बात की ख़बर दी गई हो कि सूद का दावा मांगने की
अदा न किया जाए इस तरह दि
जाने की तारीख़ तक किया जा

२०। फ़ुरावत पूंजी देने-वाले की दरख़्वास्त पर भी जो सर्कारी अ... इस बात में हाथ डालने से इनकार करे, ... निबटेरे या तदबीर की हाथ में दिवालिए ... दरख़्वास्त पर सूबत को उठा या घटा दे सकी ...

सुपूत बढ़ाया या घटा देने के लिए फ़राखत का इख़्तियार।

## तीसरा गिडूल।

(देखो दफ़े १२७)।

रद किए ङुए एक्ट।

| सन। | न०। | नाम। | रद करने की हद। |
|---|---|---|---|
| | | १।—ग्रावी मार्लेन। | |
| १८४८ | ११ और १२ विक्टोरिया बाब २१ | दिवालिए का एक्ट हिन्द सन १८४८। | इतना कि जितना रद नहीं किया गया। |
| | | २।—गवर्नर-जनरल साहब बहादुर ब-इजलास कौन्सिल के एक्ट। | |
| १८४१ | २७ | दिवालियों की जायदाद (दावा न किए ङुए पड़तों) का एक्ट सन १८४१। | इतना कि जितना रद नहीं ङुआ। |
| १८६८ | १० | दिवाले के क़ायदों का एक्ट हिन्द सन १८६८। | दफ़े २ और ३। |
| १९०० | ६ | लोअर बरमा को ग्रा लतों का एक्ट। | दफ़े ८, हिस्से-दफ़े (१) क्लाज़ (ड) और हिस्से-दफ़े (२); और दफ़े १० हिस्से-दफ़े (१) में लफ़्ज़ "सरकारी असाइनी" और हिस्से-दफ़े (२) और (४) में लफ़्ज़ "सरकारी असाइनी" |
| १९०८ | ५ | मजमूए क़ाविते दीवानी सन १९०८। | दफ़े १२०, हिस्से-दफ़े (२)। |

P. J. Press—B 4408—25 3-1909—200